



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन
पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 5 - वर्ष 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन
पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 5 – वर्ष 2024

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय - I परिचय		
संविधान संशोधन	1.1	1
उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति	1.2	1
शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा	1.3	1
शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना	1.4	2
अध्याय - II लेखापरीक्षा ढांचा		
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.1	3
लेखापरीक्षा मानदंड	2.2	3
लेखापरीक्षा विस्तार और कार्यप्रणाली	2.3	3
लेखापरीक्षा में बाधाएं	2.4	4
लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ढांचा	2.5	5
अध्याय - III 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन		
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय कानूनों की तुलना	3.1	7
अध्याय - IV शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यपद्धति		
कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति	4.1	9
शहरी स्थानीय निकाय के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र	4.2	17
निष्कर्ष	4.3	32
अध्याय - V शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता		
व्यय का अंश	5.1	33
कार्य निष्पादन हेतु योजना	5.2	34
कार्यों का क्रियान्वयन	5.3	39
चयनित कार्यों की प्रभावशीलता की स्थिति	5.4	44
निष्कर्ष	5.5	48

अध्याय - VI		
शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन		
शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन	6.1	49
मानव संसाधन की कमी	6.2	52
मानव संसाधन का आकलन	6.3	57
कर्मचारियों पर अधिकार	6.4	58
निष्कर्ष	6.5	58
अध्याय - VII		
शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन		
शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का स्रोत	7.1	60
शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व	7.2	77
उधार	7.3	93
शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न राजस्व स्रोतों का उपयोग	7.4	95
विश्वसनीय डेटाबेस की अनुपलब्धता	7.5	98
संपत्ति कर बोर्ड	7.6	98
बजट	7.7	100
शहरी स्थानीय निकायों का व्यय	7.8	105
शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय शक्तियाँ	7.9	108
निष्कर्ष	7.10	109
परिशिष्टियाँ		
संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	राज्य में शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकलाप की संगठनात्मक संरचना	111
II	चयनित इकाईयों की सूची	112
III	चयनित नगर निगम और नगर पालिका परिषद में कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति	113
IV	पाँच नगर निगमों और संबंधित विकास प्राधिकरणों के अतिव्यापी गतिविधियों पर व्यय का विवरण	116
V	वर्ष 2015–20 की अवधि में नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में परिषद की बैठकों का विवरण	118
VI	नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में बजट अनुमानों की तैयारी एवं अनुमोदन की स्थिति	124
VII	महापौर / अध्यक्ष की तुलना में परिषद और राज्य सरकार की भूमिका और शक्तियों की स्थिति	130
VIII	पैरास्टेटल्स और उनके कार्यों की सूची	134
IX	स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए नगर निगमों में स्वीकृत / कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण	136

X	वर्ष 2018–19 की अवधि में नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति सेवाओं पर एसएलबी के सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति	137
XI	वर्ष 2018–19 की अवधि में नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एसएलबी के सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति	139
XII	नमूना जांच की गई नगर पंचायतों में मार्च 2020 तक मानव संसाधन की स्थिति	141
XIII	नमूना जांच किए गए नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में मार्च 2020 तक तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति	142
XIV	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व सेवाओं के अन्तर्गत मार्च 2020 तक स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति	143
XV	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता गतिविधियों के लिए मार्च 2020 तक कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति	145
XVI	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का विवरण	147
XVII	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2020 तक जलापूर्ति सेवाओं के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति	149
XVIII	निकायों के विधिवत गठन के बिना शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान का अनधिकृत हस्तांतरण	151
XIX	परिषदों द्वारा राजस्व से संबंधित स्वीकृत संकल्पों का विवरण, जिसे कार्यपालिका द्वारा लागू नहीं किया गया	152
XX	मार्च 2020 तक नमूना—जांच किये गए शहरी स्थानीय निकाय में गृह कर की मांग, वसूली तथा बकाये का विवरण	154
XXI	नगर विकास विभाग के कार्य विवरण और नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों में उपलब्ध आंकड़ों के बीच अंतर प्रदर्शित करने वाला विवरण	155

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015–20 की अवधि को आच्छादित करते हुए “74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015–20 की अवधि के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2019–20 के बाद की अवधि के प्रकरण भी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित किया गया है।

कार्यकारी सारांश

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान किया और देश के शहरी क्षेत्रों में स्व-शासित स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया। इसने शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया। तदनुसार, राज्य सरकार ने निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार देने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यूपीएम अधिनियम) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यूपीएमसी अधिनियम) में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम 1994 अधिनियमित (मई 1994) किया।

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य संविधान की 12वीं अनुसूची में निहित कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समुचित रूप से बनायी गई संस्थाओं के सृजन और पर्याप्त संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों हेतु संस्थागत तंत्र के प्रावधान और कामकाज में कमियाँ पायी गयी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित 18 कार्यों में से 15 कार्य पूर्ण रूप से तथा एक कार्य आंशिक रूप से ही हस्तान्तरित किया। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों को इन हस्तान्तरित कार्यों के निर्वहन में स्वायत्तता की कमी थी क्योंकि वे मात्र एक कार्य के क्रियान्वयन के लिए ही पूरी तरह से उत्तरदायी थे और अन्य कार्यों के क्रियान्वयन में या तो इनकी सीमित भूमिका थी अथवा कोई भूमिका नहीं थी।

वार्डों के परिसीमन में देरी के फलस्वरूप वर्ष 2017 के शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी हुयी। इसके बाद शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव मई 2023 में हुए। राज्य सरकार ने विलंब से परिषदों में सदस्यों को नामित किया। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में परिषद और कार्यकारी समिति की बैठकों में कमी थी और बैठकों की कार्यसूची भी बैठक के निर्धारित समय से पूर्व पार्शदों/सदस्यों को प्रेषित नहीं की गई थी। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विभिन्न समितियों जैसे वार्ड समिति एवं संयुक्त समिति का गठन नहीं किया गया था।

नियोजन प्रक्रिया में भी कमी थी क्योंकि नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की थी। इसके साथ ही चयनित जिलों में जिला योजना समिति द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामलों के संबंध में जिला विकास योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, महानगर क्षेत्र हेतु विकास योजना तैयार करने के लिए राज्य में महानगर योजना समिति का भी गठन नहीं किया गया था। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन योजना भी तैयार नहीं की गई थी। केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं की नियोजन प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका भी सीमित थी। इसके अलावा, चयनित कार्यों के क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका संचालन और अनुरक्षण तक ही सीमित थी। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित सेवाएं केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियन्त्रण संगठन के सेवा स्तर बेंचमार्क के अनुरूप प्रदान नहीं की जा सकी।

शहरी स्थानीय निकायों के पास मानव संसाधनों पर अधिकार का अभाव रहा क्योंकि पदों की स्वीकृति, कर्मचारियों के लिए परिलक्षियां आदि तय करने के संबंध में शक्तियां राज्य सरकार में निहित थीं और विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधनों में 43 प्रतिशत तक की कमी थी।

लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों में अपर्याप्तता भी पायी क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व आधार को निर्धारित करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास थीं। शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व नाममात्र था और केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोगों की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों से वित्तीय अंतरण शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का बड़ा हिस्सा था। स्वयं के राजस्व के कई संभावित स्रोतों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित या अनुकूलित नहीं किया गया था। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट राजस्व के अवमुक्त होने में भी कमी थी।

राज्य वित्त आयोगों के गठन में न केवल विलंब हुआ बल्कि इसके प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और स्वीकार करने में भी विलंब हुआ। इसके अलावा, राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के लागू होने में भी देरी हुई या अभी तक लागू नहीं की गई। नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के बजट अनुमान अवास्तविक थे और बजट अनुमान और वित्तीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा मैनुअल 2018 के प्रारूप भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नहीं अपनाए गए थे। इसके अलावा बजट अनुमान या तो परिषद को प्रस्तुत नहीं किये गए थे अथवा परिषद द्वारा विलंब के साथ अनुमोदित किए गए थे। शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए निर्धारित लघु लेखा शीर्ष के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोजित अनुदानों को राज्य सरकार ने सीधे पैरास्टेटलों को अंतरित किया। इसके अलावा, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों को राज्य सरकार ने समर्पित नगरीय परिवहन निधि में भी अंतरित किया। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्रवेश कर (शहरी स्थानीय निकायों के उपयोग के लिए ढांचागत विकास निधि बनाने के लिए माल की आवाजाही पर देय) को शामिल करने पर शहरी स्थानीय निकायों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

निधियों के उपयोग, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों और कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों पर कई प्रतिबंध/सीमाएं लगाई गई थीं।

अध्याय - I

परिचय

अध्याय I - परिचय

1.1 संविधान संशोधन

शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाईयों के रूप में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए, यह आवश्यक माना गया कि शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधानों को एक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में सम्मिलित किया जाए। इस तरह का संशोधन कार्यों, संसाधनों के साथ-साथ चुनावों के नियमित संचालन और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार के साथ उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए था।

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसे यहाँ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया है, जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, ने संविधान में भाग IXए (नगरपालिकाओं) को प्रस्तुत किया। अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243डब्ल्यू ने राज्य विधानमण्डलों को स्थानीय निकायों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत किया, जो उन्हें स्व-शासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने और शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किए जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है जैसा कि अध्याय IV की तालिका 4.1 में सूचीबद्ध है।

1.2 उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की 19.96 करोड़ की कुल जनसंख्या में से 4.45 करोड़ (22.28 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। वर्ष 2001–2011 के दशक में जनसंख्या की समग्र वृद्धि दर 20.23 प्रतिशत के विरुद्ध शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर 28.75 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, देश के सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकाय प्रदेश में थे क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 4,041 शहरी स्थानीय निकाय में से 648 शहरी स्थानीय निकाय (16 प्रतिशत) राज्य में थे। फिर भी, राज्य में शहरीकरण का स्तर (22.28 प्रतिशत) अखिल भारतीय आंकड़ों 31.16 प्रतिशत की तुलना में काफी कम था। इसके अतिरिक्त राज्य में शहरीकरण में स्पष्ट क्षेत्रीय असंतुलन था। 2011 की जनगणना के अनुसार, 32.45 प्रतिशत के साथ पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक शहरीकृत था और 13.40 प्रतिशत के साथ पूर्वी क्षेत्र सबसे कम शहरीकृत था। मध्य और बुंदेलखण्ड क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या क्रमशः 20.06 प्रतिशत और 22.74 प्रतिशत थी।

उच्च जनसांख्यिकीय केन्द्रीकरण के कारण, शहरी जनसंख्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, पर्याप्त जल आपूर्ति, प्रदूषण आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस परिदृश्य में, शहरी स्थानीय निकाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों को स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे तरीके से संभाला जाता है।

1.3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को तीन स्तरीय संरचनाओं यथा नगर निगम¹, नगरपालिका परिषद² और नगर पंचायत³ में वर्गीकृत किया गया है। शहरी स्थानीय

¹ बड़े शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

² छोटे शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

³ संक्रमणकालीन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

निकाय का वर्गीकरण जनसंख्या⁴, कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों पर कम से कम 75 प्रतिशत निवासियों की निर्भरता, सड़क परिवहन की सुविधा और शहरी सुविधाओं⁵ की उपलब्धता आदि से संबंधित मानदंडों के मिश्रण पर आधारित है। मार्च 2020 तक राज्य में 707 शहरी स्थानीय निकाय थे, जैसा कि निम्न तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: राज्य में श्रेणी-वार शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
नगर निगम	17
नगरपालिका परिषद	199
नगर पंचायत	491
योग	707

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

नगर निगम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 द्वारा शासित होते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत (या नगरपालिकाएं) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है, जो पार्षदों/सदस्यों के निर्वाचन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकाय में एक निर्वाचित निकाय होता है जिसमें महापौर/अध्यक्ष और अन्य पदेन और नामित सदस्यों के साथ ये निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

1.4 शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग सभी शहरी स्थानीय निकाय के शासन के लिए नोडल विभाग है। 1973 में स्थापित स्थानीय निकाय निदेशालय एक निदेशक की अध्यक्षता में, शहरी स्थानीय निकायों पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। मण्डल स्तर पर, मण्डलायुक्त एवं अपर आयुक्त (प्रशासन) और जिला स्तर पर जिलाधिकारी को क्रमशः शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कार्यों को देखने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए शहरी स्थानीय निकाय के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

निर्वाचित प्रतिनिधि शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख हैं, जैसे महापौर नगर निगम के प्रमुख हैं, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के प्रमुख हैं। अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचित सदस्यों की समितियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करें। नगर निगम के संबंध में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के संबंध में अधिशासी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख हैं, जो कार्य के निष्पादन और निधि के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपद्धति के संबंध में संगठनात्मक संरचना परिषिष्ट-I में दर्शायी गई है।

⁴ नगर निगम के लिए 3.00 लाख से अधिक की जनसंख्या, नगरपालिका परिषद के लिए 1.00 लाख से अधिक और 3.00 लाख तक की जनसंख्या और नगर पंचायत के लिए 1.00 लाख से कम लेकिन 20,000 से अधिक की जनसंख्या आवश्यक है।

⁵ उनके अधिकार क्षेत्र जिसमें पुलिस स्टेशन, वाणिज्यिक केंद्र, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर, अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर, बिजली की आपूर्ति, बैंक, डाकघर आदि की उपलब्धता सम्मिलित है।

अध्याय - II

लेखापरीक्षा ढांचा

अध्याय II - लेखापरीक्षा ढांचा

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या शहरी स्थानीय निकाय को निधि, कार्यों और पदाधिकारियों के संदर्भ में स्वयं को स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। तदनुसार, आकलन करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तैयार किए गए:

- क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को राज्य विधान में पर्याप्त रूप से आच्छादित किया गया है;
- क्या राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को अपने कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु समुचित रूप से अभिकल्पित संस्थाओं/संस्थागत तंत्रों और उनके कार्यों के सृजन के माध्यम से शक्तियां प्रदान की गई हैं;
- जिन कार्यों को अंतरित किया गया है, उनकी प्रभावशीलता; और
- क्या शहरी स्थानीय निकाय को अंतरित किये गये कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सहित समुचित संसाधनों तक पहुंच की शक्ति प्रदान की गई है।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदंड निम्नलिखित से लिए गए:

- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992;
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और राज्य सरकार द्वारा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय की उपविधियाँ/विनियमन;
- उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम 1994;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975;
- उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 और महानगर योजना समिति नियम, 2011;
- राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल;
- केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन मैनुअल;
- केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन;
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन; और
- राज्य सरकार के आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र और समय-समय पर निर्गत किए गए निर्देश।

2.3 लेखापरीक्षा विस्तार और कार्यप्रणाली

अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक सम्पादित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन

अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन करने के लिए निदेशक (स्थानीय निकाय) और अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के कार्यालय में अभिलेखों की जांच की गई। शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों के निष्पादन में पैरास्टेटल की भूमिका का भी सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, निधि, कार्य और पदाधिकारियों के अंतरण के आकलन के लिए सभी तीन स्तरों के 50 शहरी स्थानीय निकाय (707 शहरी स्थानीय निकाय में से) के अभिलेखों की जांच भी की गई। शहरी स्थानीय निकाय का चयन जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर से किया गया था। चयनित शहरी स्थानीय निकाय की सूची परिशिष्ट-II में उल्लिखित है।

अंतरित किए गए कार्यों की प्रभावशीलता के बारे में विचार बनाने के लिए, लेखापरीक्षा में 12वीं अनुसूची में चिन्हित किए गए 18 कार्यों में से निम्नलिखित दो कार्यों का चयन किया और इनका विस्तार से विश्लेषण किया गया:

- i) घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जल आपूर्ति; और
- ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

उपरोक्त चयनित कार्यों के अलावा, शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व बढ़ोत्तरी का आंकलन करने के लिए संपत्ति कर और जल प्रभारों के लगाने और वसूली से संबंधित विषयों की भी जांच की गई।

लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों/सूचनाओं की माँग, अभिलेखों के विश्लेषण और लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर सम्मिलित थे।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के साथ 6 जनवरी 2021 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों की व्याख्या की गयी। इसके अतिरिक्त, 23 अगस्त 2022 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के साथ एक समापन बैठक भी आयोजित की गयी थी, जिसमें विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों और निष्कर्षों को स्वीकार किया गया था। नगर विकास विभाग ने मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठायी गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियों और निष्कर्षों पर विस्तृत उत्तर भी माह नवंबर 2022 में प्रदान किया था। नगर विकास विभाग के उत्तर संबंधित पैराग्राफ में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उत्तरों को शामिल करने के उपरान्त, मसौदा प्रतिवेदन को उनकी आगे की प्रतिक्रिया के लिए माह सितम्बर 2023 में नगर विकास विभाग को पुनः प्रेषित किया गया था और 4 अक्टूबर 2023 को अनुस्मारक निर्गत करने के बावजूद, नगर विकास विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (फरवरी 2024)।

2.4 लेखापरीक्षा में बाधाएं

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक आँकड़े और सूचना के संग्रहण के लिए, लेखापरीक्षा प्रश्न और अभिलेखों की जांच के आधार पर, प्रारंभिक लेखापरीक्षा टिप्पणी, क्रमशः सितंबर और अक्टूबर 2020 एवं फरवरी और मार्च 2021 के माहों के दौरान निदेशक (स्थानीय निकाय) को निर्गत किए गए थे। फिर भी, निदेशक (स्थानीय निकाय) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास विभाग) को बार-बार

अनुस्मारक¹ दिये जाने पर भी नवंबर 2021 तक निदेशक (स्थानीय निकाय) ने इन लेखापरीक्षा प्रश्नों और टिप्पणियों का उत्तर (नगरीय परिवहन निदेशालय की टिप्पणियों से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर) प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक (स्थानीय निकाय) ने दिसंबर 2021 में कुछ लेखापरीक्षा प्रश्नों और टिप्पणियों के उत्तर प्रदान किए, जिनमें से अधिकांश या तो अपूर्ण थे या अप्रासंगिक थे।

इसी तरह, जुलाई 2020 के माह के दौरान प्रमुख सचिव (नगर विकास विभाग) को लेखापरीक्षा प्रश्न निर्गत किए गए थे, फिर भी, बार-बार अनुस्मारक² दिये जाने पर भी विभाग द्वारा इन लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अग्रेतर, कर्मचारियों और अध्यक्ष नगर पंचायत मनियर (बलिया) के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के कारण, लेखापरीक्षा को मांग किये गये अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ढांचा

कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की स्थिति से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किए गए हैं:

अध्याय III – 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय IV – शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यपद्धति

अध्याय V – शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता

अध्याय VI – शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन

अध्याय VII – शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

¹ पत्रसं0..एएमजी–I/74-सीएए/04 दिनांक 16.10.2020, एएमजी–I/74-सीएए/06 दिनांक 16.11.2020, एएमजी–I/74-सीएए/07 दिनांक 07.12.2020, एएमजी–I/74-सीएए/31 दिनांक 31.03.2021, एएमजी–I/74-सीएए/37 दिनांक 14.06.2021, एएमजी–I/74-सीएए/38 दिनांक 16.06.2021, एएमजी–I/74-सीएए/43 दिनांक 17.08.2021, और एएमजी–I/74-सीएए/46 दिनांक 03.12.2021।

² पत्रसं0.. एएमजी–I/74-सीएए/07 दिनांक 29.07.2021, एएमजी–I/74-सीएए/एपी–02/16 दिनांक 16.09.2021, एएमजी–I/74-सीएए/एपी–02/26 दिनांक 03.11.2021 एवं एएमजी–I/74-सीएए/एपी–02/28 दिनांक 29.11.2021।

अध्याय - III

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

अध्याय III - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

3.1 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय कानूनों की तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243क्यू से 243जेडजी के माध्यम से नगरपालिकाओं से संबंधित कुछ प्रावधान प्रस्तुत किये। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किये जैसा कि निम्न तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.1: 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ
राज्य स्तरीय कानूनों की तुलना**

भारत के संविधान का प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राज्य अधिनियम/अधिनियमों का प्रावधान (धारा—वार)
अनुच्छेद 243क्यू	नगरपालिकाओं का गठन: यह तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है अर्थात् संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4।
अनुच्छेद 243आर	नगरपालिकाओं की संरचना: एक नगरपालिका में सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनावों और सरकार द्वारा नामित नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिका में संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो शहर के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 6।
अनुच्छेद 243एस	वार्ड समिति का गठन और संरचना: यह सभी नगरपालिकाओं जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो, उसमें वार्ड समितियों के गठन को प्राविधानित करता है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(बी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 6(ए)।
अनुच्छेद 243टी	सीटों का आरक्षण: प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अनु0जा0/अ0जन0, महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित किया जाना।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 9(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 7।
अनुच्छेद 243यू	नगरपालिकाओं की अवधि: नगरपालिका का अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना और कार्यकाल की समाप्ति से पहले या इसके विघटन के छह माह के अंतर्गत पुनः निर्वाचन कराया जाना।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 10(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 8।
अनुच्छेद 243वी	सदस्यता के लिए अयोग्यता: एक व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा— <ul style="list-style-type: none"> ● यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय में लागू किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत अयोग्य है। ● यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत अयोग्य है। 	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(डी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 80 और 83।
अनुच्छेद 243डब्ल्यू	नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व: सभी नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त बनाया जाएगा जो उन्हें स्व-शासन के प्रभावी संस्थानों के	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 और उत्तर प्रदेश नगर निगम

	रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। राज्य सरकार ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार सौंपेगी जिससे वे 12वीं अनुसूची में निहित उत्तरदायित्वों का निवहन करने में समर्थ हों।	अधिनियम की धारा 114।
अनुच्छेद 243एक्स	नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति, और उसकी निधियाँ: <ul style="list-style-type: none"> नगरपालिकाओं को करों, शुल्कों, ड्यूटी आदि को लगाने और संग्रहित करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। नगरपालिका द्वारा धन के जमा और निकासी के लिए निधियों का गठन 	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128, 127(सी) और 114 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172, 138(ए) और 139।
अनुच्छेद 243वाई अनुच्छेद 243आई के साथ पढ़ा जाय	वित्त आयोग: राज्य सरकार निम्नलिखित हेतु वित्त आयोग का गठन करेगी <ul style="list-style-type: none"> नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे कदम उठाना जो नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता करे। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पथकर और ड्यूटी की शुद्ध आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण। राज्य की समेकित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधियाँ आवंटित करना। 	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127(सी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 138(ए)
अनुच्छेद 243जेड	नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा: यह नगरपालिकाओं द्वारा लेखों के रखरखाव और ऐसे लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान प्रदान करता है।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 95(ई) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 142।
अनुच्छेद 243जेडए अनुच्छेद 243के साथ पढ़ा जाय	नगरपालिकाओं के चुनाव: नगरपालिकाओं के चुनाव की सभी प्रक्रिया की देख-रेख, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 13(बी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 45।
अनुच्छेद 243जेडडी	जिला योजना के लिए समिति: <ul style="list-style-type: none"> जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। जिला योजना समिति की संरचना। विकास योजना का मसौदा तैयार करना और सरकार को अग्रेषित करना। 	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 383(ए)।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 243जेडई	महानगर योजना के लिए समिति: 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान।	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 57(ए)।

उपरोक्त तालिका से दृष्टिगत है कि अधिनियमित कानून 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। फिर भी, कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेन्द्रीकरण की गारंटी नहीं देता है जब तक कि प्रभावी रूप से क्रियान्वित न किया जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कानूनी प्रावधानों के अनुरूप निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भावना फलीभूत नहीं हुई है। यह विशेष रूप से कार्यों के हस्तांतरण और प्रभावी विकेन्द्रीकरण के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण से संबंधित प्रावधानों के मामले में विशेष रूप से सही था, जिन पर चर्चा अनुवर्ती अध्यायों में की गई है।

अध्याय - IV

शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यपद्धति

अध्याय IV - शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यपद्धति

सारांश

शहरी स्थानीय निकायों को उचित रूप से बनाये गये संस्थानों/संस्थागत तंत्र और उनके कार्यों के माध्यम से स्वयं को स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में स्थापित करने के लिए निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के संदर्भ में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण के लिए गठित संस्थानों/संस्थागत तंत्रों के सृजन और कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ पायी गयी जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है और आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

पूर्ण रूप से सौंपे गये 15 कार्यों तथा आंशिक रूप से सौंपे गये एक कार्य में से, शहरी स्थानीय निकाय केवल एक कार्य के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी थे; एक कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं थी; ग्यारह कार्यों में सीमित भूमिका थी; दो कार्यों में इनकी भूमिका केवल कार्यान्वयन एजेंसी की थी; और एक कार्य के सम्बन्ध में, सरकारी विभागों के साथ उनकी दोहरी भूमिका थी। इससे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य विफल हुआ। वर्ष 2017 के दौरान कुल 707 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 652 शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन हुए थे। इस प्रकार, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के साथ शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिदेश प्रारंभिक स्तर पर ही पूरा नहीं हो रहा है। शहरी स्थानीय निकाय से चुनाव पर किये गये व्यय की वसूली नहीं की जा रही थी। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में, निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिषदों की बैठकें आयोजित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये नगर निगमों में कार्यकारिणी समिति की बैठकें भी मानकों के सापेक्ष कम थी। राज्य सरकार द्वारा परिषद के सदस्यों को नामित किये जाने में निरंतर विलम्ब हुआ। नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में सलाहकार समिति, वार्ड समिति, विकास समिति और अन्य समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसने स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ विकास कार्यों की प्राथमिकता और अनुश्रवण के उद्देश्य को विफल कर दिया। नमूना जाँच की गयी किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में जिला/महानगर योजना समिति को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक विकास योजना भी तैयार नहीं की गयी थी। जिला योजना समिति द्वारा चयनित शहरी स्थानीय निकाय के जिलों के लिए व्यापक जिला विकास योजना तैयार नहीं की गयी थी। नमूना जाँच की गयी कई शहरी स्थानीय निकाय में 2015–20 की अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये न तो बजट अनुमान तैयार किये गये थे और न ही अनुमोदन के लिये परिषद को प्रस्तुत किये गये थे। अपेक्षित मूल्य के आगणन और अनुबंध भी अनुमोदन के लिये परिषद को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

4.1 कार्यों के हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 विषयों के सम्बन्ध में कार्य करने और योजनाओं को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को सशक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। प्रत्येक राज्य से यह अपेक्षा की गयी

थी कि वह संशोधन को लागू करने के लिए एक कानून बनायेगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने के लिए “उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून (संशोधन) अधिनियम 1994” अधिनियमित (मई 1994) किया गया और 15 कार्यों¹ को पूर्णतः तथा एक कार्य² को आंशिक रूप से शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया गया। शहरी स्थानीय निकाय को जो कार्य नहीं सौंपे गए, वे भूमि उपयोग, भवनों के निर्माण तथा आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना संबंधी विनियमन थे। अग्रेतर, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन में से केवल नगर नियोजन शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किये गये थे। सभी पूर्ण रूप से अंतरित किये गये कार्य प्रत्येक स्तर के शहरी स्थानीय निकाय के लिए अनिवार्य था, केवल आंशिक रूप से अंतरित नगर नियोजन का कार्य नगर निगम के लिए अनिवार्य था जबकि नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के लिए उनके विवेकाधीन था।

लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकाय और पैरास्टेटल/सरकारी विभागों के बीच कार्यों के निर्वहन में कई ओवरलैप पाये गये। 12वीं अनुसूची में निहित प्रमुख कार्यों के हस्तांतरण के बावजूद, शहरी स्थानीय निकाय के अलावा अन्य प्राधिकरणों द्वारा उससे संबंधित कई कार्य या गतिविधियाँ निष्पादित की जा रही थीं, जैसा कि निम्न तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: कार्यों के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का विवरण

क्र० सं०	कार्य: अनिवार्य (अ)/ विवेकाधीन (वि)	गतिविधियाँ	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
कार्य जहाँ शहरी स्थानीय निकाय की सम्पूर्ण भूमिका थी			
1.	अन्त्येष्टि और कब्रिस्तान; श्मशान, श्मशान भूमि (अ)	श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों और विद्युत शवदाहगृहों का निर्माण और संचालन एवं मरम्मत	इस कार्य के निर्वहन के लिए पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय जिम्मेदार थे।
कार्य जिनमें शहरी स्थानीय निकाय की कोई भूमिका नहीं थी			
2.	अग्निशमन सेवायें (अ)	फायर ब्रिगेड की स्थापना और रखरखाव ऊंची इमारतों के सम्बन्ध में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रदान करना	यह कार्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग कर रहा था।
न्यूनतम भूमिका वाले कार्य और/या राज्य के विभागों और/या पैरस्टेटल के साथ अतिव्यापी क्षेत्र			
3.	बूचड़खानों का विनियमन और चर्म शोधन कारखाने (अ)	पशुओं एवं मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अपशिष्ट का निस्तारण	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव (नगर विकास विभाग) की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति को निजी क्षेत्र द्वारा

¹ (i) सड़कें और पुल (ii) घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति (iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (iv) अग्निशमन सेवायें (v) शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना (vi) दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद सहित समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। (vii) स्लम सुधार और उन्नयन (viii) शहरी गरीबी उन्मूलन (ix) शहरी सुविधाओं और पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान (x) सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देना (xi) अन्त्येष्टि और कब्रिस्तान; श्मशान, श्मशान भूमि (xii) पशु बाड़ा, पशुओं के प्रति कूरता की रोकथाम (xiii) जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण ऑकड़े (xiv) स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं और (xv) बूचड़खानों का विनियमन और चर्म शोधन कारखाने।

² नगर नियोजन।

			बूचड़खानों की स्थापना को मंजूरी देने हेतु अधिकृत किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में इस सम्बन्ध में निर्धारित ³ मानदंडों/मानकों के अनुसार, एफलुएण्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के माध्यम से उत्पन्न बहिःसावों के उपचार के लिए नियोजक स्वयं जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय भी उनके क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए जिम्मेदार थे, हालांकि निजी क्षेत्र के नियोजकों को इस उद्देश्य के लिए अपशिष्ट डिब्बे/बर्टन रखने थे।
		बूचड़खानों का संचालन एवं मरम्मत	निजी नियोजक
4.	शहरी गरीबी उन्मूलन (अ)	लाभार्थियों की पहचान करना	गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन संचालित किया जा रहा था।
		आजीविका और रोजगार	
		रेहड़ी/पटरी विक्रेता	शहरी स्थानीय निकाय
5.	नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन (अ)/(षि)	मास्टर प्लान/विकास योजनायें/जोनल प्लान	इस गतिविधि को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को सौंपा गया था। यद्यपि, 24 विकास प्राधिकरण, पाँच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 72 विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण अपने—अपने क्षेत्राधिकार में यह कार्य कर रहे थे। शेष शहरों में यह कार्य संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा था।
		मास्टर प्लानिंग विनियमों को लागू करना	
		भवन उपनियमों और लाइसेंसों का लागू करना	
		समूह आवास, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समूह आवास से संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जा रही थी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।
6.	मवेशी पाउंड; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (अ)	आवारा पशुओं को पकड़ना और रखना	इन गतिविधियों के निर्वहन के लिए पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय जिम्मेदार थे।
		नसबंदी और एंटी-रेबीज	
		पशु सुरक्षा सुनिश्चित करना	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभाग।
7.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	चिकित्सालयों, औषधालयों का रखरखाव	सार्वजनिक स्वास्थ्य सहवर्ती उत्तरदायित्व के मामले में शहरी स्थानीय निकाय की सीमित भूमिका थी, क्योंकि चिकित्सा स्वास्थ्य और

³ जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974।

	(अ)		परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्रम विभाग आदि ने चिकित्सालयों और औषधालयों को संचालित किये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रदेश में केवल 11 नगर निगम ⁴ और तीन नगर पालिका परिषद ⁵ ने क्रमशः 62 और पाँच चिकित्सालय/औषधालय स्थापित किये गये थे।
		प्रतिरक्षा / टीकाकरण	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रतिरक्षा / टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा था।
		जन्म और मृत्यु का पंजीकरण	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (नोडल विभाग) के साथ शहरी स्थानीय निकाय यह गतिविधि कर रहे थे।
		संक्रामक रोग से प्रभावित इलाकों की सफाई और कीटाणुशोधन	शहरी स्थानीय निकाय संक्रामक रोग प्रभावित इलाकों की सफाई और कीटाणुशोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक बाजारों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे।
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	
		सार्वजनिक बाजारों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण	
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना (अ)	वनीकरण हरियाली जागरूकता अभियान। पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना	इस कार्य के निर्वहन में पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के विभागों के साथ—साथ वनीकरण और जागरूकता अभियान भी चला रहा था।
		प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल स्रोतों आदि का रखरखाव	उत्तर प्रदेश जल निगम, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग एवं सिंचाई विभाग के साथ शहरी स्थानीय निकाय यह गतिविधि कर रहे थे।
9.	शहरी सुख सुविधाओं और पाकों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान (अ)	उद्यानों एवं बगीचों का निर्माण संचालन और अनुरक्षण	इस गतिविधि के लिए शहरी स्थानीय निकाय के साथ बागवानी विभाग और विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद आदि जिम्मेदार थे।
10.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुख सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं (अ)	स्ट्रीट लाइट की स्थापना और रख—रखाव पार्किंग स्थल का निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव	पैरास्टेटल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ शहरी स्थानीय निकाय यह गतिविधि कर रहे थे। विकास प्राधिकरणों के साथ शहरी स्थानीय निकाय यह गतिविधि कर रहे थे। इस गतिविधि के लिए पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय जिम्मेदार थे।

⁴ आगरा (01), गोरखपुर (01), कानपुर (42), लखनऊ (03), मथुरा—वृन्दावन (01), मेरठ (03), मुरादाबाद (01), प्रयागराज (06), सहारनपुर (01), शाहजहांपुर (01), और वाराणसी (02)।

⁵ नगर पालिका परिषद: हापुड़ (01), झौंसी की समथर (02) और चन्दौली की पं० दीन दयाल उपाध्याय पंचायत (02)

		बस रुट तय करना और संचालन करना	शहरी परिवहन निदेशालय स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से यह गतिविधि कर रहा था।
11.	घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति (अ)	जल का वितरण	पैरास्टेटल उत्तर प्रदेश जल निगम परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उत्तरदायी था। शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका जल के वितरण, परिसम्पत्तियों के संचालन और रखरखाव, संयोजन प्रदान करने, शुल्कों के संग्रह आदि तक सीमित थी।
		संयोजन कराना	
		संचालन और रखरखाव	
		शुल्कों का संग्रह	
12.	सड़कें और पुल (अ)	सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव पुलों, नालियों, फलाईओवरों और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव	शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग इस कार्य को निष्पादित कर रहे थे।
13.	सांस्कृतिक, शैक्षिक और कलात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना (अ)	स्कूल और शिक्षा	स्कूलों और शिक्षा को मुख्य रूप से राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता था, हालांकि प्रदेश में 11 नगर निगम ⁶ , 36 नगर पालिका परिषद ⁷ और दो नगर पंचायत ⁸ भी स्कूल संचालित कर रहे थे। शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सांस्कृतिक विभाग और विकास प्राधिकरणों के साथ सार्वजनिक स्थान के सौंदर्यीकरण, मेलों और त्यौहारों के आयोजन, सांस्कृतिक भवनों/संस्थानों और विरासत स्थलों के रखरखाव आदि से जुड़ी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे।
		मेले और त्यौहार	
		सांस्कृतिक भवन / संस्थान	
		विरासत	
		सार्वजनिक स्थल का सौंदर्यीकरण	
दोहरी भूमिका वाले कार्य			
14.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण ऑकड़े (अ)	सूचना प्राप्त करने हेतु चिकित्सालय / शमशान घाट आदि से समन्वय स्थापित करना	शहरी स्थानीय निकाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (नोडल विभाग) दोनों ही 2015–20 की अवधि के दौरान अपनी अपनी वेबसाइटों पर जन्म और मृत्यु के मामले दर्ज कर रहे थे और उनके डेटाबेस के रखरखाव और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार थे।
		डेटाबेस को बनाए रखना और अद्यतन करना	

⁶ आगरा (03), बरेली (03), गाजियाबाद (06), कानपुर (13), लखनऊ (06), मथुरा–वृन्दावन (02), मेरठ (01), मुरादाबाद (01), प्रयागराज (03), शहजहाँपुर (01) और वाराणसी(03)।

⁷ नगर पालिका परिषद: रामपुर (01), बुलन्दशहर की स्थाना (01), बिजनौर की नजीबाबाद (01), मुजफ्फरनगर (01), बदायूँ (01), बदायूँ की सहसवान (01), बदायूँ की ककराला (01), पीलीभीत की बीसलपुर (01), मधुरा की कोसीकला (02), एटा (01), कासगंज की गंजबुंडवारा (01), कासगंज की सोरों (01), कासगंज (02), फिरोजाबद की शिकोहाबाद (01), कानपुर की बिल्हौर (01), फरुखाबाद (01), औरैया (02), झौसी की मउरानीपुर (01), झौसी की समधर (01), झौसी की बरुआसागर (01), झौसी की विरगांव (02), ललितपुर (02), जालौन की कोंच (01), जालौन की कालपी (01), बौदा (01), फतेहपुर की बिन्दकी (01), मिर्जापुर की अहरौरा (03), रायबरेली (01), हरदोई की शाहाबाद (02), सीतापुर (01), सीतापुर की बिसवां (02), लखीमपुर (01), गोण्डा (01), देवरिया (02), चन्दौली की पंदीन दयाल उपाध्याय (01) और जौनपुर (02)।

⁸ नगर पंचायत; बेवर (01) और मैनपुरी की भोगांव (01)।


ऐसे कार्य जिनमें शहरी स्थानीय निकाय केवल कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में थे			
15.	समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा जिसमें दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद शामिल हैं (अ)	लाभार्थियों की पहचान करना ट्राइसाइकिल जैसे उपकरण/लाभ प्रदान करना आवास कार्यक्रम छात्रवृत्तियाँ	इस कार्य के लिए राज्य के विभाग जैसे समाज कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण आदि जिम्मेदार थे। शहरी स्थानीय निकाय केवल केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक अंग थे।
16.	मलिन बस्ती सुधार और उन्नयन(अ)	लाभार्थियों की पहचान करना सरसे आवास उन्नयन	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत स्थापित राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों की पहचान/ सत्यापन किया जा रहा था।
कार्य जो शहरी स्थानीय निकाय को कार्य सौंपे नहीं गये थे			
17.	भू-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन	भूमि उपयोग का विनियमन भवन नक्शों/ ऊँचे भवनों का अनुमोदन अवैध भवनों को गिराना	राजस्व विभाग यह गतिविधि नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गई है और विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र में यह गतिविधि कर रहे थे। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत को बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने का अधिकार देता है। जबकि 119 नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत के क्षेत्र में आवास एवं विकास परिषद और विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण इस गतिविधि को निष्पादित कर रहे थे। राज्य के शेष शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत इस गतिविधि का निष्पादन कर रही थीं।
18.	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना	आर्थिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन सामाजिक विकास के लिए नीतियाँ	राज्य के कल्याण विभाग जैसे सामाजिक, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग आदि इस कार्य को निष्पादित कर रहे थे।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि शहरी स्थानीय निकाय और पैरास्टेटल/ सरकारी विभागों के मध्य कार्यों के निर्वहन में कई कार्यों का परस्पर अधिव्याप्त होना पाया गया। 15 पूर्ण रूप से एवं एक आंशिक रूप से अंतरित किए गए कार्यों में से, शहरी स्थानीय निकाय केवल एक कार्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे; एक कार्य में कोई भूमिका नहीं थी; ग्यारह कार्यों में सीमित भूमिका थी; दो कार्यों में वे केवल कार्यान्वयन संस्था थीं और एक कार्य के सम्बन्ध में, सरकारी विभागों के साथ उनकी दोहरी भूमिका थी।

उपरोक्त कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के आधार पर कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति को चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कार्यों के अंतरण की स्थिति



इस प्रकार, केवल एक कार्य वास्तव में शहरी स्थानीय निकाय को अंतरित किया गया था और चयनित दो कार्य आंशिक रूप से अंतरित कार्यों की श्रेणी के अंतर्गत आते थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के आधार पर चयनित नगर निगम और नगर पालिका परिषद में कार्यों के प्रभावी अंतरण की स्थिति परिशिष्ट-III में विस्तृत रूप से प्रदर्शित है। इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय की गतिविधियों ने भी यह पुष्टि की कि अधिकांश कार्य या तो शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित नहीं किए गए या आंशिक रूप से हस्तांतरित किए गए।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपरोक्त तालिका 4.1 में दर्शाया गया है, राज्य के बड़े शहरों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश टाउन प्लानिंग एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित विकास प्राधिकरण, जिन्हें सड़कों, जलनिकासी, सीधेज, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं जैसे पार्कों का विकास आदि से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए सशक्त भी किया गया था, के कई कार्य शहरी स्थानीय निकाय के साथ अतिव्यापी थे।

तथापि, अतिव्यापी कार्यों पर सम्पन्न व्यय के अलग लेखांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा ने राज्य के पाँच नगर निगम द्वारा उनके वित्तीय संसाधनों और अतिव्यापी कार्यों की तुलना के लिए उनसे संबंधित विकास प्राधिकरण के साथ अतिव्यापी कार्यों पर अनुमानित व्यय की गणना की थी, जिसे परिशिष्ट-IV में दिया गया है और तालिका 4.2 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 4.2 : वर्ष 2017–22 की अवधि में नगर निगम और विकास प्राधिकरण के आय एवं व्यय का विवरण:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जनपद का नाम	नगर निगम		विकास प्राधिकरण	
		आय	अतिव्यापी गतिविधियों पर व्यय	आय	अतिव्यापी गतिविधियों पर व्यय
2017-18	झौसी	164.49	88.34	13.65	01.25
2018-19		169.43	72.08	14.35	10.63
2019-20		184.97	36.83	18.92	14.49
2020-21		155.12	131.19	17.63	22.25

2021-22		95.23	69.89	20.66	25.10
योग		769.24	398.33	85.21	73.72
2017-18	लखनऊ	951.10	557.24	2,586.55	175.01
2018-19		956.19	100.49	2,472.31	197.24
2019-20		1,062.11	182.81	2,235.88	108.44
2020-21		1150.12	149.67	1935.24	171.64
2021-22		1329.53	206.05	2021.64	158.61
योग		5,449.05	1,196.26	11,251.62	810.94
2017-18	मथुरा—वृद्धावन	143.44	20.91	74.98	32.54
2018-19		178.88	22.25	95.44	31.22
2019-20		192.91	34.60	62.17	46.76
2020-21		209.46	116.95	46.73	34.41
2021-22		215.96	104.27	69.40	51.49
योग		940.65	298.98	348.72	196.42
2017-18	मुरादाबाद	181.65	54.29	257.45	43.61
2018-19		187.79	78.07	257.09	42.68
2019-20		214.63	99.53	312.04	44.65
2020-21		262.88	115.08	274.68	40.24
2021-22		215.91	64.22	287.37	20.28
योग		1,062.86	411.19	1,388.63	191.46
2017-18	प्रयागराज	203.72	57.29	140.85	40.37
2018-19		200.35	100.21	95.29	77.08
2019-20		227.29	78.81	112.89	38.85
2020-21		481.27	87.45	98.43	18.38
2021-22		482.97	125.36	61.59	10.77
योग		1,595.60	449.12	509.05	185.45

(प्रोतः संबंधित इकाईयों के वार्षिक लेखे एवं बजट अभिलेख)

तालिका 4.2 से यह स्पष्ट है कि नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति एक जनपद में दूसरे जनपद से भिन्न है, यद्यपि, दोनों इकाईयों द्वारा अतिव्यापी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण धनराशि व्यय की गयी।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर में बताया कि राज्य विधानमंडल को शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों के हस्तांतरण की सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। इस तथ्य से सहमत होते हुए कि राज्य विधानमंडल को कार्यों के हस्तांतरण पर निर्णय लेना है, यह महत्वपूर्ण है कि शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कार्य वास्तव में उनके द्वारा क्रियान्वित हों।

अनुशंसाएं :

1. राज्य सरकार संविधान की 12वीं अनुसूची में परिकल्पित सभी क्रियाकलापों/कार्यों और उत्तरदायित्वों को शहरी स्थानीय निकाय को सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
2. विकेन्द्रीकरण प्राप्त करने की परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए राज्य सरकार निर्णयक कार्रवाई कर सकती है। शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किये गये कार्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

4.1.1 शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपविधि बनाये बिना भवन योजनाओं का अनुमोदन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 7 और धारा 298 के प्रावधान नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को भवन योजनाओं के सम्बन्ध में उपविधि बनाकर इनको मंजूरी देने का अधिकार देते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 21 नगर पालिका परिषद और 25 नगर पंचायत में से दस नगर पालिका परिषद⁹ और ग्यारह नगर पंचायत¹⁰ भवन योजनाओं के अनुमोदन की गतिविधि कर रहे थे। भवन योजनाओं का अनुमोदन निष्पादित करने वाले इन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में से पाँच नगर पालिका परिषद¹¹ और 10 नगर पंचायत¹² द्वारा भवन योजनाओं के लिए आवश्यक उपविधि बनाये बिना भवन योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा था।

इसके अलावा, इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने अनुमोदित योजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुपालन की निगरानी नहीं की थी। 2015–20 की अवधि में अनुमोदित योजनाओं की संख्या और उनसे प्राप्तियों जैसे विवरण भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) बताया कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को उपविधि के अनुपालन अथवा तैयार करने के लिए निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं।

4.2 शहरी स्थानीय निकाय के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को 15 कार्य पूर्ण रूप में तथा एक कार्य आंशिक रूप से हस्तांतरित किये। इन कार्यों का निर्वहन केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उपयुक्त संस्थानों की स्थापना की जाए और उन्हें पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए।

ऐसे संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता की तुलना में राज्य में मौजूद वैधानिक प्रावधानों और संस्थागत तंत्र की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

4.2.1 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव

प्रावधानों¹³ के अनुसार, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के देख-रेख, निर्देशन और नियंत्रण में संपन्न कराये जाने हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 31 और 35 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 11(ए) और 12(बी) के अनुसार, परिषद के पार्षदों/सदस्यों के निर्वाचन के उद्देश्य से नगर निगम/नगरपालिका के क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना है जो वार्ड के रूप में जाना जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी नहीं करने के कारण, शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में देरी हुयी जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

⁹ बछरांथूँ (अमरोहा), बिलासपुर (रामपुर), बिलारी (मुरादाबाद), चिरगांव (झांसी); गुरसराय (झांसी); मऊरानीपुर (झांसी), पलियाकलां (लखीमपुर खीरी), रसडा (बलिया), स्वार (रामपुर) और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)।

¹⁰ एका (फिरोजाबाद), फरिहा (फिरोजाबाद), कछवा (मिर्जापुर), कटेरा (झांसी), खमरिया (भदोही), कुण्डा (प्रतापगढ़), नौगवांसादात (अमरोहा), पाली (ललितपुर), रानीपुर (झांसी), शाहाबाद (रामपुर) और तालबेहठ (ललितपुर)।

¹¹ बिलारी (मुरादाबाद), चिरगांव (झांसी), गुरसराय (झांसी), पलिया कला (लखीमपुर खीरी) और स्वार (रामपुर)।

¹² एका (फिरोजाबाद), फरिहा (फिरोजाबाद), कछवा (मिर्जापुर), कटेरा (झांसी), खमरिया (भदोही), कुण्डा (प्रतापगढ़), नौगवांसादात (अमरोहा), पाली (ललितपुर), रानीपुर (झांसी) और शाहाबाद (रामपुर)।

¹³ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 35, 45 और 50 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 12बी और 13बी।

4.2.1.1 परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में देरी

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम¹⁴ और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम¹⁵ के प्रावधानों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों के लिये परिषद और मेयर/अध्यक्षों के पदों के लिए वार्डों का परिसीमन, आरक्षण एवं रोटेशन नीति की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। पुनः, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 8 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 10ए के अनुसार, परिषद के गठन के लिए निर्वाचन मौजूदा परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हो जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012 के दौरान चुनी गई परिषद का कार्यकाल जुलाई 2017 में समाप्त होने वाला था, लेकिन राज्य सरकार ने क्रमशः मार्च 2017 और अप्रैल 2017 तक परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, परिषद की सीटों और महापौर/अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के प्रस्ताव अक्टूबर 2017 में चार महीने से अधिक विलंब से राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए थे, जबकि इसे मई 2017 तक प्रस्तुत किया जाना था। इसी तरह, वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया जुलाई 2017 अर्थात् पिछली परिषद के कार्यकाल की समाप्ति माह तक भी पूर्ण नहीं हुई थी। जबकि, अप्रैल 2017 के महीने में इसके लिए निर्देश निर्गत कर दिए थे।

इस प्रकार, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में देरी के कारण, 653 शहरी स्थानीय निकाय के लिये वर्ष 2017 का चुनाव पूर्ववर्ती परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नहीं हो सका और यह पांच माह विलम्ब से हुआ।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) कहा कि चुनाव उसके और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हुए थे। जबकि, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में देरी के कारणों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.2.1.2 चुनावों और परिषदों के गठन की स्थिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यू (3)(ए) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों में परिषद के लिए उनकी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। परिषद का गठन करने के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौर का चुनाव) नियम, 2010 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित किया जाना है और इसे मौजूदा परिषद की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाना है। परिषद भंग होने की स्थिति में, चुनाव ऐसी तिथि से छह महीने के अन्दर होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिषदों के गठन हेतु चुनाव वर्ष 1995, 2000, 2006, 2012 और 2017 के दौरान कराये गए थे, जिनमें से वर्ष 2006 और 2012 के चुनाव क्रमशः ग्यारह और छह माह के विलंब से हुये थे। इसके अतिरिक्त, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष 2017 के चुनाव में भी देरी हुई, जैसा कि पूर्व प्रस्तर संख्या 4.2.1.1 में चर्चा की गयी है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय में वर्तमान चुनाव और परिषदों के गठन की स्थिति को निम्न तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

¹⁴ धारा 32, 7 और 50।

¹⁵ धारा 11बी, 9ए और 13जी।

तालिका: 4.3—शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव और परिषदों के गठन की स्थिति

शहरी स्थानीय निकाय की कुल संख्या (मार्च 2020 तक)	707
शहरी स्थानीय निकाय जिनके लिए वर्ष 2017 में चुनाव होने थे	653
शहरी स्थानीय निकाय जिनके लिए वर्ष 2017 में चुनाव आयोजित किये गए	652
शहरी स्थानीय निकाय जिनके के लिए वर्ष 2017 में चुनाव नहीं हुए	01
नवगठित शहरी स्थानीय निकाय (वर्ष 2017 के चुनाव के बाद)	54
नवगठित शहरी स्थानीय निकाय जिनमें चुनाव संपन्न हुआ	शून्य

(स्रोत: निवेशक, स्थानीय निकाय)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2017 में नगर पंचायत भरवारी को छोड़कर अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव हुए थे। इसके अलावा, राज्य के 54 शहरी स्थानीय निकायों में कोई परिषद नहीं थी क्योंकि इन नवगठित शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव भी नहीं हुए थे। एक निर्वाचित परिषद की अनुपस्थिति में, निर्णय लेने और कार्यान्वयन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी, जो लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है, विलुप्त थी। इसके अतिरिक्त एक परिषद के बिना किसी शहरी स्थानीय निकाय को नागरिकों द्वारा जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता था। शहरी स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव मई 2023 में हुए। उस समय, कुल 762 शहरी स्थानीय निकाय में से 760 शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव हुए थे।

इसके अतिरिक्त, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ) ने शहरी स्थानीय निकाय के कायकलाप में प्रशासकों की भूमिका के बारे में (दिसम्बर, 2011) चिंताएं व्यक्त की थीं और व्यवस्था दी थी कि नगरपालिकाओं के विधायी कार्यों को प्रशासक को प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने इन 55 शहरी स्थानीय निकाय के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की और वह भी सलाहकार समिति के प्रावधानों के बिना, जबकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 8एए (2)(आई) के अनुसार प्रशासक की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति¹⁶ नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, दो¹⁷ नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकाय में, जहां वर्ष 2017 के दौरान चुनाव आयोजित किए गए थे, अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया था या राज्य सरकार द्वारा उनकी वित्तीय शक्ति जब्त कर ली गई थी और प्रशासकों को सलाहकार समिति के प्रावधान के बिना नियुक्त किया गया था। इससे बजट अनुमानों को अपनाने और सार्वजनिक हित में करां को लगाने, विकास कार्यों को प्राथमिकता देने आदि से संबंधित नीतिगत मामलों में कार्यों का निर्वहन प्रभावित हुआ।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में देरी हुयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2006 के बाद से शहरी स्थानीय निकाय का कोई भी आम चुनाव समय पर नहीं हुआ था। इसके अलावा, सलाहकार समिति के बिना प्रशासकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.2.1.3 निर्वाचन पर व्यय

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण और चुनाव कराने के सम्बन्ध में किए गए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा जब तक अन्यथा निर्देशित न किया गया हो, नगर निगम पर अधिरोपित कर

¹⁶ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 31 ए (बी) (iii) भी राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अधिकृत करती है।

¹⁷ नगर पालिका परिषद: बिलारी (मुरादाबाद) और नगर पंचायत: रानीपुर (झाँसी)।

वसूला जाना चाहिए। तथापि, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में कोई समरूप प्रावधान नहीं किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1995 में बनाये गए उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण) नियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से निर्वाचक नामावली की तैयारी पर खर्चों की वसूली नगरपालिकाओं से किया जाना था। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण) नियम 1994¹⁸ के प्रावधानों के अंतर्गत भी नगर निगमों से मतदाता सूची पर खर्च की वसूली की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय से चुनाव खर्चों की वसूली का तरीका निर्धारित नहीं किया और वर्ष 2017–18 में शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव के सम्बन्ध में किए गए ₹0 65.31 करोड़ के खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) बताया कि शहरी स्थानीय निकाय की खराब वित्तीय स्थिति के कारण सरकार द्वारा निर्वाचन खर्च वहन करना उचित लगता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकाय से निर्वाचन का खर्च वसूलना होता है। इसके अलावा, राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें और अधिक वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करती।

अनुसंशा 3:

राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन समय से संपन्न कराने के लिये वार्डों के परिसीमन और सीटों एवं पदों के आरक्षण सम्बन्धी कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

4.2.2 नगरपालिकाओं और नगर निगमों की संरचना

अनुच्छेद 243आर नगरपालिकाओं की संरचना को निर्धारित करता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 6 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, नगर निगमों और नगरपालिकाओं में निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष, निर्वाचित¹⁹ पार्षद/सदस्य, नामित²⁰ पार्षद/सदस्य (नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के बीच राज्य सरकार द्वारा) और पदेन सदस्य शामिल हैं (जिसमें विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोक सभा सदस्य और राज्य सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण/या आंशिक रूप से नगरपालिका/नगर पालिका क्षेत्र शामिल हैं या उसमें निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं)। नामित सदस्यों के पास मतदान का अधिकार भी होता है। पार्षदों/सदस्यों का कार्यकाल परिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है।

4.2.2.1 सदस्यों को नामित करने में देरी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिषदों का गठन वर्ष 2017 के चुनाव के बाद दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 के मध्य किया गया था। जबकि, राज्य सरकार ने 25 महीने से अधिक के विलंब से मार्च 2020 में परिषदों में सदस्यों को नामित किया। यही वर्ष

¹⁸ नवंबर 1994 के महीने के दौरान राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया।

¹⁹ नगर निगम के लिए: 60 से 110 सदस्य, नगर पालिका परिषद: 25 से 55 सदस्य और नगर पंचायत के लिए: 10 से 24 सदस्य।

²⁰ राज्य सरकार नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से परिषद में सदस्यों को नामित करेगी (नगर निगम: पांच से दस सदस्य, नगर पालिका परिषद: तीन से पांच सदस्य और नगर पंचायत: दो से तीन सदस्य)।

2012 के चुनाव के बाद भी हुआ था, जहाँ राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2013 और जनवरी 2014 के बीच आठ से सत्रह माह के विलंब से सदस्यों को नामित किया गया था, यद्यपि, परिषदों का गठन जुलाई 2012 के महीने में हो गया था।

इस प्रकार, नगरपालिका प्रशासन के अनुभव वाले सदस्यों को नामित करने में देरी ने परिषदों को उनके कार्यों के प्रबंधन की क्षमता को प्रभावित किया।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सदस्यों को नामित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में सदस्यों को नामित करने में विलम्ब उत्तर प्रदेश नगर निगम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की भावना के अनुरूप विवेकपूर्ण नहीं था।

4.2.3 परिषद की कार्यप्रणाली

परिषद शहरी स्थानीय निकायों का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला अंग है। नगरपालिका प्रशासन की शक्तियां और नगरपालिका के कर्तव्य परिषद में निहित हैं। परिषद की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन विभिन्न नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है, यद्यपि, वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए परिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं। नगर निगम में, परिषद की ओर से, नगरपालिका प्रशासन का अधीक्षण कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें महापौर और 12 पार्षद सम्मिलित होते हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में नगरपालिकाओं के लिए कार्यकारी समिति का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की अनुसूची-I एवं अन्य धाराओं के प्रावधानों के अनुसार, परिषद को महापौर/अध्यक्ष या नगर आयुक्त/ कार्यकारी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या किसी समिति से कोई रिपोर्ट/ विवरण/अभिलेख/दस्तावेज आदि माँगने; अनुबंधों और बजट को स्वीकृति करने और संशोधित करने, समितियों का गठन करने, अध्यक्ष या समितियों के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने, करों को लागू करने, करों की दरों को निर्धारित करने, विनियम और उपविधि बनाने आदि कार्य प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त, परिषद द्वारा बजट की स्वीकृति के बिना किसी भी नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाना है।

कार्यकारी समिति को नगर आयुक्त से रिपोर्ट/विवरण/अभिलेख/दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने, अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी देने, संपत्ति का पट्टा या निपटान, अनुबंधों और आकलनों को स्वीकृति देने, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और लेखों के विवरण की जाँच करने, बजट अनुमानों को स्वीकृति देने, प्रस्ताव तैयार करने और किसी भी कर को आरोपित करने के लिए मसौदा नियम तैयार करने, मूल्यांकन सूची में संशोधन करने आदि का भी अधिकार है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिषद की कार्यप्रणाली में कमी थी जैसा कि आगामी प्रस्तरों में बताया गया है।

4.2.3.1 परिषद की बैठकें

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 88 के अनुसार, अपने कार्यों को सम्पादित करने के लिए हर वर्ष कम से कम छह बार परिषद की बैठकें आयोजित की जानी हैं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 में प्रत्येक माह परिषद की कम से कम एक बैठक निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 102 और 103 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, परिषद के पास परिषद और समितियों की बैठकों की कार्यवाही/बैठकें आयोजित करने के तरीके और प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम/विनियम बनाने की शक्तियाँ हैं।

लेखापरीक्षा ने नमूना—जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में परिषद की आयोजित बैठकों में कमी देखी, जैसा कि परिशिष्ट-V में विस्तृत रूप में बताया गया है और निम्नलिखित तालिका 4.4 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 4.4: 2015–20 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में परिषद की आयोजित बैठकों का विवरण

शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार/चयनित इकाइयों की संख्या	चयनित इकाइयों में आयोजित होने वाली बैठकों की निर्धारित संख्या	की गयी बैठकों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
नगर निगम (04)	96	52	44 (46)
नगर पालिका परिषद (21)	1,134	452	682 (60)
नगर पंचायतें (25)	1,242	614	628 (51)
योग	2,472	1,118	1,354 (55)

(ज्ञात: नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि नमूना—जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकाय में परिषद की बैठकें आयोजित करने में कुल कमी 55 प्रतिशत थी। नगर निगम में कमी 30 प्रतिशत²¹ से 63 प्रतिशत²², नगर पालिका परिषद में 15 प्रतिशत²³ से 87 प्रतिशत²⁴ और नगर पंचायत में 6 प्रतिशत²⁵ से 85 प्रतिशत²⁶ के मध्य थी, जो इंगित करता है कि परिषद ने नगरपालिका प्रशासन में इष्टतम भूमिका नहीं निभाई क्योंकि उन्हें सार्वजनिक हित और नीतिगत मामलों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 91 के अनुसार, नगर निगम के सम्बन्ध में बैठक की कार्यसूची को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 96 घंटे पूर्व प्रत्येक सदस्य के पते पर भेजा जाना था। तथापि, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत समान प्रावधान नहीं थे, हालांकि, नगरपालिकाओं के उप-नियमों के अनुसार परिषद की बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को कार्यसूची भेजना आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल तीन नगर निगम²⁷; चार नगर पालिका परिषद²⁸ और दो नगर पंचायत²⁹ में (कुल नमूना जाँच किये गये चार नगर निगम; 21 नगर पालिका परिषद और 25 नगर पंचायत में से), बैठक का एजेंडा पार्षदों/सदस्यों को प्रेषित किया गया था।

इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने परिषद की बैठक के एजेंडे और कार्यवाही से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए अपनी वेबसाइट का उपयोग नहीं किया था। यदि शहरी स्थानीय निकाय ने परिषद के कार्यप्रणाली से संबंधित कार्यों के प्रकाशन के लिए इस माध्यम का उपयोग किया होता, तो परिषद के निर्णयों पर बेहतर पारदर्शिता और समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती थी।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस सम्बन्ध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

²¹ नगर निगम: लखनऊ।

²² नगर निगम: मुरादाबाद।

²³ नगर पालिका परिषद: गुरसराय (झांसी)।

²⁴ नगर पालिका परिषद: स्वार (रामपुर)।

²⁵ नगर पंचायत: तालबेट (ललितपुर)।

²⁶ नगर पंचायत: शाहाबाद (रामपुर)।

²⁷ नगर निगम: झांसी, मथुरा-वृदावन और मुरादाबाद।

²⁸ नगर पालिका परिषद: चिरगांव (झांसी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झांसी), और दुण्डला (फिरोजाबाद)।

²⁹ नगर पंचायत: एका (फिरोजाबाद) और ओयलढकवा (लखीमपुर खीरी)।

4.2.3.2 कार्यकारी समिति की बैठकें

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 89 के अनुसार, कार्य संपादन के लिए कार्यकारी समिति की बैठकें हर महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। तथापि, नमूना-जाँच किये गये नगर निगम की लेखापरीक्षा में कार्यकारी समिति की बैठकों में 56 से 83 प्रतिशत के बीच कमी पाई गई, जैसा कि तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में 2015–20 के दौरान आयोजित कार्यकारी समिति की बैठकों का विवरण

नगर निगम का नाम	आयोजित होने वाली बैठकों की निर्धारित संख्या	आयोजित बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत)
झाँसी	54	09	45 (83)
लखनऊ	54	22	32 (59)
मथुरा-वृन्दावन	27	12	15 (56)
मुरादाबाद	54	18	36 (67)
योग	189	61	128 (68)

(स्रोत: नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

इस प्रकार, कार्यकारी समिति की नियमित बैठकों की कमी के कारण, नगरपालिका प्रशासन के पर्यवेक्षण में इसकी भूमिका इष्टतम नहीं थी।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2.3.3 बैठकों में भाग लेने के लिए वाहन भत्ता

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 30ए और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, परिषद या अन्य समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए पार्षद/सदस्य ऐसे वाहन भत्ता या सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं, जो नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया गया हो। तदनुसार, राज्य सरकार ने परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए नगर निगम के पार्षदों (₹1500 रुपये प्रति माह की दर से) और नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्यों (₹1,000 रुपये प्रति माह की दर से) को वाहन भत्ते के भुगतान के लिए इस शर्त के साथ नियम³⁰ बनाया (जनवरी 2015) कि वाहन भत्ते पर होने वाला खर्च शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा।

यह देखा गया कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से, एक नगर निगम (लखनऊ), दो नगर पालिका परिषद (रामपुर की बिलासपुर और झाँसी की मऊरानीपुर) और दो नगर पंचायत (झाँसी की कटेरा और रामपुर की शाहाबाद) में, 2015–20 की अवधि के दौरान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए पार्षदों/सदस्यों को न तो वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था और न ही कोई सुविधा प्रदान की गई थी। तथापि, शेष नमूना जाँच किए गए 19 नगर पालिका परिषद और 23 नगर पंचायत (नगर निगम को छोड़कर) में, जहां सदस्यों को वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था, इस प्रयोजनार्थ बजट में आवश्यक प्रावधान नहीं किए गए थे। यह इन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत द्वारा वाहन भत्ते का भुगतान अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से किये जाने का परिचायक था क्योंकि नगर पालिका परिषद

³⁰ उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्षद वाहन भत्ता नियमावली 2014 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका/नगर पंचायत पार्षद वाहन भत्ता नियमावली 2014।

रसड़ा और नगर पंचायत बैरिया (बलिया) की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे प्रकरण भी पाए गए थे कि भुगतान³¹ राज्य वित्त आयोग निधि से किया गया था।

इस प्रकार, बजट में प्रावधान के बिना, नमूना जाँच किए गए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत द्वारा वाहन भत्ते का भुगतान, अनियमित था।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि वेतन और भत्तों का भुगतान केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान से किया जा सकता है और आगे कहा कि बजट प्रावधानों के आधार पर वाहन भत्ते के भुगतान के लिए शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाहन भत्ते का भुगतान शहरी स्थानीय निकाय के अपने संसाधनों से किया जाना था।

4.2.3.4 समितियों का गठन

वार्ड समिति के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 5, 95 और 97 में अपने कार्यों के प्रबंध के लिये परिषद द्वारा कार्यकारी समिति, विकास समिति, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा³² के लिए समितियों, विशेष समिति और संयुक्त समिति के गठन का प्रावधान है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 104 और 110 में विशेष समिति, संयुक्त समिति आदि के गठन का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, कार्यकारी समिति को छोड़कर, जो केवल नगर निगमों में गठित की गई थी, 2015–20 की अवधि के दौरान कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, इन समितियों के अस्तित्व में न होने के कारण, निर्वाचित प्रतिनिधियों, हितधारकों, तकनीकी विशेषज्ञों आदि की सक्रिय भागीदारी के साथ नीतिगत मामलों को तय करने में इन मंचों का उपयोग नहीं किया जा सका।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2.3.5 वार्ड समितियों की संरचना और गठन

नगरपालिका प्रशासन को जनमानस के करीब ले जाने की दृष्टि से, संविधान तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों की संरचना का प्रावधान करता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 6(ए) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 3(बी) के अनुसार, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाना है। इसके अतिरिक्त, परिषद के पार्षदों/सदस्यों और संबंधित वार्ड के पंजीकृत मतदाताओं को वार्ड समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाना है। इन निकायों का कार्यकाल परिषद के साथ—साथ रहता है। वार्ड समितियों को नगरपालिका प्रशासन और नागरिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है और उन्हें ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को निष्पादित करना है जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किये गये हों।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2014 के दौरान क्रमशः नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत में वार्ड समिति की भूमिका और

³¹ नगर पंचायत बैरिया (2018–19 के दौरान आयोजित कुल आठ बैठकें) और नगर पालिका परिषद रसड़ा (2020–21 के दौरान आयोजित कुल पाँच बैठकें) में परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिए राज्य वित्त आयोग निधि से 2.13 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

³² राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से नगर निगम द्वारा विद्युत आपूर्ति स्थापित या प्राप्त करने अथवा सार्वजनिक परिवहन उपक्रम आदि के लिए गठित।

जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (वार्ड समिति) नियम 2014 और उत्तर प्रदेश नगरपालिका (वार्ड समिति) नियम 2014 बनाये। तदनुसार, इन समितियों को नगर निगम/नगरपालिका की विकास योजनाओं³³ का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अपने क्षेत्र की सड़कों और अन्य क्षेत्रों की उचित सफाई सुनिश्चित करना, नगर निगम की मांगों के अनुसार करां और शुल्कों की वसूली आदि कार्य करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन के प्रावधान थे, तथापि, राज्य में तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले केवल तीन नगर पालिका परिषद³⁴ थे। यह भी देखा गया कि 2015–20 के दौरान नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर निगम में वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया था, यद्यपि, उनकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक थी। इसी तरह, 2015–20 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की गई किसी भी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, वार्ड समितियों का गठन नहीं करने से स्थानीय प्रशासन में सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाने का उद्देश्य विफल हो गया। सामुदायिक सहभागिता की अनुपस्थिति से विकास कार्य की प्राथमिकता, निष्पादित कार्यों का अनुश्रवण, सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग और रखरखाव आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुशंसा 4 :

उत्तर प्रदेश नगर निगम/नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार समिति, वार्ड समिति और विकास समिति आदि जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया जा सकता है और उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पोषित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4.2.3..6 विकास योजनाओं का अनुमोदन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127वीं और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 383ए के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी तथा नगर निगमों की विकास समिति द्वारा तैयार की जानी है और अनुमोदन के लिए परिषद के समक्ष रखी जानी है। परिषद के अनुमोदन के उपरांत, समग्र रूप से जिला/महानगरीय क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए विकास योजना को जिला/महानगरीय योजना समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015–20 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से किसी में भी वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गई थी। अपेक्षित योजना तैयार न करने के कारण इसे समग्र रूप से जिला/महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने और अनुमोदन के लिए परिषद और जिला महानगर योजना समिति को अग्रेषित नहीं किया जा सका।

³³ सड़कों, गलियों, गलियों, सीवरों, पानी के कनेक्शन आदि के निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और नवीकरण से संबंधित।

³⁴ गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद लोनी, मुजफ्फरनगर और रामपुर।

इस प्रकार, नियोजन गतिविधि में परिषद की भागीदारी की कमी के कारण, निर्वाचित प्रतिनिधि सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों में नागरिकों की वैध आकांक्षाओं को संप्रेषित नहीं कर सके।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2.3.7 बजट अनुमानों का अनुमोदन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 146 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 95 और 99 के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व परिषद द्वारा स्वीकृत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 92 के अनुसार, यदि अध्यक्ष की राय में, परिषद द्वारा बजट अनुमान का अनुमोदन नगरपालिका हित के विरुद्ध है, तो इसे राज्य सरकार के परामर्श से निर्णय के लिए निदेशक (स्थानीय निकाय) को भेजा जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये सात नगर पालिका परिषद³⁵ और नौ नगर पंचायत³⁶ में अवधि 2015–20 के दौरान, न तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार किए गए थे और न ही अनुमोदन के लिए परिषद को प्रस्तुत किए गए थे। नगर निगम मुरादाबाद में वर्ष 2015–16 के लिए बजट तैयार किया गया था, लेकिन परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार, छह नमूना–जाँच नगर पंचायतों³⁷ में, 2015–20 की अवधि के किसी भी वर्ष के लिए कोई बजट अनुमान अनुमोदन के लिए परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि परिषिष्ट–VI में बताया गया है।

इसके अलावा, 2017–20 के दौरान, छह³⁸ नगरपालिकाओं के अध्यक्ष ने परिषद में बहुमत की कमी या परिषद की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण बजट अनुमानों को अनुमोदन के लिए निदेशालय को भेज दिए थे। तथापि, निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के बजट अनुमानों को या तो अंगीकार नहीं किया जा सका या उन्हें अंगीकृत करने में विलंब हुआ।

इस प्रकार, परिषद द्वारा बजट के अनुमोदन के बिना व्यय करना, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था और शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय मामलों में परिषद के नियंत्रण की कमी का संकेतक था।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

³⁵ बलिया: वर्ष 2018–20 के लिए, भदोही: वर्ष 2017–18 के लिए, गुरसराय (झांसी): वर्ष 2015–18 के लिए, पलिया कलां (लखीमपुर खीरी): वर्ष 2017–18 के लिए रसड़ा (बलिया): वर्ष 2019–20 के लिए, स्वार (रामपुर): वर्ष 2015–18 के लिए और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद): वर्ष 2017–18 के लिए।

³⁶ बैरिया (बलिया): वर्ष 2018–20 के लिए, एका (फिरोजाबाद): वर्ष 2018–20 के लिए, इटौंजा (लखनऊ): वर्ष 2016–17 और 2018–20 के लिए, खीरी (लखीमपुर खीरी): वर्ष 2019–20 के लिए, कुण्डा (प्रतापगढ़): वर्ष 2018–19 के लिए, मनियर (बलिया): वर्ष 2015–17 और 2011–20 के लिए, मसवासी (रामपुर): वर्ष 2016–17 के लिये, पाली (ललितपुर): वर्ष 2019–20 के लिये और शाहाबाद (रामपुर): वर्ष 2017–18 और 2019–20 के लिए।

³⁷ बख्ती का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), गोकुल (मथुरा), कटरा मेदिनीगंज (प्रतापगढ़), रानीपुर (झांसी), और उमरीकलां (मुरादाबाद)।

³⁸ वर्ष 2017–18 के लिए नगर पालिका परिषद सीतापुर, नगर पंचायत घुघुली (महाराजगंज) और पलियाकलां (लखीमपुर खीरी), 2018–19: नगर पालिका परिषद जायस (रायबरेली), नगर पंचायत भरगैन (कासगंज) 2019–20: नगर पंचायत दिवियापुर (ओरैया)।

4.2.3.8 अनुबंधों और प्राक्कलनों का अनुमोदन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 132(4) के अनुसार, बीस लाख रुपये से अधिक के व्यय वाला कोई भी अनुबंध परिषद के अनुमोदन के बाद नगर आयुक्त द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 96 और 97 के अनुसार, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के मामले में क्रमशः पचास हजार और पंद्रह हजार रुपये से अधिक के अनुबंध, परिषद की स्वीकृति के बाद अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 136 के अनुसार, परिषद के पास बीस लाख रुपये से अधिक के प्राक्कलनों को मंजूरी देने की शक्ति है, हालांकि, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों ने प्राक्कलनों के अनुमोदन में परिषद को कोई भूमिका नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 95 के अनुसार, राज्य सरकार को प्राक्कलनों की तैयारी और स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम बनाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, अपेक्षित राशि के अनुबंधों के निष्पादन के लिए 2015–20 के दौरान नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से किसी में भी परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसी तरह, नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर निगम में, बीस लाख रुपये से अधिक के प्राक्कलनों, को अनुमोदन के लिए परिषद को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह कार्यकारी प्रमुख द्वारा अनुबंधों और प्राक्कलनों के अनुमोदन में परिषद के अधिकार की अनदेखी किये जाने का द्योतक है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में प्राक्कलनों की तैयारी और स्वीकृति से संबंधित मामलों को शासित करने के लिए नियम भी नहीं बनाए। फलस्वरूप, नगरपालिकाओं में प्राक्कलनों के अनुमोदन में परिषद की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की।

अनुशंसा 5 :

शहरी स्थानीय निकायों के समुचित कार्यप्रणाली के लिए परिषद और कार्यकारी समिति की समय पर बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिए और कार्यों को पारदर्शी तरीके से निष्पादित करने के लिए परिषद को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

4.2.4 महापौर/अध्यक्ष

महापौर/अध्यक्ष शहर/कस्बे का प्रथम नागरिक होता है और पांच वर्षों की अवधि के लिए सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। महापौर/अध्यक्ष का कार्यकाल परिषद के कार्यकाल के साथ–साथ ही समाप्त होता है, हालांकि, वे राज्य सरकार को त्यागपत्र देकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। महापौर को परिषद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है, यद्यपि, ऐसा प्रस्ताव महापौर द्वारा पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कारण बताओ नोटिस देने के बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत निर्धारित आधारों पर राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को किसी भी समय उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

अग्रेतर, महापौर/अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत, नगर निगम/नगर पालिका की कार्यकारी शक्ति नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी में निहित है। महापौर/अध्यक्ष को परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार है, निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, परिषद के किसी भी प्रस्ताव के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को कोई निर्देश दे सकता है और कार्यकारी प्रमुख से नगर निगम/नगरपालिका का कोई अभिलेख मांग सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय के कई महत्वपूर्ण मामलों में, महापौर/अध्यक्ष की या तो कोई भूमिका नहीं है या सीमित भूमिका है। परिषद और राज्य सरकार की तुलना में महापौर/अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियों की तुलना **परिशिष्ट-VII** में विस्तृत रूप से प्रदर्शित है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कार्यकारी समिति का प्रमुख होने के कारण, शहरी स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली में महापौर को अध्यक्ष की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। प्राक्कलनों के अनुमोदन, करों का अधिरोपण, नगरपालिका करों की दर के निर्धारण आदि में महापौर की भूमिका होती है, जबकि अध्यक्ष के पास इन क्षेत्रों में कोई शक्तियां नहीं हैं। इसकी पुनः पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि राज्य सरकार ने (फरवरी 2019) मण्डलायुक्त के स्थान पर महापौर को एक समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, जिसे नगर निगमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अनुदान और बुनियादी ढांचा निधि के कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया था। हालाँकि, नगर पालिकाओं के मामले में अध्यक्ष के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और इस उद्देश्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करता है।

यह भी देखा गया कि यद्यपि, नगर निगम/नगरपालिका की कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास निहित थीं, लेकिन नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति में महापौर/अध्यक्ष की कोई अधिकार नहीं था जो शहरी स्थानीय निकाय के कार्यप्रणाली में स्वायत्तता को सीमित करता है।

नगर विकास विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2022) और बताया कि वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के कुछ क्षेत्रों में, अध्यक्ष के पास महापौर की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं।

4.2.4.1 महापौर/ अध्यक्ष को भत्ते या सुविधाएं

नगर निगम/नगरपालिका द्वारा महापौर/अध्यक्ष को दिए जाने वाले भत्ते या सुविधाएं राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के अध्यक्ष को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से शिष्टाचार व्यय (₹15,000 प्रति माह की दर से) के लिए बजट प्रावधान करने का निर्देश दिया (मार्च 2014)। इसी प्रकार, महापौर नगर निगम से वाहन और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के हकदार थे।

नमूना जाँच किये गये चार नगर निगम की लेखापरीक्षा अवलोकन में पाया गया कि महापौर को वाहन और व्यक्तिगत कर्मचारियों की सुविधा प्रदान की गई थी, यद्यपि, नमूना जाँच किये गये 13 नगर पालिका परिषद³⁹ और 15 नगर पंचायत⁴⁰ में, 2015–20

³⁹ अमरोहा, बलिया, बछरायू (अमरोहा), भद्रोही, बिलासपुर (रामपुर), चिरगांव (झांसी), गुरसराय (झांसी), कोसीकला (मथुरा), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झांसी), पलियाकला (लखीमपुर खीरी), रामपुर और सिरसागंज (फिरोजाबाद)।

⁴⁰ बख्ती का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), गोकुल (मथुरा), ज्ञानपुर (भद्रोही), जोगा (अमरोहा), कटेरा (झांसी), कछवा (मिर्जापुर), कटरामेदिनीगंज (प्रतापगढ़), खमरिया (भद्रोही), खीरी (लखीमपुर खीरी), मसवासी (रामपुर), ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी), रानीपुर (झांसी), नौगवांसादात (अमरोहा) और शाहाबाद (रामपुर)।

के मध्य अध्यक्ष को शिष्टाचार व्यय का भुगतान नहीं किया गया था, जो शहरी स्थानीय निकाय के कमजोर वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। इसके अलावा, शेष नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, जिनमें अध्यक्ष को शिष्टाचार व्यय का भुगतान किया गया था, इस सम्बन्ध में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप अनियमित व्यय हुआ, क्योंकि परिषद द्वारा बजट अनुमानों के अनुमोदन के बिना नगरपालिका निधियों से कोई व्यय नहीं किया जाना था।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2.5 जिला योजना समिति की भूमिका

अनुच्छेद 243 जेड डी पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं के एकीकरण के लिए एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 127ए और उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकाय⁴¹ और पंचायतों के निर्वाचित सदस्य के साथ राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना समिति के गठन का अधिदेश है। प्रावधानों के अनुसार, जिला योजना समिति को स्थानिक नियोजन सहित पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा; अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण आदि सहित; सामान्य हित के मामलों के सम्बन्ध में एक समेकित जिला विकास योजना तैयार करनी थी। राज्य योजना में एकीकरण के लिए जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरांत जिला विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाना था। जिला योजना समिति की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जानी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला योजना समिति का गठन राज्य के सभी जिलों में किया गया था, तथापि, इसकी बैठकें नियमित रूप⁴² से आयोजित नहीं की गयी थीं। इसके अलावा, समग्र जिले के लिए समेकित जिला विकास योजना भी किसी भी जिले में तैयार नहीं किया गया था, जिसमें नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे क्योंकि नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से किसी ने भी विकास योजनाएं तैयार नहीं की थीं (जैसा कि प्रस्तर संख्या 4.2.3.6 में पहले चर्चा की गई है)। फलस्वरूप, कार्य वितरण की नियोजन प्रक्रिया में जिला योजना समिति की भूमिका अप्रभावी रही।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय से आवश्यक कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

4.2.6 महानगर योजना समिति की भूमिका

अनुच्छेद 243 जेड इह अधिदेश देता है कि संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 57(ए) महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें 21 से 30 सदस्य⁴³ हो सकते हैं। महानगर योजना समिति की प्रक्रियाओं और कार्यों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति, नियमावली, 2011

⁴¹ जिला योजना समिति के 80 प्रतिशत सदस्यों का चुनाव शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से किया जाना था।

⁴² अधिकांश चयनित जिलों में, जिला योजना समिति की बैठक प्रावधानों के अनुसार त्रैमासिक के विपरीत सालाना आयोजित की जा रही थी।

⁴³ महानगर योजना समिति के दो तिहाई सदस्यों को नगर पालिकाओं और पंचायतों के मेट्रोलिटन एरिया के सदस्यों से चुने जाने थे तथा महानगर योजना समिति के शेष सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने थे।

अधिनियमित (अगस्त 2011) की गई थी। इसी प्रकार जिला योजना समिति की तरह महानगर योजना समिति द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं के मध्य सामान्य हित के मामलों के सम्बन्ध में एक व्यापक महानगरीय विकास योजना तैयार करनी थी। राज्य योजना में एकीकरण के लिए महानगर योजना समिति के अनुमोदन के बाद महानगरीय विकास योजना को भी राज्य सरकार को भेजा जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने छह शहरों⁴⁴ के लिए महानगर योजना समिति के गठन की प्रक्रिया (अगस्त 2016) शुरू की, हालांकि, महानगर योजना समिति का गठन राज्य के किसी भी शहर में नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, महानगर क्षेत्र के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी और महानगर योजना समिति के प्रावधान अप्रभावी रहे।

नगर विकास विभाग ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय से आवश्यक कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

4.2.7 शहरी स्थानीय निकाय पर राज्य सरकार की शक्तियाँ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार के पास शहरी स्थानीय निकाय पर अध्यारोही शक्तियाँ थीं, जो संविधान संशोधन की भावना के विरुद्ध थी। कुछ प्रावधान निम्न तालिका 4.6 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 4.6: शहरी स्थानीय निकाय पर राज्य सरकार की अध्यारोही शक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	विषय	प्रावधान
1	नियम बनाने की शक्तियाँ	राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के गठन और शासन, अधिकारियों और कर्मचारियों, सम्पत्ति और अनुबंधों, निगम / नगर पालिका और अन्य निधियों, उधार, कराधान, नालियों और जल निकासी, जल कार्यों, सार्वजनिक सड़कों, भवन विनियमों, बाजारों और बूचड़खानों के विनियमन, महत्वपूर्ण आँकड़े, मुआवजा आदि जैसे विभिन्न विषयों पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है। (उत्तर प्रदेश नगर निगम के अनुच्छेद 87, 113, 124, 138, 153, 154, 171, 172, 227, 262, 271, 314, 342, 453, 455 एवं 459 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 73, 95, 127, 153, 235 एवं 296)
2	शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पारित संकल्प या निर्णय को रद्द करने और निलंबित करने की शक्ति।	राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पारित किसी प्रस्ताव या निर्णय को रद्द या निलंबित कर सकती है, यदि राज्य सरकार की राय है कि यह उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन या उससे अधिक है या ऐसी किसी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए पारित या बनाया गया है या मानव जीवन स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने या सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल होने की संभावना है। नगरपालिकाओं के मामले में भी, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 537 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 34) के किसी भी संकल्प या आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने का अधिकार है।
3	उपविधि को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति।	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 541 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 शहरी स्थानीय निकाय को उपविधि बनाने का अधिकार देती है। तथापि, यदि राज्य सरकार की

⁴⁴ आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी।

		यह राय है कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बनाए गए उपविधि को पूरी तरह या आंशिक रूप से संशोधित या निरस्त किया जाना चाहिए, तो संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 547 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 301ए) को प्रतिवेदन के लिए उचित समय देने के बाद, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है।
4	उपविधि और विनियम बनाने की शक्तियाँ।	यदि राज्य सरकार की राय है कि शहरी स्थानीय निकाय कोई उपविधि/विनियम बनाने में विफल रहे हैं या यदि नगर निगम द्वारा बनाए गए उपविधि पर्याप्त नहीं हैं, तो राज्य सरकार अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा उपविधि बना सकती है या उपविधि को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 549 और 298, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 298, 297 और 301ए)।
5	सेवाओं का सृजन	राज्य सरकार सभी शहरी स्थानीय निकाय के लिए सामान्य ऐसे अधिकारियों और सेवकों की एक या अधिक सेवाओं के सृजन की व्यवस्था कर सकती है जो वह उपयुक्त समझे और ऐसी किसी भी सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 112ए और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 69बी)।
6	कर आरोपित के प्रस्तावों को अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128 शहरी स्थानीय निकाय को कुछ प्रतिबंधों के साथ विभिन्न विषयों पर कर आरोपित करने की अनुमति देती है। इस प्रयोजनार्थ, शहरी स्थानीय निकाय के संकल्प पर, राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। तथापि, राज्य सरकार या तो प्रस्तावों को मंजूरी देने से इंकार कर सकती है अथवा उन्हें आगे विचार के लिए शहरी स्थानीय निकाय को वापस कर सकती है या उन्हें बिना किसी संशोधन के या ऐसे संशोधन के साथ जिसमें आरोपित की जाने वाली राशि में वृद्धि न हो, जैसा वह उचित समझे, मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा, नगर पालिकाओं के मामले में, इन अभिभावी शक्तियों का उपयोग मण्डलायुक्त (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 201 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 133) द्वारा भी किया जा सकता है।
7	करों को समाप्त करने या कर आरोपण का निर्देश देने की शक्ति।	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 205 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 137 के अनुसार, यदि राज्य सरकार की राय में किसी कर का आरोपण सार्वजनिक हितों के विपरीत है या कोई कर अनुचित है, तो वह संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को दोषों को दूर करने या अधिसूचना द्वारा कर के आरोपण को या उसके किसी भाग को निलंबित करने का निर्देश दे सकती है जब तक कि दोष को दूर नहीं कर दिया जाता है, या कर को समाप्त या कम कर सकता है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 206 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 130ए के अनुसार, राज्य सरकार अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शहरी स्थानीय निकाय से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में उल्लिखित किसी भी कर को लागू करने या पहले से लगाये गये किसी भी कर की दर को बढ़ाने, संशोधित या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकती है। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के ऐसा करने में विफल रहने पर, राज्य सरकार कर लगाने, बढ़ाने, संशोधित या परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है।
8	कार्यवाही करने के लिए निर्देश देने	यदि राज्य सरकार की राय में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत शहरी स्थानीय

	की शक्ति	निकाय के प्राधिकारी द्वारा किसी दायित्व का पालन नहीं किया गया है या अपूर्ण, अक्षम या अनुपयुक्त तरीके से निष्पादित किया गया है और ऐसे किसी भी कर्तव्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है, तो वह संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है। इसके अलावा, उचित समय के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने के मामलों में, राज्य सरकार आवश्यक कर्तव्य निभाने के लिए नगर निगम के खर्च पर कुछ व्याकुलियों को नियुक्त कर सकती है या जिलाधिकारी को आवश्यक कर्तव्य निष्पादित करने के लिए निर्देशित कर सकती है (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 533 एवं 534 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 35)।
9	सुधार योजनाओं को अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधान, नगर निगमों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ विभिन्न सुधार योजनाएं तैयार करने का अधिकार देते हैं। तथापि, राज्य सरकार किसी भी सुधार योजना को संशोधन या बिना संशोधन के साथ मंजूरी दे सकती है या उसे मंजूरी देने से इंकार कर सकती है या पुर्णविचार के लिए वापस कर सकती है (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 361)। इसके अतिरिक्त, नगर निगम के क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्थिति में सुधार योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नगर निगम की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं।

(स्रोत: उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम)

उपर्युक्त के अलावा, शहरी स्थानीय निकाय को परिषद् द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रति राज्य सरकार, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, नगर पालिकाओं के मामले में, मण्डलायुक्त को किसी भी कार्य का निरीक्षण करने, किसी भी दस्तावेज और विवरण की मांग करने, परिषद् की कार्यवाही के सम्बन्ध में नगर पालिका के विचार हेतु लिखित रूप में टिप्पणी करने का अधिकार अधिकार दिया गया था।

इस प्रकार, राज्य सरकार और उसके प्राधिकारियों के पास शहरी स्थानीय निकाय पर कई अध्यारोही शक्तियाँ हैं।

नगर विकास विभाग ने (नवम्बर 2022) उत्तर दिया कि शहरी स्थानीय निकाय के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए राज्य को अध्यारोही शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4.3 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के 27 वर्षों के बाद भी सभी गतिविधियों/कार्यों और जिम्मेदारियों को शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित नहीं किया था। कार्य/गतिविधियाँ जैसे भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए योजना, जिससे लोगों की भागीदारी और कार्यपालिका की जवाबदेही में वृद्धि होती, अभी तक हस्तांतरित किए जाने हैं। राज्य सरकार द्वारा परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया में देरी के कारण परिषदों के गठन के लिए चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके। परिषद् और कार्यकारी समिति की बैठकों में कमी थी। वार्ड समितियों और अन्य समितियों का गठन नहीं किया गया था। जिले की मसौदा विकास योजना में शामिल करने के लिए वार्षिक विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। परिषद् की बजट अनुमानों, अनुबंधों और प्रावकलनों के अनुमोदन में भूमिका कम थी। राज्य सरकार के पास कई मुद्दों पर शहरी स्थानीय निकायों पर अध्यारोही शक्तियां हैं जो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की भावना के विपरीत हैं।

अध्याय - V

शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता

अध्याय V - शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता

सारांश

वर्णित हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए, दो कार्यों अर्थात् घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु जल आपूर्ति एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नमूना जाँच हेतु चयन किया गया है।

चयनित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार पैरास्टेटल्स को सीधे अनुदान प्रदान कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप इन कार्यों पर शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय नियंत्रण का अभाव था। कार्य निष्पादन की योजना तैयार किए जाने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका भी न्यूनतम थी। किसी भी नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 48 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना भी तैयार नहीं की गई थी। इसके अलावा, चयनित कार्यों के निष्पादन हेतु योजना तैयार किए जाने का अधिकार एक पैरास्टेटल, अर्थात् उत्तर प्रदेश जल निगम के पास निहित था, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता प्रभावित हुई।

राज्य सरकार के पास शहरी अवसंरचना के विकास एवं सम्बंधित सेवाएँ प्रदान करने हेतु कई प्रमुख पैरास्टेटल अभिकरण हैं, जिनकी अनेक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख भूमिका थी। शहरी स्थानीय निकायों के पास पैरास्टेटल अभिकरण के चयन, कार्य आवंटन, कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने एवं वित्त पोषण आदि के संबंध में कोई प्राधिकार नहीं था। परिणामस्वरूप, चयनित कार्यों के क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका मात्र सृजित परिस्मृतियों के संचालन एवं रखरखाव तथा मानवशक्ति के प्रबंधन तक ही सीमित थी। चयनित कार्यों की प्रभावकारिता भी असंतोषजनक थी क्योंकि नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय, चयनित कार्यों को केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के सेवा स्तर के मापदण्डों के अनुसार प्रदान करने में असमर्थ थे।

5.1 व्यय का अंश

राज्य में वर्ष 2015–20¹ की अवधि में चयनित कार्यों पर सम्पन्न कुल व्यय के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए व्यय के अंश का विवरण निम्न तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1— वर्ष 2015–20 की अवधि में चयनित कार्यों पर किए गए व्यय में शहरी स्थानीय निकायों का अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी जल आपूर्ति			शहरी स्वच्छता एवं सीवरेज सेवाएँ		
	कुल व्यय	शहरी स्थानीय निकायों का अंश	शहरी स्थानीय निकायों के अंश का प्रतिशत	कुल व्यय	शहरी स्थानीय निकायों का अंश	शहरी स्थानीय निकायों के अंश का प्रतिशत
2015-16	991.53	374.89	37.81	1,024.09	466.62	45.56
2016-17	1,140.01	350.59	30.75	894.02	489.45	54.75
2017-18	819.70	397.29	48.47	1,684.55	643.11	38.18
2018-19	1,079.28	448.89	41.59	2,117.83	817.58	38.60
2019-20	532.39	398.45	74.84	1,337.59	736.66	55.07
योग	4,562.91	1,970.11	43.18	7,058.08	3,153.42	44.68

(स्रोत: वित्त लेखा एवं नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

¹ नगर विकास विभाग वर्ष 2020–21 का डाटा संकलित करने की प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 हेतु संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

ऊपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 की अवधि में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और सीवरेज सेवाओं पर किए गए कुल व्यय में शहरी स्थानीय निकायों के व्यय का अंश मात्र क्रमशः 43 एवं 45 प्रतिशत था। यह इंगित करता है कि इन कार्यों पर किए गए व्यय का प्रमुख भाग पैरास्टेटल जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज आदि के माध्यम से किया गया था, जिससे यह पुनः प्रमाणित होता है कि चयनित कार्यों जिनका कि हस्तांतरण किया जा चुका है, मात्र आंशिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए थे।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि सम्बन्धित पैरास्टेटल्स को कार्यकारी संस्थाओं के रूप में नामित किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा इन एजेंसियों को सीधे ही धनराशि अंतरित की गई थी।

5.2 कार्य निष्पादन हेतु योजना

14वें वित्त आयोग के दिशा—निर्देशों (अक्टूबर 2015) के अनुसार, 14वें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बुनियादी सेवाओं² (जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) पर व्यय किए जाने हेतु नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं द्वारा राज्य में लागू प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के अनुसार एक उचित योजना तैयार किया जाना था। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 127बी एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 383ए द्वारा, जिनसे शहरी स्थानीय निकाय शासित है, वार्षिक विकास योजनाओं को तैयार किया जाना नियत है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2015–20 की अवधि में वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गई थी जैसा कि प्रस्तर संख्या 4.2.3.6 में वर्णन किया गया है। योजनाओं के अभाव में, वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 14वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत प्राप्त कुल धनराशि से सम्पन्न ₹8,544.57 करोड़ का व्यय, वित्त आयोग के दिशा—निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था।

अतः योजना रहित कार्यों के क्रियान्वयन के कारण, परिषद एवं उसके सदस्य नागरिकों की वैध आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु निर्णय सूझन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए। दूसरी ओर, नियोजन के अभाव के कारण, शहरी स्थानीय निकाय बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त अवस्था के साथ तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में भी असमर्थ थे जैसा कि प्रस्तर संख्या 5.4 में वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, चयनित कार्यों के कार्य निष्पादन हेतु नियोजन के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार थी:

➤ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अप्रैल 2017 से पूर्व एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार करना था। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों को भी राज्य नीति के अनुरूप एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना था, जिससे कि ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रणाली से पृथक्करण, संग्रहण, उपचार एवं निस्तारण उचित पर्यावरणीय तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य नीति की अधिसूचना की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की जानी थी।

² इसमें सेटिंग प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल आपूर्ति, सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, सामुदायिक सम्पत्ति का अनुरक्षण, सड़कों का अनुरक्षण, अन्त्येष्टि स्थल, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सेवाएं एवं प्रासंगिक विधानों के अंतर्गत नियत कार्यों से सम्बन्धित अन्य बुनियादी सेवाएं सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा 14 माह की देरी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार (जून 2018) किया गया एवं अग्रेतर दस माह से अधिक के विलम्ब से शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश (मई 2019) दिया गया। यद्यपि, किसी भी नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम मथुरा–वृन्दावन एवं झांसी को छोड़कर) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वांछित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गई थी।

➤ इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वह समस्त घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को घर–घर जाकर संग्रहण करने एवं संग्रहीत कचरे को प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट से पुनरावर्तनीय सामग्री का पृथक्करण करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अथवा द्वितीयक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने की भी आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, यद्यपि ये गतिविधियां शहरी स्थानीय निकाय के दायरे में आती हैं, राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा शहरी स्थानीय निकाय से कोई माँग या योजना/प्रस्ताव प्राप्त किये बिना ही अथवा इस सम्बन्ध में किसी आवश्यकता का आकलन किए बिना ही एक मानक ड्राइंग एवं डिजाइन के आधार पर राज्य के प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना का निर्णय (अगस्त 2019) लिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य मिशन निदेशक द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्वीकृति प्रदान करते समय शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या एवं उनके प्रतिदिन के शहरी ठोस अपशिष्ट उत्पादन क्षमता को संज्ञान में नहीं लिया गया। तदनुसार, समस्त 50 नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के सिविल कार्य हेतु ₹16.83³ करोड़ की धनराशि अवमुक्त (अगस्त 2019) कर दी गयी, हालांकि, नवंबर 2021 तक मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप नमूना जाँच किए गए 22 शहरी स्थानीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का सिविल कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी नवंबर 2021 तक इसे क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।

➤ इसी प्रकार, राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा वर्ष 2019–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए 50 शहरी स्थानीय निकायों में से 43 शहरी स्थानीय निकायों में घर–घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु आवश्यक मिनी टिपर एवं उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 30.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। यह स्वीकृतियाँ निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा अपने स्तर पर ही संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के वर्तमान अवसंरचना के संबंध में एक अंतर विश्लेषण⁴ करने के पश्चात निर्गत की गयी थीं।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मानकों के अनुसार 1500 घरों हेतु घर–घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु एक मिनी टिपर की आवश्यकता थी। हालांकि मिनी टिपरों के क्रय में

³ @₹33.67 लाख प्रति मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्रति शहरी स्थानीय निकाय।

⁴ क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ की सहायता से वाहनों की आवश्यकता का आकलन किया गया था तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए कोई माँग या योजना या आवश्यकता का आकलन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इन मानकों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 14 शहरी स्थानीय निकायों⁵ में आवश्यकता से अधिक मिनी टिपर क्रय किए गए थे।

अतः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित कार्यों की नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों से वार्षिक विकास योजनाओं पर आवश्यक कार्यवाई प्रतीक्षित है, हालांकि, अन्य मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

5.2.1 केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के नियोजन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

चयनित कार्यों को प्रदान करने हेतु विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के दिशानिर्देशों के विश्लेषण में पाया गया कि इन योजनाओं के नियोजन प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की या तो कोई भूमिका नहीं थी या सीमित भूमिका थी, जैसा कि निम्न तालिका 5.2 में वर्णित है:

तालिका 5.2: विभिन्न योजनाओं की नियोजन प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

योजना का नाम	योजना का विवरण	तैयार की जाने वाली योजनाओं का विवरण	नियोजन की प्रक्रिया	शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका
अटल भिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)	केंद्र प्रायोजित योजना भारत सरकार द्वारा माह जून 2015 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीधरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना था ताकि सभी के जीवन स्तर, विशेष रूप से गरीबों एवं वंचितों, में सुधार हो सके। योजना की अवधि 2015–20 थी। योजना के अंतर्गत राज्य के 60 शहरों को आच्छादित किया गया था।	प्रावधानों के अनुसार, सभी घरों को जलापूर्ति और सीधरेज (सेप्टेंज सहित) से आच्छादित करने हेतु अंतर की पहचान करने के बाद प्रत्येक चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक सेवा स्तर सुधार योजना तैयार की जानी थी। राज्य स्तर पर, भिशन के अंतर्गत समस्त शहरों के एसएलआईपी को सम्मिलित करके एक राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी थी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी थी।	सेवा स्तर सुधार योजना, राज्य वार्षिक कार्य योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए एक वाहा संरक्षा, परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की जानी थी।	राज्य सरकार द्वारा भिशन के अंतर्गत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को नामित किया गया था एवं योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता और परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने सेवा स्तर सुधार योजना और राज्य वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए क्षेत्रीय शहरी पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पैरास्टेटल) को नामित (जुलाई 2015) किया था एवं चयनित कार्यों के डीपीआर तैयार करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) को अधिकृत (दिसंबर 2015) किया था। इस प्रकार, अमृत के अंतर्गत चयनित कार्यों से संबंधित परियोजनाओं की योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी।
स्वच्छ भारत भिशन (शहरी)	यह योजना भारत सरकार द्वारा खुले में शौच एवं हाथ से मैला ढोने की प्रथा को	योजना के अंतर्गत व्यापक स्वच्छता योजना, जिसमें शहर स्वच्छता योजना, सेवाएं लेते हुए	शहरी स्थानीय निकायों को सलाहकारों की सेवाएं लेते हुए	लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सीएसपी तैयार करने का उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया था, तथापि, नमूना जाँच किए

⁵ नगर पालिका परिषद: बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बिलासपुर (रामपुर), चिरगांव (झाँसी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झाँसी), पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) एवं रामपुर और नगर पंचायत: कठेरा (झाँसी), खमरिया (भदोही), मसवारी (रामपुर), रानीपुर (झाँसी), और शाहाबाद (रामपुर)।

	समाप्त करने, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि (प्रदान करने के) उद्देश्यों से प्रारम्भ (अवटूबर 2014) की गई थी।	राज्य स्वच्छता अवधारणा और राज्य स्वच्छता रणनीति समिलित हो को तैयार करने की आवश्यकता थी।	शहर योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।	गए 50 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र आठ शहरी स्थानीय निकायों ⁶ ने ही इसे तैयार किया था (नवंबर 2021 तक)।
पं. दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना	नगर पंचायतों और छोटी नगर पालिका परिषदों के निवासियों को जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेट्टेज प्रबंधन आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित योजना 21 मार्च 2018 में प्रारम्भ की गई थी।	योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित नगर पंचायत के लिए एक कार्य योजना एवं मास्टर प्लान के साथ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी थी।	आवश्यक योजनाएँ और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक अनुभवी वास्तुकार/नगर नियोजक द्वारा राज्य सरकार को अग्रेतर प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए तैयार किए जाने थे। वास्तुकार/नगर नियोजक की नियुक्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी थी।	नियोजन प्रक्रिया से यह इंगित हो रहा था कि योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन में नगर पंचायत की कोई भूमिका नहीं थी।
स्मार्ट सिटी मिशन	भारत सरकार ने वर्ष 2015 में उन शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम ⁷ को प्रारम्भ किया था जो बुनियादी ढांचा सुविधाएं (जैसे पर्याप्त जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइटिंग आदि) प्रदान कर सकें और अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता का जीवनस्तर प्रदान कर सकें।	कार्यक्रम के अंतर्गत, शहरों को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता थी जिसमें दूरवर्षीता, संसाधन जुटाने की योजना और बुनियादी ढांचे के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संर्दम्भ में इच्छित परिणाम शामिल हो। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को रणनीतिक योजना प्रक्रिया के सिद्धांतों का उपयोग करके तैयार किया जाना था और स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया के समय सभी सरकारी विभागों, पैरास्टेटल्स, निजी एजेंसियों और नागरिकों की निधियों का सामंजस्य स्थापित किया जाना था। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार एवं सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक	दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने का कार्य परामर्शदाता फर्मों को सौंपा गया था और इस उद्देश्य के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदाता फर्मों का एक पैनल निश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी 2013, के अंतर्गत प्रत्येक चयनित शहरों के लिए स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, मूल्यांकन करने, अनुमोदन करने, धनराशि निर्मात करने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन	राज्य सरकार द्वारा नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के शहरों के संबंध में स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने हेतु क्रमशः नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन (जुलाई 2015) किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के शहरों के लिए क्रमशः मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष प्रयोजन वाहन गठित करने का निर्णय (अप्रैल 2016) लिया गया तथा इन विशेष प्रयोजन वाहन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नगर आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2020 तक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 10 शहरों/नगर निगम का चयन किया गया था और उनके स्मार्ट सिटी प्रस्ताव, क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केंद्र (संसाधन केंद्र के रूप में नामित) और हितधारकों (नागरिकों, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुखों आदि) की सक्रिय भागीदारी के साथ परामर्शदाता फर्म द्वारा नगर आयुक्त के निर्देशन में तैयार किए गए थे। इस प्रकार, नियोजन प्रक्रिया, दर्शाती है कि स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को तैयार करने में शहरी स्थानीय निकायों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। इस

⁶ नगर निगम: झाँसी, मथुरा-वृंदावन और मुरादाबाद, नगर पालिका परिषद: अमरोहा, भदोही, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और नगर पंचायत: तालबेहट (ललितपुर)।

⁷ मार्च 2017 से जनवरी 2018 के बीच राज्य के 10 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी) को कार्यक्रम के अन्तर्गत चुना गया था।

		<p>उच्च स्तरीय संचालन समिति और एक शीर्ष समिति का गठन स्टार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए किया जाना था। इसके अतिरिक्त, संबन्धित शहरी स्थानीय निकायों की परिषद के अनुमोदन के बाद स्टार्ट सिटी प्रस्ताव को इन समितियों को अग्रेषित किया जाना था।</p>	<p>गठित किया जाना था। विशेष प्रयोजन वाहन का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सौइओ द्वारा किया जाना था और इसके बोर्ड में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का नामांकन किया जाना था।</p>	<p>बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि तीन नमूना-जांच किए गए नगर निगम (स्टार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित) में से स्टार्ट सिटी प्रस्ताव को केवल अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नगर निगम जांसी की परिषद में प्रस्तुत किया गया था और वह भी मात्र परिचालन पद्धति के माध्यम से किया गया था।</p>
--	--	---	---	--

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, नमूना जांच में चयनित शहरी स्थानीय निकाय)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि या तो शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कार्य संपादन की योजना बनाने में स्वायत्तता नहीं थी या उन्होंने इन योजनाओं की नियोजन प्रक्रिया में आवश्यक भूमिका नहीं निभाई।

नगर विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों का समुचित उत्तर नहीं दिया गया (नवंबर 2022)।

5.2.2 कार्य संपादन हेतु योजना बनाने में पैरास्टेटल्स की भूमिका

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों को, उन कार्यों के संपादन की योजना बनाने का संवैधानिक अधिकार दिया गया था, जिन कार्यों को उन्हें हस्तांतरित किये जाने की बात कही गई थी। तथापि, कार्य संपादन की योजना बनाने की प्रक्रिया में पैरास्टेटल्स की भागीदारी के कारण, शहरी स्थानीय निकाय की योजना बनाने में कोई भूमिका नहीं थी। चयनित दो कार्यों के कार्य संपादन की योजना बनाने में पैरास्टेटल्स की भूमिका निम्न तालिका 5.3 में वर्णित है:

तालिका 5.3: चयनित कार्यों की योजना में पैरास्टेटल्स की भूमिका

कार्य का नाम	कार्य संपादन के लिए योजना बनाने में पैरास्टेटल्स की भूमिका
घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु जलापूर्ति	<p>उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के संदर्भ में, शहरी स्थानीय निकायों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त निवासियों को पीने एवं घरेलू उपयोग, उद्योग, मनोरंजन और विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु आवश्यक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य जल प्रदान करे। तथापि, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु योजनाओं के नियोजन, तैयारी, क्रियान्वयन, प्रोत्साहन एवं वित्त प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम नामक एक निगम की स्थापना (जून 1975) की गयी।</p> <p>उक्त अधिनियम में जलापूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए और इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में जल संस्थानों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया था। इस संबंध में राज्य के चित्रकूट और जांसी क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण जन को सेवा प्रदान किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में जलापूर्ति सेवाओं के आपूर्ति हेतु दो जल संस्थान स्थापित किये गए।</p> <p>इसके अतिरिक्त, राज्य में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए नियोजन और योजनाएं तैयार करने के लिए "नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग" के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में राज्य नगरीय विकास अभिकरण को स्थापित</p>

	<p>(नवंबर 1990) किया गया था तथा इसे शहरी स्थानीय निकायों के मलिन बस्तियों में जल आपूर्ति सेवाओं की योजना बनाने और आपूर्ति का कार्य भी सौंपा गया था।</p> <p>इस प्रकार, जल आपूर्ति सेवाओं के सम्बन्ध में नियोजन का अधिकार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम के पास था और कार्यकारी एजेंसी को परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करने के अतिरिक्त जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाने, वित्तीयन एवं क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जल निगम अमृत शहरों के शहरी स्थानीय निकायों में जल संयोजन प्रदान करने की योजना बनाने में भी सम्मिलित था।</p>
सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	<p>उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार, सीवरेज और सीवेज निस्तारण हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, प्रचार और वित्तपोषण से संबंधित शक्तियां भी उत्तर प्रदेश जल निगम में निहित थीं। इसे अमृत शहरों के शहरी स्थानीय निकायों में सीवर कनेक्शन प्रदान करने हेतु योजना बनाने का कार्य भी सौंपा गया था।</p> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं लैण्ड फिल साईट की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम की एक इकाई) को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका मात्र मानव शक्ति के प्रबंधन, वाहनों के परिचालन एवं अनुरक्षण इत्यादि तक सीमित थी।</p>

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

इस प्रकार, चयनित कार्यों के कार्य निष्पादन के नियोजन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम एक शीर्ष संस्था थी एवं उसे शहरी स्थानीय निकायों के चयनित कार्यों की सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। चयनित कार्यों की योजना बनाने में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी।

नगर विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (नवंबर 2022) किया गया।

5.3 कार्यों का क्रियान्वयन


शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त, नगर विकास विभाग के पास कई प्रमुख पैरास्टेटल अभिकरण हैं जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहन आदि, जो शहरी आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अथवा विकास का कार्य करती हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के अंतर्गत अन्य पैरास्टेटल्स जैसे क्रमशः विकास प्राधिकरण (24) आवास एवं विकास परिषद (130 इकाइयों) और विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण (72) और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शहरी सेवाएं प्रदान करते हैं। पैरास्टेटल्स एवं उनके कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VIII में वर्णित है।

5.3.1 शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन कार्य

स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं की स्थापना हेतु, हस्तांतरित कार्यों के संपादन पर शहरी स्थानीय निकायों का नियंत्रण आवश्यक है। शहरी स्थानीय निकायों के पास संविधान की 12वीं अनुसूची के 18 विशिष्ट कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार होना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण के बावजूद, सरकारी विभाग/पैरास्टेटल कई कार्यों का संचालन कर रहे थे। नमूना— जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकायों के अधीन कार्यों का एक विस्तृत उदाहरण **परिशिष्ट-III** में एवं निम्न चार्ट 5.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 5.1: शहरी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन में कार्य



इस प्रकार, कई हस्तांतरित कार्यों के संपादन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं होने से, हस्तांतरण की प्रभावकारिता कम हुई।


नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों की कार्यों को निष्पादन की क्षमता एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

5.3.2 एकाधिक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन कार्य

एक आदर्श स्थिति में, शहरी स्थानीय शासन की संस्था होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों का शहरी क्षेत्र में समस्त कार्यों के निष्पादन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। एक शहर के सीमा क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं/पैरास्टेटल्स को शहरी स्थानीय निकायों को रिपोर्ट करना चाहिए एवं उनके निर्देशन में काम करना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार के विभागों, पैरास्टेटल्स को 18 विषयों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुमति शहरी स्थानीय निकायों से लेना चाहिए।

हालाँकि, उपरोक्त के विपरीत, कई कार्यों के संपादन में पैरास्टेटल्स की प्रमुख भूमिका थी। यहां तक कि शहरी स्थानीय निकायों के पास उनके चयन, आवंटन, कार्य का दायरा तय करने एवं वित्तीय आदि के संबंध में कोई अधिकार नहीं था। नमूना जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकायों में एकाधिक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन कार्यों का एक विस्तृत उदाहरण **परिशिष्ट-III** और निम्न चार्ट 5.2 में दिखाया गया है।

चार्ट 5.2: एकाधिक एजेंसियों के नियंत्रण में कार्य



इस प्रकार, कई कार्यों के संपादन में शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण का अभाव था, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्राविधिकानों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, एकाधिक संस्थाओं की उपस्थिति से समन्वय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों की कार्यों को निष्पादन की क्षमता एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

5.3.3 शासकीय प्राधिकारियों की अध्यारोही शक्तियाँ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कार्यों के निष्पादन में सरकारी प्राधिकारियों के पास कई अध्यारोही शक्तियां थीं, जिनका विवरण निम्नवत है:

- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के अनुपालन किये जाने की तिमाही समीक्षा करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट / मंडलायुक्त को जिम्मेदार बनाया गया था।
- राज्य सरकार के आदेश (अक्टूबर 2012) के अनुसार ₹ 50 लाख, ₹ 25 लाख और ₹ 5 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत द्वारा स्वयं निष्पादित किए जाने थे, तथापि, इनसे उच्च लागत के कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा में ऐसे कई प्रकरण पाए गए जहाँ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक लागत वाली जल निकासी परियोजनाओं को टुकड़ों में विभाजित कर स्वयं क्रियान्वित किया गया।
- राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्गत की गई धनराशि जिलाधिकारी द्वारा बिल पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही कोषागार से आहरित की जानी थी। इसके अतिरिक्त राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्पादित किये जाने थे।

➤ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के संबंध में क्रमशः मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही कार्यों को निष्पादित किया जाना था।

➤ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आदि के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए भी जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया था।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यों के निष्पादन के संबंध में शासकीय अधिकारियों की अध्यारोही शक्तियों ने शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को प्रतिबंधित किया।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.3.4 चयनित कार्यों के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों के नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था ताकि बुनियादी सुविधाएं सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध हो सके। चयनित कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

जल आपूर्ति सेवाएं

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर संख्या 5.2.2 में चर्चा की गई थी, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का नियोजन, तैयारी, क्रियान्वयन, प्रचार एवं वित्तीयन के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थापना की गयी थी तथा जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी के रूप में भी उत्तर प्रदेश जल निगम को नामित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के बड़े शहरों यथा आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी के लिए संबंधित नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पाँच जल संस्थानों की स्थापना (जून 1975) की गयी थी एवं चित्रकूट⁸ और झाँसी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार और इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों के दायित्वों को पूर्ण करने हेतु दो जल संस्थानों की स्थापना एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की गयी। तथापि, पाँच बड़े शहरों के जल संस्थानों को भंग कर (फरवरी 2010) संबंधित नगर निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जलकल विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। शेष झाँसी एवं चित्रकूट क्षेत्र के जल संस्थान संबंधित मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करते रहे एवं शहरी स्थानीय निकायों में सम्मिलित नहीं हुए। झाँसी जल संस्थान द्वारा 50 में से नौ⁹ नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सेवा प्रदान किया जा रहा था।

⁸ हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट जिलों को जलापूर्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए अप्रैल 1999 में झाँसी जल संस्थान से अलग हुआ।

⁹ नगर निगम झाँसी, नगर पालिका परिषद: चिरगांव, गुरसराय और मऊरानीपुर (झाँसी) और ललितपुर और नगर पंचायत: कठेरा और रानीपुर (झाँसी), पाली और तालबेहट (ललितपुर)।

यह पाया गया कि जलापूर्ति से संबन्धित परियोजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया था तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका जलापूर्ति परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तक ही सीमित थी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जल निगम को अमृत योजना से आच्छादित शहरी स्थानीय निकायों में जल संयोजन प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था जबकि शेष शहरी स्थानीय निकायों में जल संयोजन प्रदान किये जाने का कार्य सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ही किया जा रहा था। जाँसी एवं चित्रकूट क्षेत्र में जल संयोजन प्रदान करने का कार्य शहरी स्थानीय निकायों के स्थान पर जल संस्थान द्वारा किया जा रहा था।

इस प्रकार, उपरोक्त से स्पष्ट है कि जल आपूर्ति से संबन्धित परियोजनाओं के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी और उनकी भूमिका परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तक सीमित थी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर संख्या 5.2.2 में चर्चा की गई थी, राज्य सरकार ने सीवरेज एवं सीवेज निस्तारण हेतु योजनाओं की तैयारी, निष्पादन, प्रसार तथा वित्तीयन के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थापना की। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जल निगम को अमृत योजना से आच्छादित शहरी स्थानीय निकायों में सीवर संयोजन प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था।

यह भी देखा गया कि राज्य में 3298.84 एमएलडी की क्षमता वाले 104 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिनमें से 71 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर विकास विभाग के थे। जून 2019 से पूर्व, नगर विकास विभाग के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन एवं रखरखाव, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाता था और इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के सीवरेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव संबन्धित शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण में था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीवरेज नेटवर्क एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के उचित रखरखाव हेतु क्रमशः शहरी स्थानीय निकाय एवं और उत्तर प्रदेश जल निगम की अक्षमता के कारण, राज्य सरकार द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव निजी फर्मों को आउटसोर्स किया गया था (जून 2019)। संबन्धित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निजी फर्मों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के राज्य वित्त आयोग अनुदान से निजी फर्मों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान की जिम्मेदारी भी निदेशक (स्थानीय निकाय) को दी गई थी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं लैण्ड फिल साईट की स्थापना हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम की एक शाखा) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन नगर निगमों (लखनऊ, मथुरा एवं मुरादाबाद) में शहरी ठोस अपशिष्ट हेतु प्रोसेसिंग प्लान्ट की सुविधा उपलब्ध थी। इन नमूना-जाँच किए गए नगर निगमों में शहरी ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रह और परिवहन के साथ-साथ प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं लैण्ड फिल साईट के संचालन एवं रखरखाव को भी एक त्रिपक्षीय अनुबंध¹⁰ के माध्यम से कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज द्वारा निजी संस्थान को आउटसोर्स किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका मात्र निजी संस्थान के कार्य की निगरानी एवं निजी कंपनियों द्वारा वसूल किए गए यूजर चार्जस की राशि से

¹⁰ अनुबंध के पक्ष के रूप में निर्माण एवं डिजाइन सेवाएं, शहरी स्थानीय निकाय और निजी संस्था सम्मिलित।

उन्हें टिपिंग शुल्क के भुगतान तक सीमित थी। इसके अलावा, इन नमूना—जाँच किए गए नगर निगमों में सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु मानवशक्ति का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता गतिविधियों के तहत वाहनों और उपकरणों के संचालन और रखरखाव में भी शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका थी। शेष नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में संबन्धित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सड़क एवं नालियों की सफाई के साथ—साथ घर—घर जाकर शहरी ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण एवं परिवहन कर डिपिंग साइट तक ले जाने से संबन्धित गतिविधियों की जा रही थीं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के आदेश (सितंबर 2017) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित किये जाने एवं इस उद्देश्य हेतु निवासियों को जागरूक और संगठित किये जाने हेतु एक स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाना था। अग्रेतर, प्रस्तावित स्वच्छता कार्यों के लिए रणनीति बनाने हेतु स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति की बैठकें प्रति माह आयोजित की जानी थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 21 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों¹¹ में स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया था, हालांकि इन शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित नहीं की गई थीं। यह स्वच्छता सुनिश्चित करने में शहरी स्थानीय निकायों की कमी का संकेतक था।

इस प्रकार, सीवरेज एवं शहरी ठोस अपशिष्ट से संबन्धित परियोजनाओं के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की सीमित भूमिका थी, हालांकि, वे स्वच्छता, शहरी ठोस अपशिष्ट के डोर—टू—डोर संग्रहण और इसके डिपिंग साइट्स आदि तक के परिवहन में लगे हुए थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, तीन नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम: झांसी, लखनऊ और मुरादाबाद) में यह भी देखा गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित कार्यों से संबन्धित परियोजनाओं (जिसका विवरण परिषिष्ट-IX में है) का क्रियान्वयन संबन्धित विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया गया था। यह इंगित करता है कि चयनित कार्यों के क्रियान्वयन में नगर निगम एवं विशेष प्रयोजन वाहन के बीच क्रियाकलापों की ओवरलैपिंग थी।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पैरास्टेटल्स को कार्यों के निष्पादन के लिए सम्बद्ध किया गया था।

5.4 चयनित कार्यों की प्रभावशीलता की स्थिति

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन ने चार सेवा क्षेत्रों जल आपूर्ति, सीवरेज निस्तारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी इत्यादि के लिए सेवा स्तर मापदंडों का सुझाव दिया था (फरवरी 2009)। इन मापदंडों को शासन द्वारा स्वीकार (फरवरी 2016) किया गया था और शहरी स्थानीय निकायों को सेवा स्तर मापदंडों के अनुसार संबन्धित सेवाएं प्रदान करना था। नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय

¹¹ नगर पालिका परिषद: अमरोहा, बछरांयू (अमरोहा), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), कोसीकलां (मथुरा), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), ललितपुर, मिर्जापुर, पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), और सिरसागंज (फिरोजाबाद) और नगर पंचायत: छाता (मथुरा), गोकुल (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), जोया (अमरोहा), कछवा (मिर्जापुर), खमरिया (भदोही), खीरी (लखीमपुर खीरी), नौगांव सादात (अमरोहा), तालबहट (ललितपुर) और ओयलढकवा (लखीमपुर खीरी)।

निकायों द्वारा सेवा स्तर मापदंडों के अनुपालन¹² की स्थिति पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

जलापूर्ति सेवाएं

मार्च 2020 तक राज्य में 707 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 642 शहरी स्थानीय निकायों में पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी, जिसके परिणामस्वरूप 65 शहरी स्थानीय निकायों में पाईप पेयजल आपूर्ति सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से तीन नगर पंचायतों¹³ में पाइप पेयजल आपूर्ति सेवा उपलब्ध नहीं थी। पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हैण्डपम्प, बोरवेल इत्यादि के द्वारा की जा रही थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सेवा स्तर मापदंडों के मानकों के अनुसार जलापूर्ति सेवाएं प्रदान नहीं की गयी। नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2018–19 में सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-X** में दिया गया है और निम्न तालिका 5.4 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.4: वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति सेवाओं के सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि

क्र. सं.	संकेतक	मापदंड	मापदंड हासिल करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	शहरी स्थानीय निकायों का विवरण, जहां मापदंड हासिल किया गया था
1	जलापूर्ति संयोजनों का आच्छादन	100 प्रतिशत	01	नगर पंचायत ज्ञानपुर (भदोही)
2	प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति	135 लीटर	10	दो नगर निगम (लखनऊ और मुरादाबाद), चार नगर पालिका परिषद. ¹⁴ और चार नगर पंचायत ¹⁵ ।
3	गैर-राजस्व जल की सीमा	20 प्रतिशत	21	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, 12 नगर पालिका परिषद ¹⁶ एवं आठ नगर पंचायत ¹⁷ ।
4	जल संयोजनों की मीटरिंग की सीमा	100 प्रतिशत	कोई नहीं (केवल पाँच नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ¹⁸ में मीटर स्थापित किए गए थे लेकिन क्रियाशील नहीं थे।)	—
5	आपूर्ति जल की निरंतरता	24 घंटे	कोई नहीं	—

¹² चूँकि लेखापरीक्षा के समय वर्ष 2019–20 के लक्ष्यों के विरुद्ध सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि की स्थिति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वर्ष 2018–19 में उपलब्धि की स्थिति पर टिप्पणी की गई है।

¹³ बरखी का तालाब (लखनऊ), बैरिया (बिलिया) और पाकबड़ा (मुरादाबाद)।

¹⁴ बिलारी (मुरादाबाद), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और मिर्जापुर।

¹⁵ फरिहा (फिरोजाबाद), जोया (अमरोहा), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

¹⁶ अमरोहा, बिलारी, बछरांयू (अमरोहा), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), गुरसराय (झाँसी), ललितपुर, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर और स्वार (सामपुर)।

¹⁷ छाता (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), खीरी (लखीमपुर खीरी), ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी), रानीपुर (झाँसी), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

¹⁸ नगर निगम: झाँसी, नगर पालिका परिषद: लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और मऊरानीपुर (झाँसी) और नगर पंचायत: रानीपुर (झाँसी) और तालबेहट (ललितपुर)।

6	आपूर्ति जल की गुणवत्ता	100 प्रतिशत	26	झाँसी को छोड़कर तीनों नगर निगम, 14 नगर पालिका परिषद ¹⁹ तथा नौ नगर पंचायत ²⁰ ।
7	जलापूर्ति सेवाओं में लागत वसूली	100 प्रतिशत	कोई नहीं	—
8	जलापूर्ति सम्बन्धी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90 प्रतिशत	09	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन एवं चार नगर पालिका परिषद ²¹ एवं चार नगर पंचायत ²² ।
9	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80 प्रतिशत	32	सभी नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद ²³ और 10 नगर पंचायत ²⁴ ।

(स्रोत: निवेशक, स्थानीय निकाय)

इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी भी निकाय द्वारा सेवा स्तर मापदण्डों के अनुसार जलापूर्ति सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही थी, जो इंगित करता है कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सेवाएँ अपर्याप्त थीं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मार्च 2020 तक राज्य के 707 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 63 शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज सेवाएं आंशिक रूप से उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम: लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन एवं मुरादाबाद तथा नगर पालिका परिषद रामपुर) में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के अंतर्गत केवल 32 शहरी स्थानीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित किया गया था, जिसमें से जनवरी 2021 में मात्र 15 प्रोसेसिंग प्लान्ट क्रियाशील थे। इसी प्रकार नमूना जाँच किये गये 50 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन और मुरादाबाद) में प्रोसेसिंग प्लान्ट की सुविधा उपलब्ध थी। यद्यपि, नमूना जाँच किए गए शेष शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता की सुविधा प्रदान किये जाने के साथ घर-घर जाकर शहरी ठोस अपशिष्ट के संग्रहित अपशिष्ट को डम्पिंग साइट पर ले जाने का कार्य किया जा रहा था, परन्तु प्रसंस्करण सुविधा के अभाव में, ठोस कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था, परिणामस्वरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का अनुपालन नहीं हो रहा था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने सेवा स्तर मापदण्डों के मानकों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

¹⁹ बछरांयू (अमरोहा), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), ललितपुर, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर, सिरसागंज (फिरोजाबाद), रसड़ा (बलिया), स्वार (रामपुर), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और ढूंडला (फिरोजाबाद)।

²⁰ ज्ञानपुर (भदोही), फरिहा (फिरोजाबाद), कछवा (मिर्जापुर), कटरा मैदनीगंज (प्रतापगढ़), मसवासी (रामपुर), रानीपुर (झाँसी), शाहाबाद (रामपुर), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

²¹ बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बिलारी (मुरादाबाद) और लखीमपुर (लखीमपुर खीरी)।

²² छाता (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही) और जोया (अमरोहा)।

²³ चिरगांव (झाँसी), कोसीकलां (मथुरा) और पलिया कलां (लखीमपुर खीरी) को छोड़कर।

²⁴ छाता (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), फरिहा (फिरोजाबाद), कटरा मैदनीगंज (प्रतापगढ़), मसवासी (रामपुर), नौगांव सादात (अमरोहा), ओयलडक्या (लखीमपुर खीरी), रानीपुर (झाँसी), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

सेवाएं प्रदान नहीं की। वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-XI में दिया गया है और तालिका 5.5 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.5: वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि

क्र.सं	संकेतक	मापदंड	मापदंड हासिल करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का विवरण, जहां मापदंड हासिल किया गया
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर आच्छादन	100 प्रतिशत	13	नगर निगम: मुरादाबाद और प्रत्येक छ: नगर पालिका परिषद ²⁵ और नगर पंचायत ²⁶
2	शहरी ठोस अपशिष्ट के संग्रह की दक्षता	100 प्रतिशत	26	नगर निगम: मुरादाबाद, 13 नगर पालिका परिषद ²⁷ और 12 नगर पंचायत ²⁸
3	शहरी ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100 प्रतिशत	कोई नहीं	—
4	शहरी ठोस अपशिष्ट की एकत्रित मात्रा	80 प्रतिशत	02	नगर निगम: मुरादाबाद और नगर पंचायत: पाकबड़ा (मुरादाबाद)।
5	शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की सीमा	100 प्रतिशत	03	नगर निगम: मथुरा-वृद्धावन, नगर पालिका परिषद: रामपुर और नगर पंचायत: मसवासी (रामपुर)।
6	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80 प्रतिशत	38	सभी नगर निगम और 17 नगर पालिका परिषद ²⁹ और नगर पंचायत ³⁰ ।
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली की सीमा	100 प्रतिशत	कोई नहीं	—
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के संग्रह में दक्षता	90 प्रतिशत	01	नगर निगम: लखनऊ।

(स्रोत: निवेशक, स्थानीय निकाय)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि चार नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज सेवाओं की आंशिक उपलब्धता के कारण इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने सीवेज नेटवर्क के कवरेज, सीवेज नेटवर्क की संग्रह दक्षता, सीवेज उपचार

²⁵ बछरांगूँ (अमरोहा), बिलारी (मुरादाबाद), बिलासपुर (रामपुर), रामपुर, स्वार (रामपुर) और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)।

²⁶ छाता (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), खीरी (लखीमपुर खीरी), पाकबड़ा (मुरादाबाद), रानीपुर (झाँसी) और तालबेहट (ललितपुर)।

²⁷ अमरोहा, बछरांगूँ (अमरोहा), बिलासपुर (रामपुर), बिलारी (मुरादाबाद), गुरसराय (झाँसी), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर, रसड़ा (बलिया), सिरसागंज (फिरोजाबाद), स्वार (रामपुर), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूडला (फिरोजाबाद)।

²⁸ बख्ती का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही), जोया (अमरोहा), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), कठवा (भदोही), मसवासी (रामपुर), पाकबड़ा (मुरादाबाद), रानीपुर (झाँसी), शाहाबाद (रामपुर) और तालबेहट (ललितपुर)।

²⁹ अमरोहा, बछरांगूँ (अमरोहा), बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), बिलासपुर (रामपुर), गुरसराय (झाँसी), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर, रसड़ा (बलिया), स्वार (रामपुर), सिरसागंज (फिरोजाबाद), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूडला (फिरोजाबाद)।

³⁰ बख्ती का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), एका (फिरोजाबाद), फरिहा (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही), जोया (अमरोहा), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), खीरी (लखीमपुर खीरी), मनियर (बलिया), मसवासी (रामपुर), नैगवां सादात (अमरोहा), ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी), पाकबड़ा (मुरादाबाद), रानीपुर (झाँसी), शाहाबाद (रामपुर), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

क्षमता की पर्याप्तता के रूप में सेवा स्तर मापदंडों के अनुसार सीवरेज सेवाएं प्रदान नहीं की थी तथा सीवेज शोधन की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नहीं थी।

अतः सेवा स्तर मापदंडों का अनुपालन नहीं करना यह इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुशंसा 6 :

जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सीवरेज सेवाओं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेवा संपादन प्रणाली में सुधार हेतु सेवा स्तर के मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

5.5 निष्कर्ष

केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चयनित कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधि पैरास्टेटल्स के माध्यम से प्रदान की गई थी। केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चयनित कार्यों के संपादन हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका न्यूनतम थी। चयनित कार्यों के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका केवल संचालन और रखरखाव तक ही सीमित थी। कई पैरास्टेटल्स शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार एवं उसके प्राधिकारियों के पास शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों के संबंध में अध्यारोही अधिकार थे। चयनित कार्यों का संपादन सेवा स्तर के मापदंडों से कम था।

अध्याय - VI

शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन

अध्याय VI - शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन

सारांश

शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधनों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, केन्द्रीकृत सेवाएं, अकेन्द्रीकृत सेवाएं और स्वच्छता सेवाएं। शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए पदों की स्वीकृति, परिलब्धियाँ आदि तय करने के अधिकार राज्य सरकार के पास निहित थे और विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा अकेन्द्रीकृत सेवाओं एवं स्वच्छता सेवाओं के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियमावली नहीं बनाई गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता सेवाओं के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के नियम भी नहीं बनाए गए थे।

मार्च 2020 तक केन्द्रीकृत सेवाएं, अकेन्द्रीकृत सेवाएं और स्वच्छता सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधन में क्रमशः 34.33 प्रतिशत, 29.95 प्रतिशत और 43.06 प्रतिशत की कमी थी। नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सेवाओं और स्वच्छता सेवाओं से सम्बंधित मानव संसाधन में क्रमशः 34 प्रतिशत एवं 43 प्रतिशत की कमी थी। इसके कारण इन सेवाओं में सेवा स्तर बेंचमार्क का अनुपालन नहीं हुआ।

6.1 शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन

किसी भी कार्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और योग्य मानव संसाधन की उपलब्धता सर्वोपरि है। हस्तांतरित कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब उन्हें पर्याप्त मानव संसाधन प्राप्त हो और मानव संसाधनों की नियुक्ति पर उनका नियंत्रण हो। अग्रेतर, कार्मिकों का पर्याप्त हस्तांतरण स्वयं के राजस्व के संग्रह में सुधार, हस्तांतरित धन का उपयोग और हस्तांतरित कार्यों को इच्छित सीमा तक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है।

शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधनों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, केन्द्रीकृत सेवाएं, अकेन्द्रीकृत सेवाएं और स्वच्छता सेवाएं। प्रत्येक समूह की स्थापना और प्रशासन संबंधी प्राविधानों का विवरण निम्नानुसार है:

केन्द्रीकृत सेवाएं

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 112ए और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 69बी, ऐसे अधिकारियों और सेवकों की एक या एक से अधिक केन्द्रीकृत सेवाओं के सृजन के लिए राज्य सरकार को ऐसी किसी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती की पद्धति, सेवा की शर्तें आदि निर्धारित करने का अधिकार देती है, जो राज्य में नगर निगम या नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और जल संस्थानों सभी के लिए समान है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 में भी जल संस्थानों के लिए केन्द्रीकृत सेवाओं की स्थापना का प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका केन्द्रीकृत सेवा

नियम, 1966 के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए 23 सामान्य सेवाओं¹ का सृजन किया गया था। इसके प्राविधानों के अनुसार, केन्द्रीकृत सेवा के संबंध में पदों की स्वीकृति, भर्ती, स्थानांतरण, तैनाती, अनुशासनात्मक कार्यवाही और भर्ती के लिए पात्रता, सेवा शर्तों और परिलक्षियों आदि निर्धारित करने के संबंध में शक्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित थीं, हालांकि, कुछ संवर्गों के भर्ती, स्थानांतरण, तैनाती, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के संबंध में शक्तियाँ निदेशक को प्रत्यायोजित किया गया था।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीकृत सेवा के लिए पेंशन, ग्रेचुटी आदि से संबंधित मामलों के नियमन के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका (केन्द्रीकृत सेवाएं) सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1981 बनाया गया और निदेशक (स्थानीय निकाय) को केन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश नगर पालिका केन्द्रीकृत सेवा नियम, 1966 के प्राविधानों के अनुसार, मंडल के भीतर स्थित एक शहरी स्थानीय निकाय से दूसरे शहरी स्थानीय निकाय में केन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए मंडलायुक्त को भी अधिकृत किया गया था। तथापि, केन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों के स्थानांतरण—पोस्टिंग में जिला मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं थी और राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार किसी अन्य अधिशासी अधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट को स्वयं प्रदान करने के लिए भी प्रतिबंधित (दिसंबर 2017) किया था। इस तथ्य के बावजूद, लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों का प्रभार प्रदान करने के दृष्टांत² देखे गए जो शहरी स्थानीय निकाय के मामलों में जिला प्राधिकारियों के अनावश्यक हस्तक्षेप को दर्शाता है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकाय का केन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तथापि, यदि परिषद द्वारा इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो, तो शहरी स्थानीय निकाय केन्द्रीकृत सेवा के किसी भी कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार से अनुरोध कर सकती हैं।

अकेन्द्रीकृत सेवाएं

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 106 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 71 और 74 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अकेन्द्रीकृत सेवाओं के सृजन का प्रावधान है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के समूह 'ग' और 'घ' संवर्ग के स्थायी कर्मचारियों के आवश्यक कर्तव्यों का निर्वहन समिलित है। जबकि अकेन्द्रीकृत सेवा के पदों की स्वीकृति, परिलक्षियाँ आदि तय करने की शक्तियाँ राज्य सरकार के पास थीं, अकेन्द्रीकृत सेवा की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा शर्तों और पात्रता आदि तय करने का अधिकार महापौर/अध्यक्ष को दिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि नवंबर 2021 तक अकेन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियम नहीं बनाए गए थे। तथापि, राज्य सरकार ने अकेन्द्रीकृत सेवा

¹ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश नगर पालिका; प्रशासनिक (वरिष्ठ और अधीनस्थ) सेवाएं, राजस्व (वरिष्ठ और अधीनस्थ) सेवाएं, एलोपैथिक, हाम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य (पुरुष और महिला) सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, सिविल, यात्रिक एवं यातायात के लिए इंजीनियरिंग (वरिष्ठ और अधीनस्थ) सेवाएं, वृक्षारोपण (वरिष्ठ और अधीनस्थ) सेवाएं, लेखापरीक्षा और लेखा सेवाएं आदि।

² जॉसी जनपद में।

के कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका (अकेन्द्रीकृत सेवाएं) सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1984 बनाया था (अक्टूबर 1984), परन्तु अकेन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का लाभ स्वीकृत करने के लिए मंडलायुक्त को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने केन्द्रीकृत सेवा और अकेन्द्रीकृत सेवा दोनों के ग्रुप 'ग' संवर्ग के उम्मीदवारों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया (मार्च 2015)। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के ग्रुप 'घ' संवर्ग की भर्ती को भी समाप्त कर दिया (सितंबर 2010)।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में अकेन्द्रीकृत सेवा से संबंधित मामलों के प्रबंधन में स्वायत्तता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के अभाव में, अकेन्द्रीकृत सेवा के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

स्वच्छता सेवाएं

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 106 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 75 ने नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को वातावरण संरक्षण के उद्देश्य से स्थायी कर्मियों (सफाई कर्मचारी आदि) को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया था। जबकि स्वच्छता सेवाओं के पदों की स्वीकृति, परिलक्षियों आदि से संबंधित शक्तियाँ राज्य सरकार के पास थीं, और नियुक्ति का अधिकार, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवा शर्तों और पात्रता आदि को तय करने का अधिकार नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को प्रदान किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि अकेन्द्रीकृत सेवा की तरह, स्वच्छता सेवा के कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियम नहीं बनाए गए थे और इसके अतिरिक्त, स्वच्छता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभ नियम भी नहीं बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्वच्छता सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी (जून 2002) और शहरी स्थानीय निकायों को सेवा प्रदाताओं से आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानवशक्ति प्राप्त कर स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया था (दिसंबर 2010)। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य के 630 शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत चालीस हजार सफाई कर्मचारियों की संविदा के आधार पर भर्ती करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अनुमति दी गयी (जुलाई 2016) और इस उद्देश्य के लिए, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में क्रमशः नगर आयुक्त और उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त समितियों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की सूची को भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था। यह इंगित करता है कि स्वच्छता सेवा के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में अधिशासी अधिकारी की शक्तियों को भी राज्य सरकार द्वारा दरकिनार किया गया था।

यह भी देखा गया कि संविदा के आधार पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सेवा प्रदाता से आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वच्छता सेवाओं का प्रबंध किया गया था।

इस प्रकार, स्वच्छता सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों पर रोक ने शहरी स्थानीय निकाय की स्वायत्तता को प्रभावित किया।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

मानव संसाधनों के प्रबंधन में कमी से संबंधित विषयों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

6.2 मानव संसाधन की कमी

वर्ष 2015–20³ की अवधि में राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की सभी सेवाओं में स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मचारियों एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1: शहरी स्थानीय निकाय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों का विवरण


वर्ष	स्वीकृत पद			पद पर कार्यरत कर्मचारी			रिक्त पद (प्रतिशत)		
	केन्द्री कृत सेवा	अकेन्द्री कृत सेवा	स्वच्छता सेवा	केन्द्री कृत सेवा	अकेन्द्री कृत सेवा	स्वच्छता सेवा	केन्द्रीकृत सेवा	अकेन्द्रीकृत सेवा	स्वच्छता सेवा
2015-16	3276	28969	100957	1660	23362	62898	1616(49.33)	5607(19.36)	38059(37.70)
2016-17	3285	28624	99120	1869	22902	62086	1416(43.11)	5722(19.99)	37034(37.36)
2017-18	3377	28289	101445	2121	22076	60608	1256(37.19)	6213(21.96)	40837(40.26)
2018-19	3544	27948	101702	2376	21135	60038	1168(32.96)	6813(24.38)	41664(40.97)
2019-20	3644	27900	101585	2393	19544	57840	1251(34.33)	8356(29.95)	43745(43.06)

(स्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2020 तक केन्द्रीकृत सेवा, अकेन्द्रीकृत सेवा और स्वच्छता सेवा के अंतर्गत मानव संसाधन में क्रमशः 34.33 प्रतिशत, 29.95 प्रतिशत और 43.06 प्रतिशत की कमी थी।

इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकायों में प्रति हजार जनसंख्या पर कर्मचारियों की उपलब्धता और नमूना-जाँच किए गए नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के स्वीकृत और रिक्त पदों की स्थिति का विस्तृत उदाहरण निम्न चार्ट 6.1 और तालिका 6.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.1 नमूना जाँच किये गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकाय में प्रति 1000 जनसंख्या पर मार्च 2020 तक कर्मचारियों की संख्या



³ निगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 डाटा संकलित करने की प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के लिए, अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

**तालिका 6.2: नमूना जाँच किये गए नगर निगम और नगर पालिका परिषद में
मार्च 2020 तक मानव संसाधन की स्थिति**

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्त पद (प्रतिशत)	संविदा कर्मचारी	प्रति हजार जनसंख्या पर कर्मचारियों की संख्या
नगर निगम						
1	लखनऊ	6105	1915	31.37	1144	1.89
2	झाँसी	767	349	45.50	556	1.77
3	मुरादाबाद	1307	389	29.76	268	1.33
4	मथुरा-वृंदावन	1588	666	41.94	145	2.35
	योग	9767	3319	33.98	2113	1.82
नगर पालिका परिषद						
5	मऊरानीपुर, (झाँसी)	130	58	44.62	59	2.25
6	गुरसराय (झाँसी)	40	15	37.50	34	2.20
7	चिरगांव (झाँसी)	64	30	46.88	9	2.57
8	बलिया	268	18	6.72	73	3.09
9	रसड़ा (बलिया)	58	18	31.03	47	2.67
10	रामपुर	741	305	41.16	163	1.88
11	बिलासपुर (रामपुर)	65	28	43.08	60	2.21
12	स्वार (रामपुर)	61	40	65.57	32	1.65
13	ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)	68	4	5.88	55	2.70
14	बिलारी (मुरादाबाद)	63	24	38.10	44	2.21
15	टूंडला (फिरोजाबाद)	91	35	38.46	63	2.36
16	सिरसागंज (फिरोजाबाद)	84	14	16.67	22	2.86
17	ललितपुर	278	150	53.96	215	2.47
18	बेल्हा (प्रतापगढ़)	262	88	33.59	68	3.15
19	कोसी कलां (मथुरा)	194	66	34.02	33	3.02
20	अमरोहा	406	39	9.61	128	2.45
21	बछरायूं (अमरोहा)	24	0	0.00	27	1.64
22	लखीमपुर (लखीमपुर खीरी)	354	147	41.53	110	2.09
23	पलिया कलां (लखीमपुर खीरी)	53	14	26.42	20	1.43
24	भदोही	156	38	24.36	94	2.24
25	मिर्जापुर	800	324	40.50	52	2.25
	योग	4,260	1,455	34.15	1408	2.31

(स्रोत: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नमूना—जाँच की गई नगर पालिका परिषदों में रिक्त पदों का प्रतिशत नमूना—जाँच किये गए नगर निगमों की तुलना में अधिक था, तथापि, 14 नमूना—जाँच किए गए नगर पालिका परिषदों⁴ में रिक्त पदों से अधिक संविदा कर्मचारियों की भर्ती किये जाने के कारण प्रति 1000 जनसंख्या मानव संसाधन की उपलब्धता नगर निगम से बेहतर थी। अग्रेतर, नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त 33 प्रतिशत थी एवं 135 रिक्त पदों के विरुद्ध 393 संविदा कर्मचारी (100 प्रतिशत से अधिक) तैनात थे जैसा कि परिषिष्ठ-XII में वर्णित है।

यह भी देखा गया कि नमूना—जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकायों में, कार्यों के हस्तांतरण के साथ पदाधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों में रथानांतरित नहीं किया गया था, जिसने शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन की स्थिति को और बाधित किया।

⁴ मऊरानीपुर (झाँसी), गुरसरायं (झाँसी), बलिया, रसड़ा (बलिया), बिलासपुर (रामपुर), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद), बिलारी (मुरादाबाद), टूंडला (फिरोजाबाद), सिरसागंज (फिरोजाबाद), ललितपुर, अमरोहा, बछरायूं (अमरोहा), पलियाकलां (लखीमपुर खीरी) और भदोही।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

इसी प्रकार नमूना—जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में चयनित कार्यों एवं गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता में भी कमी थी, जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

6.2.1 तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता

सभी विकास कार्यों का उचित और समय पर निष्पादन तथा सभी शहरी बुनियादी ढांचे का उचित रखरखाव तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभियांत्रिकी सेवा (सिविल) के अंतर्गत नमूना जाँच किए गए नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदों में कुल क्रमशः 10 एवं 48 प्रतिशत पद रिक्त थे, जैसा कि **परिशिष्ट-XIII** में वर्णित है। इसके बावजूद, नगर निगम लखनऊ में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की अधिक⁵ तैनाती थी, जो दर्शाता है कि कर्मचारियों की तैनाती असंगत थी। अग्रेतर, नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में, राज्य सरकार द्वारा अभियांत्रिकी सेवाओं का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया था।

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत स्तर पर अभियांत्रिकी सेवाओं के कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण, राज्य सरकार ने नगर निगम एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता (जिला / मंडल स्तर पर तैनात) को ऐसे नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के प्रावकलन, परियोजना आदि (पांच करोड़ रुपये तक के व्यय) स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया था (सितम्बर 2014)। अग्रेतर, पांच करोड़ रुपये से अधिक के व्यय के मामले में, ये शक्तियाँ नगर निगमों और उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता को प्रदान की गई थीं। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आदेशों के विपरीत, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से अपने आंकलनों का अनुमोदन कराया था।

यह प्रदर्शित करता है कि तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतें अपने कार्यों के निष्पादन के लिए सरकारी विभागों पर निर्भर थीं और इससे विकास कार्यों के क्रियान्वयन में भी विलम्ब हुआ।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.2.2 राजस्व सेवाओं में कर्मचारी—वर्ग की कमी

समस्त भवनों एवं भूमि का बिना किसी क्षरण के सम्पत्ति कर का समय पर एवं उचित निर्धारण एवं मौंग के अनुसार कर एवं गैर—करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु राजस्व सेवा के कर्मचारियों की उपलब्धता अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना—जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में, राजस्व सेवाओं के कुल 45 प्रतिशत पद रिक्त थे, जैसा कि **परिशिष्ट-XIV** में वर्णित है और निम्न तालिका 6.3 में संक्षेपित है:

⁵ मुख्य अभियंता के एक स्वीकृत पद, अधिशासी अभियंता के पांच पद, सहायक अभियंता के आठ पद और अवर अभियंता के 18 पद के सापेक्ष दो मुख्य अभियंता; तीन अधिशासी अभियंता, नौ सहायक अभियंता एवं 23 अवर अभियंता पदस्थ थे।

तालिका 6.3: मार्च 2020 तक नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	नगर निगम		नगर पालिका परिषद		नगर पंचायत	
	स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात
मुख्य कर/कर निर्धारण अधिकारी	4	4	0	0	0	0
कर/राजस्व सहायक अधीक्षक	21	32	10	4	0	0
कर निर्धारण अधिकारी	8	7	4	1	0	0
कर/राजस्व निरीक्षक	107	66	25	19	0	0
कर समाहर्ता	99	59	46	30	20	13
नायब मोहर्रि	90	13	89	37	0	1
योग	329	181	174	91	20	14

(ज्ञात: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि नगर निगम लखनऊ में, मुख्य कर/कर निर्धारण अधिकारी, कर/राजस्व सहायक अधीक्षक एवं कर निर्धारण अधिकारी संवर्ग के अंतर्गत अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किया गया था, जिसे कर्मचारियों के उचित बँटवारे के लिए युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, राजस्व सेवाओं की मानव संसाधन में कमी और असमान वितरण ने स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व के आरोपण और वसूली में शहरी स्थानीय निकाय की प्रभावकारिता को प्रभावित किया, जैसा कि प्रस्तर संख्या 7.2 में वर्णित है।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.2.3 स्वच्छता गतिविधियों के लिए अपर्याप्त कर्मचारी

शहर/कस्बे को साफ रखने के लिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सफाई कर्मियों की उपलब्धता आवश्यक है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में, स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित कुल 43 प्रतिशत पद रिक्त थे, जैसा कि परिशिष्ट-XV में वर्णित है और निम्न तालिका 6.4 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 6.4: मार्च 2020 तक नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता गतिविधियों के अंतर्गत मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	नगर निगम		नगर पालिका परिषद		नगर पंचायत	
	स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात	स्वीकृत	तैनात
सेनेटरी इंस्पेक्टर ⁶	65	63	26	17	0	0
सफाई नायक/हवलदार	177	93	120	97	8	12
सफाई कर्मचारी	10009	5690	4979	2815	992	529
जोनल सेनेटरी अधिकारी	8	6	0	0	0	0
योग	10259	5852	5125	2929	1000	541

(ज्ञात: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय)

⁶ केन्द्रीकृत सेवा की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत बनाया गया।

इस प्रकार, स्वच्छता गतिविधियों में मानव संसाधन की कमी के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सेवा स्तर के बैंचमार्क को प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसा कि प्रस्तर संख्या 5.4 में चर्चा की गई है।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रति दस हजार जनसंख्या पर 28 सफाई कर्मचारी आवश्यक थे। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर सफाई कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत/संशोधित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पद आवश्यक संख्या से काफी कम थे। आवश्यक सफाई कर्मचारियों का विवरण (2011 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए), उनके स्वीकृत पद और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त मानव संसाधन की स्थिति **परिशिष्ट-XVI** में दी गयी है और संक्षेप में निम्न तालिका 6.5 में दिया गया है:

तालिका 6.5: मार्च 2020 तक नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों का विवरण

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	मानकों के अनुसार आवश्यक सफाई कर्मचारी	स्वीकृत पद	तैनाती	आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारियों की संख्या
नगर निगम	13,191	10,009	5,690	8,890
नगर पालिका परिषद	5,100	4,979	2,815	3,209
नगर पंचायत	1,441	992	529	1,122
योग	19,732	15,980	9,034	13,221

(स्रोत: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नियमावली के मानदण्डों का पालन नहीं किये जाने के कारण सफाई कर्मचारियों की मनमाने आधार पर आउटसोर्सिंग की गई क्योंकि स्वच्छता कार्य में लगाये गये कुल कर्मी मापदण्डों एवं स्वीकृत पदों से क्रमशः 13 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत अधिक थे, परिणामतः सफाई कर्मचारियों की अधिक भर्ती की गयी थी।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.2.4 जल आपूर्ति सेवाओं के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता

जल आपूर्ति सेवाओं के समुचित संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। तथापि, नमूना जाँच किए गए 50 शहरी स्थानीय निकायों में से, 38 शहरी स्थानीय निकायों (स्वयं सेवा प्रदान करने वाले) में कुल मिलाकर 34 प्रतिशत पद रिक्त थे, जैसा कि **परिशिष्ट-XVII** में वर्णित है और संक्षेप में निम्न तालिका 6.6 में दिया गया है:

तालिका 6.6: जलापूर्ति सेवाओं के लिए नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन की स्थिति

पद का नाम	नगर निगम		नगर पालिका परिषद		नगर पंचायत	
	स्वीकृति	तैनात	स्वीकृति	तैनात	स्वीकृति	तैनात
जलकल अभियंता	25	12	6	3	0	0
अवर अभियंता (जलकल)	38	17	10	5	0	0
पम्प अटेंडेंट	49	40	85	38	10	10
पम्प क्लीनर	30	27	7	5	0	0
पम्प आपरेटर	638	399	74	75	8	19
फिटर जलकल	58	22	14	4	1	5
पम्प मेकेनिक	1	0	0	0	0	0
जलकल बेलदार	47	46	14	11	0	0
जलकल सुपरवाइजर	0	0	1	1	0	0
योग	886	563	211	142	19	34

(प्रोतः नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय)

इस प्रकार, मानव संसाधन में कमी (नगर पंचायत को छोड़कर) जल आपूर्ति सेवाओं की अपर्याप्तता के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थी जैसा कि प्रस्तर संख्या 5.4 में चर्चा की गई है।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.3 मानव संसाधन का आकलन

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मानव शक्ति का आकलन इस उद्देश्य से अवधारित होना चाहिए कि अधिकांश कार्य जो सेवा उन्मुख हैं, उन्हें उचित समय अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। इस सम्बन्ध में आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र की सीमा, आबादी की सीमा और प्रकार, मौजूदा संपत्तियों की संख्या आदि जैसे विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि कार्यवार कर्मचारियों का आकलन किया जाता है तो प्रत्येक कार्य के लिए भूमिका और जिम्मेदारियों, कौशल की आवश्यकता और योग्यता आदि के निर्धारण में अधिक पारदर्शिता आयेगी। यह दो व्यक्तियों/पदों के बीच कार्यों के किसी भी तरह के ओवरलैप को भी रोकेगा।

उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम की धारा 106 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अधिकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए 50 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल पाँच नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों⁷ में मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन परिषदों द्वारा किया गया था और बाद में अकेन्द्रीकृत सेवा के अंतर्गत उनकी जरूरतों के अनुसार आवश्यक

⁷ नगर पालिका परिषद: बछरायूँ (अमरोहा), ललितपुर, सिरसागंज एवं टूंडला (फिरोजाबाद) और नगर पंचायत पाकबड़ा (मुरादाबाद)।

पदों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था। हालाँकि, परिषदों के प्रस्तावों (नवंबर 2021 तक) पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

यद्यपि, शहरी स्थानीय निकाय की तीनों सेवाओं में पदों को स्वीकृत करने की शक्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हैं, तथापि, पदों की स्वीकृति का कोई आधार सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। इस संबंध में निदेशालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत (जून 2016) किये जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पदों के सृजन के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में न्यूनतम पद के सृजन के मानदंडों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का भी गठन किया था (मार्च 2018)। तथापि, समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी। किसी मानदंड के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत पद उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

इस प्रकार, बिना किसी मानदंड के, शहरी स्थानीय निकायों से वास्तविक आवश्यकता की मांग किए बिना पदों की स्वीकृति ने शहरी स्थानीय निकायों के कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित किया।

उत्तर में, नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियाँ विचाराधीन हैं। तथापि, उपरोक्त समिति की संस्तुतियों पर कार्यान्वयन में देरी के कारणों के संबन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

6.4 कर्मचारियों पर अधिकार

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, केन्द्रीकृत सेवा के अधिकारियों के संबंध में अधिकारियों को नियुक्त करने और पदोन्नत करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने, दंड लगाने आदि की शक्तियाँ शहरी स्थानीय निकायों को नहीं दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, अकेन्द्रीकृत सेवा और स्वच्छता सेवा के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की शक्तियाँ भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित थीं।

अनुशंसा 7 :

राज्य सरकार आवश्यक कर्मचारियों के मूल्यांकन और भर्ती जैसे मामलों में शहरी स्थानीय निकायों को मानव संसाधनों पर पर्याप्त अधिकार देने पर विचार कर सकती है। शहरी स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता बढ़ाने एवं नागरिकों को बेहतर सेवाओं के लिए स्वीकृत संख्या के सापेक्ष रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।

6.5 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त मानव संसाधन हस्तांतरित नहीं किया। शहरी स्थानीय निकाय के पास केन्द्रीकृत सेवाओं के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं था। शहरी स्थानीय निकाय में अकेन्द्रीकृत सेवाओं के कर्मचारियों से संबंधित मामलों के प्रबंधन में भी स्वायत्ता का अभाव है। स्वच्छता सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों को भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त और तकनीकी मानव संसाधन की भी कमी थी।

अध्याय - VII

शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

अध्याय VII - शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

सारांश

74वें संविधान संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय निकाय के पास होने वाले करों के प्रकार के बारे में विशिष्ट प्राविधान नहीं हैं और शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व आधार को निर्धारित करना राज्य सरकारों पर निर्भर था। वर्ष 2015–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय का स्वयं का राजस्व कुल राजस्व का केवल 14 से 18 प्रतिशत था, परिणामस्वरूप वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य अनुदान पर काफी हद तक निर्भर थे।

वर्ष 2015–20 की अवधि में केंद्र और राज्य सरकारों से केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्तीय हस्तान्तरण, शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व का लगभग 69 प्रतिशत था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015–20 की अवधि में केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान की राशि ₹ 1,704.65 करोड़ (मूल अनुदान ₹ 53.60 करोड़ एवं निष्पादन अनुदान ₹ 1651.05 करोड़) कम अवमुक्त किया गया था यद्यपि अभिलेखों में इनके कारण उपलब्ध नहीं थे। राज्य वित्त आयोग के गठन में न केवल देरी हुई बल्कि राज्य सरकार द्वारा इसकी संस्तुतियों को स्वीकार करने में भी देरी हुई। वर्ष 2015–20 के दौरान अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व के जारी करने में भी ₹ 2,573.44 करोड़ की कमी थी। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में वसूल किए गए शहरी स्थानीय निकाय के अंश से डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में ₹ 854.55 करोड़ की धनराशि भी स्थानांतरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर में वस्तुओं पर प्रवेश कर को शामिल करने के कारण राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को कोई प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं किया।

वित्त की खराब स्थिति के कारण, शहरी स्थानीय निकाय ने अपने कुल व्यय का केवल 18 प्रतिशत की पूर्ति स्वयं के राजस्व से की थी, शहरी स्थानीय निकाय रिवाल्विंग निधि से प्राप्त ऋण के कारण प्रतिबद्ध देनदारियों का पालन करने में विफल रहे। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रिवॉल्विंग निधि से प्राप्त ऋणों के माध्यम से निष्फल व्यय भी किया गया था। स्वयं का राजस्व आधार कम होने के बावजूद, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं के राजस्व के संभावित स्रोतों जैसे कंजरवेंसी टैक्स, वाहनों पर कर (यांत्रिकी चालित से भिन्न), कुत्तों पर कर, व्यापार और आजीविका पर कर, बेटरमेंट टैक्स, रेलवे से सेवा प्रभार, थिएटर कर आदि अधिरोपित नहीं किया गया था।

भूमि और भवनों पर संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य आधार था और शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व में जिसका लगभग 49 प्रतिशत का योगदान था। यद्यपि, मार्च 2020 तक नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से तीन शहरी स्थानीय निकाय ने गृह कर और 23 शहरी स्थानीय निकाय ने जल कर अधिरोपित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त मार्च 2020 तक नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकाय में गृह कर मद में धनराशि ₹ 2318.72 करोड़ का कुल बकाया था। अग्रेतर, नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में सम्पत्तियों के निर्धारण की प्रक्रिया, दरों के पुनरीक्षण, बिलिंग एवं मॉग आदि में भी कमी थी। नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में संपत्ति कर के

आरोपण एवं वसूली के लिए आवश्यक उपविधि भी नहीं बनाए गए थे तथा नमूना—जाँच किए गए नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में करदाताओं द्वारा संपत्तियों के स्व—निर्धारण की प्रणाली भी लागू नहीं की गई थी। सभी नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में भारत सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार भी नहीं लगाया गया था।

वर्ष 2017–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय जलप्रभार के माध्यम से जल आपूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय का केवल 53 से 64 प्रतिशत ही वसूल कर पाए थे। इसके अतिरिक्त, चार नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय ने मार्च 2020 तक जल प्रभार अधिरोपित नहीं किया था और नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से किसी ने भी संचालन एवं अनुरक्षण के व्यय की वसूली के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जल प्रभार की दर का पुनरीक्षण नहीं किया था। व्यापार लाइसेंस शुल्क अधिरोपित करने में भी कमियां थीं क्योंकि नमूना जाँच किए गए 29 शहरी स्थानीय निकाय ने लाइसेंस शुल्क लगाने का कोई प्रयास नहीं किया था।

वर्ष 2015–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान या तो तैयार नहीं किए गए थे या विलम्ब से तैयार किए गए थे। नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में बजट अनुमान प्रत्येक नगरपालिका सेवा की लागत और कुशल वितरण के लिए आवश्यक निधियों के स्रोत का वैज्ञानिक रूप से अनुमान लगाकर तैयार नहीं किए गए थे, जिसका परिणाम अवास्तविक बजट अनुमान था। नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रारूप बी—1 में तैयार नहीं किया था, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के तहत परिकल्पित है। वर्ष 2019–20 के दौरान बजट अनुमान एवं वित्तीय लेखा तैयार करने के लिए नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली 2018 के प्रारूप को नहीं अपनाया था।

वर्ष 2015–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय राजस्व व्यय का केवल 29 प्रतिशत की सीमा तक स्वयं के संसाधन सृजित करने में सक्षम थे और वर्ष 2015–20 की अवधि में उपलब्ध निधियों के उपभोग की सीमा 90 प्रतिशत तक थी। राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे।

7.1 शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत

सतत वित्तीय संसाधन किसी भी कार्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने और शहरी प्रशासन और विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। हस्तांतरित कार्यों को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब वे इन कार्यों से जुड़े दायित्वों/जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों के मामले में पर्याप्त रूप से सशक्त हों।

वित्तीय संसाधन पूर्वानुमानित वित्तीय हस्तांतरण या स्वयं के राजस्व स्रोतों तक पहुँच के रूप में हो सकते हैं, जो व्यय दायित्वों के अनुरूप और उत्साहजनक हो। एक मजबूत राज्य वित्त आयोग तंत्र और राज्य तथा केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को अनुमानित वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित करने

की आवश्यकता है। राजस्व के अपने स्रोतों तक पहुंच में विशिष्ट राजस्व धाराओं से उद्ग्रहण और संग्रह करने की दोनों शक्ति शामिल होंगी।

यद्यपि, संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों को निर्दिष्ट करता है, यह शहरी स्थानीय निकाय के लिए राजस्व आधार को निर्दिष्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय निकायों के पास होने वाले करों के विषय में विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को करों, ड्यूटी, पथकरों और शुल्कों को लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए नगरपालिका को अधिकृत करने, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए ऐसे करों, चुंगी, पथकरों और शुल्कों को निर्दिष्ट करने के लिए एवं राज्य की संचित निधि से उन्हें सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु कानून बनाना है। इसीलिए, शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व आधार का निर्धारण करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।

शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व¹, स्वयं का गैर-कर राजस्व², निर्दिष्ट (साझा) राजस्व³, केंद्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता और राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्र वित्त आयोग से अनुदान शामिल है। वर्ष 2015–20⁴ की अवधि में राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का विवरण निम्न तालिका 7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.1: 2015–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य वित्त आयोग अनुदान	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	स्वयं का राजस्व	आवंटित राजस्व	सरकारों से अन्य प्राप्तियां (केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाओं आदि के तहत सहायता सहित)	कुल राजस्व	कुल राजस्व के सापेक्ष स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	कुल राजस्व के सापेक्ष सरकारी अनुदान का प्रतिशत
2015-16	5,470.91	1,031.79	1,469.59	408.76	1,101.55	9,482.60	15.49	68.57
2016-17	5,532.23	1,177.09	1,672.46	401.60	1,395.17	10,178.55	16.43	65.91
2017-18	5,849.70	2,558.32	2,022.18	489.68	1,418.61	12,338.49	16.38	68.14
2018-19	6,135.91	1,855.69	2,185.73	190.05	1,746.65	12,114.03	18.04	65.96
2019-20	7,162.49	2,471.49	1,880.88	8.75	1,471.19	12,994.80	14.47	74.14
योग	30,151.24	9,094.38	9,230.84	1,498.84	7,133.17	57,108.47	16.16	68.72

(प्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय का स्वयं का राजस्व कुल राजस्व का 14.47 से 18.04 प्रतिशत के बीच था। इसीलिए, शहरी स्थानीय निकाय के पास न्यूनतम राजस्व आधार है और वे काफी हद तक केन्द्रीय और राज्य अनुदानों पर निर्भर हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों की पूंजीगत व्यय जैसे कि

¹ संपत्ति कर, खाली भूमि पर कर, पशुओं पर कर, वाहनों और गाड़ी पर कर आदि।

² उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क, लीज धनराशि आदि।


³ शहरी स्थानीय निकाय की ओर से राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कर जैसे स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज आदि।

⁴ नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

बुनियादी ढाँचा तैयार करना जिससे शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, में पर्याप्त रूप से निवेश करने की क्षमता को बाधित करता है।

नमूना जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकाय के कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत निम्न चार्ट 7.1 में दर्शाया गया है:

**चार्ट 7.1: नमूना जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकाय में
कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत**



उपरोक्त से स्पष्ट है कि नमूना जाँच किये गए नगर निगम में, कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का भाग आठ से 44 प्रतिशत के बीच था, जबकि नगर पालिका परिषद् में यह केवल तीन से 20 प्रतिशत के बीच था। नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में स्वयं के राजस्व की वसूली में आने वाली बाधाओं की चर्चा प्रस्तर संख्या 7.2 में की गई है।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुशंसा 8:

शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारण कर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

7.1.1 शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अंतरण

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के रूप में निधियों का हस्तांतरण किया जाता है। जैसा कि उपरोक्त तालिका 7.1 से देखा जा सकता है, वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य में शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व का बड़ा अंश (औसतन 69 प्रतिशत) सरकार से प्राप्त वित्तीय हस्तांतरण था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग अनुदान, जो कि प्राथमिक रूप से शहरी स्थानीय निकाय के कार्मिकों के वेतन और पेंशन देनदारियों के भुगतान हेतु था, वर्ष 2015–20 की अवधि में कुल अनुदान का 77 प्रतिशत था। अग्रेतर, वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य वित्त आयोग अनुदान का 67 प्रतिशत मानव संसाधन व्यय को पूरा करने के लिए व्यय किया गया था जिसके कारण विकास कार्य हेतु कम धनराशि अवशेष बची।

यद्यपि, वित्तीय अंतरण के अंतर्गत कुछ कमियाँ थीं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

7.1.1.1 राज्य वित्त आयोग अनुदान

संविधान का अनुच्छेद 243वाई (अनुच्छेद 243आई के साथ पढ़ा जाये) राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर और उसके बाद हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करे। राज्य वित्त आयोग का अधिदेश स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और स्थानीय निकायों के राजस्व आधार में सुधार के लिए संस्तुति करना, जिसमें करों को निर्दिष्ट किया जाना, राज्य के कर और गैर कर राजस्व की शुद्ध आय का बंटवारा और राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान दिया जाना शामिल है।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (धारा 127सी) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम (धारा 138ए) में संशोधन के माध्यम से राज्य वित्त आयोग के गठन और कार्यविधि का प्राविधान किया। राज्य वित्त आयोग की प्रत्येक संस्तुति को कार्यवाही ज्ञापन⁵ के साथ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में अब तक गठित सभी राज्य वित्त आयोग ने केवल स्थानीय निकायों के साथ राज्य के कर और गैर-कर राजस्व की शुद्ध आय को साझा करने के बारे में संस्तुति की थी और स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट किये जाने वाले करों या राज्य की संचित निधि से उन्हें दिए जाने वाले सहायता अनुदान के बारे में कोई संस्तुति नहीं की थी, यद्यपि, संबंधित राज्य वित्त आयोग के गठन के संदर्भ की शर्तों के अनुसार यह आवश्यक है। परिणामस्वरूप, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों में शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण का अभाव था।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

राज्य वित्त आयोग के गठन और संस्तुतियों के क्रियान्वयन में देरी

राज्य वित्त आयोग के समय पर गठन और इसकी संस्तुतियों की स्थीकृति का असर शहरी स्थानीय निकाय को निश्चित निधि के हस्तान्तरण पर पड़ता है। संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार राज्य में वर्ष 2019–20 से छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को लागू होना था। यद्यपि, वर्तमान में, 5वें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को राज्य में वर्ष 2020–21 से छह साल के विलम्ब से लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, 5वें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को भी इसकी पंचाट अवधि समाप्त होने के बाद लागू किया गया था। यह राज्य वित्त आयोग के गठन और संस्तुतियों के क्रियान्वयन में देरी के कारण था जैसा कि निम्न तालिका 7.2 में वर्णित है:

⁵ राज्य सरकार द्वारा संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

तालिका 7.2: राज्य वित्त आयोग के गठन और संस्तुतियों के लागू होने में देरी का विवरण

राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना था	पिछले राज्य वित्त आयोग के सन्दर्भ में गठित किया जाना	वास्तव में गठित	विलम्ब (महीनों में)	प्रतिवेदन जमा करने की नियत तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब (महीनों में)	स्वीकृति की तिथि	पंचांट अवधि
प्रथम	31 मई 1994 से	लागू नहीं	अक्टूबर 1994	05	अप्रैल 1995	दिसम्बर 1996	20	20.01.1998	1997–2001
द्वितीय	1999–2000	अक्टूबर 1999	फरवरी 2000	04	उपलब्ध नहीं	जून 2002	उपलब्ध नहीं	30.04.2004	2001–2006
तृतीय	2004–2005	फरवरी 2005	दिसम्बर 2004	कोई विलम्ब नहीं	दिसम्बर 2005	अगस्त 2008	32	09.02.2010	2006–2011
चतुर्थ	2009–10	दिसम्बर 2009	दिसम्बर ⁶ 2011	24	दिसम्बर 2014	दिसम्बर 2014	कोई विलम्ब नहीं	23.03.2015	2011–2016
पंचम	2014–15	दिसम्बर 2016	अक्टूबर 2015	कोई विलम्ब नहीं	सितम्बर 2016	अक्टूबर 2018	25	03.04.2020	2016–2021

(स्रोत: राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि न केवल राज्य वित्त आयोग के गठन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी हुई, बल्कि राज्य सरकार को भी राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को छोड़कर) पर निर्णय लेने में 13 से 22 महीने का समय लगा। यह विलम्ब 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के विरुद्ध थी, जिसमें बिना किसी विलम्ब के राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के लागू करने पर जोर दिया गया था और विधायिका के समक्ष कार्यवाही ज्ञापन को शीघ्र प्रस्तुत करने को भी आवश्यक बताया गया था। गठन और संस्तुतियों के लागू होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप पूर्व के राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय को निधियों का हस्ताँतरण हुआ।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवंबर 2022) नहीं की।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। मूल रूप से या संशोधनों के साथ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने संबंधित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को बड़े पैमाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के स्वीकार किया लेकिन स्वीकृत संस्तुतियों के लागू होने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, स्वीकृत संस्तुतियाँ या तो विलम्ब से लागू की गईं (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के संबंध में 30 से 34 महीने तक) या कई संस्तुतियों पर वर्तमान तक कार्यवाही शुरू किया जाना था। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों, इसकी स्वीकृति और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों के लागू होने की स्थिति का सारांश निम्न तालिका 7.3 में दर्शाया गया है:

⁶ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के कार्य करने के लिए सन्दर्भ की शर्तें पाँच महीने से अधिक के विलंब से 23 अप्रैल 2012 को जारी किया गया था।

तालिका 7.3: राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों, इसकी स्वीकृति और लागू होने की स्थिति का विवरण

राज्य वित्त आयोग	कुल संस्तुतियों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मूल संस्तुतियों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा संशोधनों के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की संख्या	कुल स्वीकृत संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का प्रतिशत	संस्तुतियों की संख्या जो अभी तक लागू नहीं की गयी या लागू ⁷ की जानी है	स्वीकृत संस्तुतियों के सापेक्ष अभी तक लागू नहीं की गयी संस्तुतियों का प्रतिशत
प्रथम	61	46	03	49	80.33	17	34.69
द्वितीय	107	67	06	73	68.22	29	39.73
तृतीय	388	198	09	207	53.35	77	37.20
चतुर्थ	49	22	06	28	57.14	07	25.00
पंचम	27	15	08	23	85.18	08	34.78
योग	632	348	32	380	60.13	138	36.32

(स्रोत: राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यद्यपि राज्य सरकार ने संबंधित राज्य वित्त आयोग की 60 प्रतिशत संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया था, तथापि 36 प्रतिशत स्वीकृत संस्तुतियों का लागू किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अलावा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के विरुद्ध, संस्थागत उपायों से संबंधित प्रमुख संस्तुतियों में कार्यवाही, जो कि लंबी अवधि में शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत करेगी, अभी लागू की जानी थी, जैसा कि निम्न तालिका 7.4 में वर्णित है:

तालिका 7.4: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियाँ, जो लागू नहीं की गई थीं या अभी तक लागू की जानी हैं, का विवरण

संस्तुतियों का विवरण	लागू होने की स्थिति
राज्य वित्त आयोग ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से या पीपीपी मोड पर निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे कार्यों को करने के लिए एक तंत्र विकसित करने और इसके तौर-तरीके तय करने की संस्तुति की।	राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड को इस संबंध में कार्यवाही आरम्भ करने के लिए अधिकृत किया, यद्यपि कोई प्रगति नहीं हुई।
राज्य वित्त आयोग ने केन्द्रीयकृत सेवाओं के प्रशासन संवर्ग से कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से एक निश्चित प्रतिशत में नगर आयुक्त के पद को भरने की संस्तुति की।	नगर आयुक्त के 20 प्रतिशत पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने पर राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गयी, तथापि, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई।
राज्य वित्त आयोग ने सभी शहरी स्थानीय निकाय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिलिंग (करों, शुल्क आदि से संबंधित) और ऑनलाइन मोड के माध्यम से देय राशि की वसूली की सुविधा प्रदान करने की संस्तुति की।	राज्य सरकार ने संस्तुति से सहमति व्यक्त की, यद्यपि, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय ने आवश्यक सुविधा विकसित नहीं की।
राज्य वित्त आयोग ने राज्य के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में शहरी सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने की संस्तुति की।	आंशिक रूप से लागू किया गया।
राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय और प्रशासनिक सूचना को अपने स्वयं के या विभाग की वेबसाइटों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में प्रसारित करने की संस्तुति की।	आंशिक रूप से लागू किया गया।

(स्रोत: राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

⁷ सम्बन्धित राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदनों से प्राप्त आँकड़े तथा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार, स्वीकृत संस्तुतियों को लागू न करने से नगरपालिका शासन को उन्नत करने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार प्रभावित हुआ।

उपरोक्त के अलावा, शहरी स्थानीय निकाय को निधियों के हस्ताँतरण से संबंधित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को भी मूल रूप से राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। राज्य वित्त आयोग—वार निधियों के हस्ताँतरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ और उनके संशोधनों को निम्न तालिका 7.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.5: राज्य वित्त आयोग—वार महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ और उनके संशोधन

राज्य वित्त आयोग	संस्तुतियाँ	संशोधन
प्रथम	शहरी स्थानीय निकाय को राज्य के राजस्व का सात प्रतिशत हस्तान्तरण।	संस्तुति को मूल रूप में स्वीकार कर लिया गया।
द्वितीय	विभाज्य पूल की अवधारणा राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें राज्य के कर राजस्व शामिल थे और संस्तुति की गई थी कि विभाज्य पूल का 7.50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जाये। इसके अतिरिक्त, मनोरंजन कर की 50 प्रतिशत आय भी शहरी स्थानीय निकाय को अंतरित की जाये।	विभाज्य पूल के केवल 7.50 प्रतिशत का हस्तान्तरण स्वीकार किया गया और मनोरंजन कर का बंटवारा स्वीकार नहीं किया गया।
तृतीय	विभाज्य पूल के अन्तर्गत राजस्व की दोनों श्रेणियों को शामिल करते हुए राज्य के कर और गैर—कर राजस्व की शुद्ध आय का नौ प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण।	विभाज्य पूल (केवल कर राजस्व की शुद्ध आय) के केवल 7.50 प्रतिशत का हस्तान्तरण स्वीकार किया गया था।
चतुर्थ	शहरी स्थानीय निकाय को राज्य के कर और गैर—कर राजस्व की शुद्ध आय के नौ प्रतिशत का हस्तान्तरण और गैर—कर राजस्व की शुद्ध आय को भी विभाज्य पूल में शामिल किया जाना चाहिए।	विभाज्य पूल (केवल कर राजस्व की शुद्ध आय) के केवल 7.50 प्रतिशत का हस्तान्तरण स्वीकार किया गया था।
पंचम	शहरी स्थानीय निकाय को राज्य के कर राजस्व की शुद्ध आय का 8.25 प्रतिशत का हस्तान्तरण।	कर राजस्व की शुद्ध आय का केवल 7.50 प्रतिशत का अंतरण स्वीकार किया गया था।

(स्रोत: राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

इस प्रकार, संशोधनों के साथ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय के अनुदान में कमी आयी।

उत्तर में नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। तथापि, यह तथ्य है कि राज्य वित्त आयोग की कई स्वीकृत संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था।

कार्यवाही ज्ञापन में उल्लिखित निर्णयों में विचलन

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों को लागू करते समय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही ज्ञापन के माध्यम से राज्य विधानमंडल को सूचित किए गए निर्णयों में कुछ विचलन थे, जैसा कि निम्न तालिका 7.6 में वर्णित है:

तालिका 7.6: कार्यवाही ज्ञापन में दर्शाए गए निर्णयों में विचलन का विवरण

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ	कार्यवाही ज्ञापन के माध्यम से राज्य विधान मंडल को सूचित राज्य सरकार का निर्णय	निर्णय के लागू होने की वास्तविक स्थिति
राज्य सरकार 42:38:20 के अनुपात में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के बीच हस्तांतरित अनुदान वितरित करे।	शहरी स्थानीय निकाय को कुल हस्तान्तरित अनुदान में से, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का हिस्सा 35:40:25 के अनुपात में होगा।	शहरी स्थानीय निकाय को कुल हस्तान्तरित अनुदान में से नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का हिस्सा 40:40:20 के अनुपात में निर्धारित किया गया।
शहरी स्थानीय निकाय के मध्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए, हस्तांतरित अनुदान का 10 प्रतिशत रोक दिया जाये और इसे उन शहरी स्थानीय निकाय को वितरित किया जाये, जिन्होंने समय पर अपने वित्तीय लेखों का लेखापरीक्षा सुनिश्चित करायें।	राज्य सरकार ने संस्तुति स्वीकार कर ली।	शहरी स्थानीय निकाय के मध्य वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए हस्तांतरित अनुदान का केवल पाँच प्रतिशत ही रोका गया।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हस्तांतरित अनुदानों में राज्य सरकार द्वारा संशोधित कार्यवाही ज्ञापन के माध्यम से राज्य विधानमंडल को सूचित किए बिना नगर पंचायत को हस्तान्तरित अनुदान एवं वित्तीय अनुशासन हेतु रोकी गयी धनराशि दोनों में पाँच प्रतिशत की कमी की गयी थी। परिणामस्वरूप, नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों का उचित हिस्सा नहीं मिला और वित्तीय अनुशासन से भी समझौता किया गया।

नगर विकास विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2022) और बताया कि संशोधित कार्यवाही ज्ञापन के माध्यम से परिवर्तन किए गए हैं। संशोधित कार्यवाही ज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किए जाने पर, निदेशक (स्थानीय निकाय) ने कहा (दिसंबर 2022) कि इस संबंध में ऐसा कोई संशोधित कार्यवाही ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार अनुदान के बजट आवंटन और वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय को वास्तव में जारी किए गए अनुदान का विवरण निम्न तालिका 7.7 में दिया गया है:

तालिका 7.7: वर्ष 2015–20 की अवधि में बजट आवंटन और जारी राज्य वित्त आयोग अनुदान का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
राज्य सरकार द्वारा अनुदान हेतु बजट आवंटन	6105.97	6412.50	6946.87	7312.50	8700.00	35477.84
शहरी स्थानीय निकाय को वास्तव में जारी किया गया अनुदान	6105.97	6412.50	6939.92	7312.50	8700.00	35470.89

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित अनुदानों में से केवल 0.10 प्रतिशत मानव संसाधन के प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए मात्राकृत⁸ किया जाना था और शेष निधियों में से 10 प्रतिशत अनुदान वित्तीय अनुशासन हेतु रोककर शहरी स्थानीय निकायों को अवशेष निधियाँ जारी किया जाना था। रोकी गई धनराशि बाद में पात्र शहरी स्थानीय निकाय को जारी की जानी थी। यद्यपि, निदेशक (स्थानीय निकाय) ने शहरी स्थानीय निकाय की विभिन्न देनदारियों⁹ के कारण ₹5,410.83 करोड़ की कटौती के बाद, वर्ष 2015–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय को केवल ₹30,031.54 करोड़ (85 प्रतिशत) (वित्तीय अनुशासन राशि सहित) स्थानांतरित किया, इस तथ्य के बावजूद कि केवल ₹28.52 करोड़ मानव संसाधन के प्रशिक्षण के लिए शहरी स्थानीय निकाय को दिए जाने वाले अनुदानों में से कटौती की जानी थी। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान (₹35,470.89 करोड़) में से निदेशक (स्थानीय निकाय) द्वारा ₹5,410.83 करोड़ की कटौती किया जाना राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के विरुद्ध थी जिसने केवल

0.10 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी थी, और यह राज्य के पक्ष में वित्तीय शक्तियों के केन्द्रीयकरण का संकेत करता है।

उत्तर में नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का आवंटन वित्त विभाग के आदेश पर होता है। यद्यपि, राज्य वित्त आयोग अनुदान के कटौती के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसाएँ:

9. राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग के गठन में विलम्ब से बचें और उनकी संस्तुतियों का त्वरित लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

10. राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों को लागू करते समय राज्य सरकार को विचलन से बचना चाहिए।

11. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि शहरी स्थानीय निकायों के पास अपनी विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों।

7.1.1.2 केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान

संविधान का अनुच्छेद 280(3) (सी) केंद्रीय वित्त आयोग को संबंधित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की संस्तुति करने का अधिकार देता है। 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल खाते के प्रतिशत के रूप में शहरी स्थानीय निकाय के लिए बुनियादी और निष्पादन अनुदान की संस्तुति की। 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय को बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन देने और मजबूत करने के लिए बुनियादी अनुदान प्रदान किया

⁸ जिसका उपयोग निदेशालय स्तर पर स्थापित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाना था।

⁹ स्ट्रीट लाइटिंग और पानी की आपूर्ति के लिए बिजली शुल्क, केन्द्रीकृत कर्मचारी की पेंशन देनदारियां, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन एवं अनुरक्षण आदि।

जाना था, जिसमें जल आपूर्ति, सेप्टिक प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सड़कों और फुटपाथों, स्ट्रीट-लाइटिंग, कब्रिस्तान और श्मशान घाट आदि का रखरखाव शामिल था। निष्पादन अनुदान शहरी स्थानीय निकाय के बीच उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए था और उन शहरी स्थानीय निकाय को प्रदान किया जाना था, जिन्होंने लेखापरीक्षित लेखों का रखरखाव, स्वयं के राजस्व की वसूली में सुधार और बुनियादी सेवाओं के लिए सेवा स्तर बेचमार्क के विरुद्ध उपलब्धियों को प्रकाशित किया है। यद्यपि 14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि वर्ष 2015–20 थी, इसने केवल वर्ष 2016–20 की अवधि के लिए निष्पादन अनुदान जारी करने की संस्तुति की थी।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, वर्ष 2015–20 की अवधि में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के आवंटन और जारी करने का विवरण निम्न तालिका 7.8 में दिया गया है:

तालिका 7.8: वर्ष 2015–20 की अवधि में केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों के आवंटन और निर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन		निर्गमन		निर्गमन में कमी	
	बुनियादी अनुदान	निष्पादन अनुदान	बुनियादी अनुदान	निष्पादन अनुदान	बुनियादी अनुदान	निष्पादन अनुदान
2015-16	983.60	-	983.60	-	0.00	0.00
2016-17	1,361.97	401.97	1,351.24	398.80	10.73	3.17
2017-18	1,573.63	454.88	1,537.33	-	36.30	454.88
2018-19	1,820.41	516.58	1,817.62	-	2.79	516.58
2019-20	2,459.76	676.42	2,455.98	-	3.78	676.42
योग	8,199.37	2,049.85	8,145.77	398.80	53.60	1,651.05

(भोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गई सूचना)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 की अवधि में भारत सरकार द्वारा बुनियादी और निष्पादन अनुदान के मद में क्रमशः धनराशि ₹53.60 करोड़ और ₹1,651.05 करोड़ कम जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 के लिए राज्य के 124 शहरी स्थानीय निकाय के लिए निष्पादन अनुदान जारी किया था, तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु शहरी स्थानीय निकाय की पात्रता निर्धारित करने के लिए वर्ष 2017–20 की अवधि के दौरान एक नई योजना लाई गई (जुलाई 2017)। नये निष्पादन अनुदान योजना के अंतर्गत, निष्पादन अनुदान की अनिवार्य शर्तों को भारांक अंकों के साथ जोड़ा गया था, यथा, लेखापरीक्षित लेखों के प्रकाशन के लिए 10 अंक, स्वयं के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए 40 अंक और सेवा स्तर बेचमार्क के प्रकाशन के लिए 50 अंक। अग्रेतर, 60 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शहरी स्थानीय निकाय निष्पादन अनुदान के लिए पात्र थे। हालाँकि, वर्ष 2017–18 के निष्पादन अनुदान के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा योग्यता स्कोर को 40 अंक तक कम कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय को स्व-मूल्यांकन करने और निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार को निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे शहरी स्थानीय निकाय के

निष्पादन के मूल्यांकन और उचित सत्यापन के बाद अपनी समेकित रिपोर्ट और निष्पादन अनुदान का दावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट स्मार्टनेट में डेटा अपलोड करके आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नये निष्पादन अनुदान योजना के मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर, राज्य के 118, 48 और 76 शहरी स्थानीय निकाय (विधिवत रूप से गठित शहरी स्थानीय निकाय का 18, 7 और 12 प्रतिशत) को क्रमशः वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के निष्पादन अनुदान के लिए नगर विकास विभाग द्वारा पात्र घोषित किया गया था। इन पात्र शहरी स्थानीय निकाय का दावा नगर विकास विभाग द्वारा जाँच के बाद निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया था। कुछ शहरी स्थानीय निकाय के दावों के संबंध में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक संस्थान) के 14वें वित्त आयोग सपोर्ट सेल द्वारा कुछ कमियों को इंगित (नवंबर 2017 और अक्टूबर 2019 के बीच) किया गया था जैसे शहरी स्थानीय निकाय की वेबसाइट क्रियाशील न होना, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे शहरी स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर एवं डेटा स्मार्टनेट पर अपलोड नहीं किया जाना तथा अपलोड किए गए अभिलेख पढ़ने योग्य न होना। निदेशक (स्थानीय निकाय) के अभिलेखों में उपलब्ध पत्र व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए उत्तर (दिसंबर 2023) के अनुसार, 14वें वित्त आयोग सपोर्ट सेल द्वारा इंगित कमियों का निराकरण किया गया था। हालांकि, वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए राज्य के पात्र शहरी स्थानीय निकाय के लिए भारत सरकार द्वारा कोई निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि भारत सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान अवमुक्त नहीं करने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

नमूना जाँच किए गए 50 शहरी स्थानीय निकाय में से, 16 शहरी स्थानीय निकाय¹⁰ (आठ प्रतिशत) को नगर विकास विभाग द्वारा निष्पादन अनुदान के लिए पात्र घोषित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा निष्पादन अनुदान के लिए उनके दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों और 16 शहरी स्थानीय निकाय के अन्य अभिलेखों की जाँच से निष्पादन अनुदान के दावे में कमियों के उदाहरण सामने आए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

➤ नमूना जाँच की गई नगर पंचायत, बकशी का तालाब 70 वेटेज भारांक के साथ वर्ष 2017–18 के लिए पात्र शहरी स्थानीय निकाय की सूची में सम्मिलित थी, हालांकि इसने न तो अपनी वेबसाइट पर वर्ष 2015–16 का लेखापरीक्षित लेखा प्रकाशित किया और न ही नागरिकों को जल आपूर्ति सेवाएं प्रदान कीं। इसके बावजूद वार्षिक लेखों एवं जल आपूर्ति सेवाओं के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क के प्रकाशन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कुल 40 भारांक का दावा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय को निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता अर्जन में सहायता मिली।

➤ नमूना जाँच की गई नगर पालिका परिषद, बिलारी और ललितपुर 55 भारांक के साथ वर्ष 2017–18 के लिए पात्र शहरी स्थानीय निकाय की सूची में सम्मिलित थे, हालांकि, लेखापरीक्षित लेखों के प्रकाशन और सभी सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों को 24x7 पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक इकाई द्वारा 10 भारांक का

¹⁰ 2017–18 – नगर निगम: झाँसी और लखनऊ; नगर पालिका परिषद: अमरोहा, बचरांयू, भदोही, बिलारी, ललितपुर और पलिया कला; नगर पंचायत–बकशी का तालाब और तालबेहट।

2018–19 – नगर निगम: लखनऊ; नगर पालिका परिषद: लखीमपुर।

2019–20 – नगर निगम: मथुरा–वृद्धावन; नगर पालिका परिषद: चिरगांव, गुरसराय और मऊरानीपुर; नगर पंचायत: उमरी कलां।

दावा किया गया जो कि दोनों नगर पालिका परिषद द्वारा इस संबंध में किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे। इसके अलावा, नगर पालिका परिषद बिलारी में, वर्ष 2016–17 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय के अनुपात हेतु 20 भारांक का दावा वार्षिक लेखे के बजाय बजट अनुमान पर आधारित था।

➤ नमूना जाँच की गई नगर पंचायत, तालबेहट 65 भारांक के साथ वर्ष 2017–18 के लिए पात्र शहरी स्थानीय निकाय की सूची में सम्मिलित थी, हालांकि, लेखापरीक्षित लेखों के प्रकाशन और सभी सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों को 24x7 पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 10 भारांक का दावा किया गया था जो कि किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे। इसके अलावा, 20 प्रतिशत गैर–राजस्व जलापूर्ति के साथ 15 भारांक का दावा भी योजना के मानदंडों के खिलाफ था, क्योंकि 20 से 30 प्रतिशत के बीच गैर–राजस्व जलापूर्ति के लिए केवल 10 भारांक अंक स्वीकार्य थे। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय ने आवश्यक सुविधाओं के विकास के बिना ही ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए 10 भारांक अंक का दावा किया।

➤ नमूना–जाँच किए गए नगर पालिका परिषद भदोही और पलिया कलां क्रमशः 45 और 60 अंकों के साथ वर्ष 2017–18 के लिए पात्र शहरी स्थानीय निकाय की सूची में सम्मिलित थे, यद्यपि, नगर पालिका परिषद पलिया कलां द्वारा 10 भारांक अंकों का दावा लेखापरीक्षित लेखों के प्रकाशन के बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, सभी सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों को 24x7 पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए दोनों नगर पालिका परिषद द्वारा 10 भारांक अंक का दावा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं था। इसके अतिरिक्त, ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए दोनों नगर पालिका परिषद द्वारा पांच भारांक अंक का दावा काल्पनिक था क्योंकि उनके पास इस संबंध में कोई सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय के अनुपात हेतु दोनों नगर पालिका परिषद द्वारा 20 भारांक का दावा भी अस्पष्ट था क्योंकि वर्ष 2016–17 के लिए नगर पालिका परिषद पलिया कलां के वास्तविक व्यय के आंकड़ों में किसी भी नए कार्य पर व्यय का उल्लेख नहीं था एवं नगर पालिका परिषद भदोही ने दावे के समर्थन में वर्ष 2016–17 के नये कार्यों पर वास्तविक व्यय के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये।

➤ नमूना–जाँच की गई नगर पालिका परिषद, चिरगाँव, गुरसराय और मऊरानीपुर क्रमशः भारांक 60, 60 और 65 के साथ वर्ष 2019–20 के निष्पादन अनुदान के लिए पात्र शहरी स्थानीय निकाय की सूची में शामिल थे, यद्यपि इनके द्वारा क्रमशः भारांक पांच, पांच और 10 का दावा ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान की सुविधा के विकास के बिना ही किया गया था।

विसंगतियों के उपरोक्त उदाहरणों से परिलक्षित होता है कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादन अनुदान के दावे की प्रक्रिया और नगर विकास विभाग द्वारा दावे का सत्यापन पारदर्शी नहीं था, जिसके कारण अयोग्य शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक भारांक अंक हासिल कर लिए गए।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि भारत सरकार ने 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में राज्य के शहरी स्थानीय निकाय (शहरी समूहों/शहरों सहित) के लिए वर्ष 2020–21 के लिए कुल आवंटित अनुदान राशि ₹4,695.00 करोड़ जारी की गई, जिसमें से अनुदान राशि ₹3,061.50 करोड़ निष्पादन–आधारित संकेतकों

से जुड़े थे। यद्यपि, वर्ष 2021–22 के लिए ₹3,550.00 करोड़ के कुल अनुदान के आवंटन के मुकाबले, जिसमें से ₹2,562.00 करोड़ निष्पादन—आधारित संकेतकों से संबंधित था, भारत सरकार द्वारा केवल ₹3,392.25 करोड़ जारी किया गया था। वर्ष 2021–22 के लिए कम निर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान राशि ₹157.75 करोड़, राज्य के मिलियन प्लस शहरों की परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के निष्पादन—आधारित संकेतक से संबंधित थी।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवंबर 2022) नहीं की। अग्रेतर नगर विकास विभाग को लेखापरीक्षा आपत्ति जारी (दिसंबर 2023) किये जाने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान जारी करने में विलम्ब

14वें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को भारत सरकार से केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान की धनराशि प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करना आवश्यक था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि के भीतर शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान हस्तांतरित नहीं किया जिसका विवरण निम्न तालिका 7.9 में दिया गया है:

तालिका 7.9: वर्ष 2015–20 के दौरान केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान की धनराशि जारी करने में विलम्ब का विवरण

वर्ष	अनुदान का प्रकार/किश्त की संख्या	भारत सरकार से प्राप्ति की तिथि	राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण की तिथि	विलम्ब दिनों में (15 दिनों से अधिक)
2015-16	बुनियादी अनुदान-I	18/08/2015	04/09/2015	03
	बुनियादी अनुदान-II	28/04/2016	09/05/2016	कोई विलम्ब नहीं
2016-17	बुनियादी अनुदान-I	15/12/2016	23/12/2016	कोई विलम्ब नहीं
	बुनियादी अनुदान-II	31/03/2017	13/04/2017	कोई विलम्ब नहीं
	बुनियादी अनुदान-III	18/05/2017	07/06/2017	06
	निष्पादन अनुदान	15/03/2017	28/03/2017	कोई विलम्ब नहीं
2017-18	बुनियादी अनुदान-I	06/10/2017	18/10/2017	कोई विलम्ब नहीं
	बुनियादी अनुदान-II	23/02/2018	08/03/2018	कोई विलम्ब नहीं
	बुनियादी अनुदान-III	23/02/2018	13/03/2018	04
2018-19	बुनियादी अनुदान-I	28/09/2018	09/10/2018	कोई विलम्ब नहीं
	बुनियादी अनुदान-II	21/01/2019	31/01/2019	कोई विलम्ब नहीं
2019-20	बुनियादी अनुदान-I	04/07/2019	19/07/2019	कोई विलम्ब नहीं
	बुनियादी अनुदान-II	31/12/2019	08/01/2020	कोई विलम्ब नहीं

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गई सूचना)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–20 की अवधि में तीन अवसरों पर अनुदान के हस्तान्तरण में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, अनुदान के हस्तान्तरण में विलम्ब के कारण, शहरी स्थानीय निकाय को ब्याज के रूप में ₹99.48 लाख की राशि का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कोष को नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2020–22 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय को निर्धारित समय में अनुदान हस्तांतरित किया।

नगर विकास विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2022) और बताया कि अब शहरी स्थानीय निकाय को निर्धारित समय अवधि में धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है।

अनुदान का अनाधिकृत हस्तान्तरण

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों को जारी किए गए केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों में से उन शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान हस्तान्तरित किया जाना था, जहां एक निर्वाचित निकाय मौजूद था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015–18 के दौरान, धनराशि ₹8.09 करोड़ की धनराशि नगर पालिका परिषद भरवारी और 18 अन्य नगर पंचायत को स्थानांतरित की गई थी, जहां परिषद का गठन नहीं किया गया था (**परिषिष्ट-XVIII**), परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान का अनाधिकृत हस्तान्तरण हुआ।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवंबर 2022) नहीं की।

अनुशंसा 12:

राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की निगरानी करनी चाहिए ताकि आवंटित अनुदान पूरी तरह से और समय पर जारी किया जा सके।

7.1.1.3 निर्दिष्ट राजस्व

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 191 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, नगर निगमों और नगरपालिकाओं को उनके क्षेत्र की सीमा के अन्दर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी विलेख पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 39 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 62 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद को भी अधिकृत करता है। चूँकि, राज्य सरकार का स्टाम्प एवं निबंधन विभाग अचल संपत्तियों के दस्तावेजों के पंजीकरण का कार्य करता है, इसलिए लगाए गए शुल्क की वसूली में इन संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है।

तदनुसार, राज्य सरकार ने वसूली गई शुल्क की राशि को विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा शहरी स्थानीय निकाय के बीच आकस्मिक एवं संग्रहण व्ययों को घटाकर एक निश्चित प्रतिशत¹¹ में बजट द्वारा वितरित करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2013)। इसके अलावा, शुल्क की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड में भी जमा किया जाना था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का देय भाग जारी नहीं किया था और वर्ष 2015–22 की अवधि

¹¹ यदि नगरपालिका के क्षेत्र में विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद दोनों मौजूद हैं या इनमें से कोई मौजूद है, तो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आय का 37.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय को स्थानांतरित किया जाना था। शहरी स्थानीय निकाय के अलावा अन्य निकायों के अस्तित्व में न होने की स्थिति में, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की आय का 75 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाना था।

में शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित धनराशि के विरुद्ध शुल्क जारी करने में 72 प्रतिशत की कमी थी, जैसा कि निम्न तालिका 7.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.10: शहरी स्थानीय निकाय को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क कम जारी करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के मद में वसूल की गयी धनराशि	शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित धनराशि	शहरी स्थानीय निकाय को निर्गत धनराशि	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क निर्गत करने में कमी
2015-16	1,110.61	777.00	434.00	343.00
2016-17	1,056.35	739.00	501.00	238.00
2017-18	1,233.65	864.00	501.00	363.00
2018-19	1,103.75	773.00	175.00	598.00
2019-20	1,473.48	1,031.44	0.00 ¹²	1,031.44
2020-21	1,527.73	765.18	0.00 ¹³	765.18
2021-22	1,911.90	950.75	50.00 ¹⁴	900.75
योग	9,417.47	5,900.37	1,661.00	4,239.37

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

➤ राज्य सरकार के आदेश (मई 2015) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय को वसूल किए गए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में अपने देय हिस्से का विवरण स्टाम्प एवं निबंधन विभाग से प्राप्त करना था और आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय (मुरादाबाद के नगर पालिका परिषद ठाकुरद्वारा को छोड़कर) ने अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के मद में अपने देय अंश के सम्बन्ध में स्टाम्प एवं निबंधन विभाग से आवश्यक सूचना एकत्र नहीं की। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वर्ष 2015-19 के दौरान शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त धनराशि उचित थी।

➤ नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से नगर पंचायत बैरिया (बलिया), बख्ती का तालाब (लखनऊ), एका (फिरोजाबाद), गोकुल (मथुरा), इटाँजा (लखनऊ), मनियर (बलिया) एवं पाकबड़ा (मुरादाबाद) ने अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया था, परिणामस्वरूप उन्हें राजस्व की हानि हुई।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवंबर 2022) नहीं की।

अनुशंसा 13:

राज्य सरकार को इस संबंध में प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के मद में शहरी स्थानीय निकायों का देय हिस्सा जारी करना चाहिए।

¹² निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित निधि से ₹175.00 करोड़ की धनराशि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी।

¹³ निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित निधि से ₹375.00 करोड़ की धनराशि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी।

¹⁴ निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित निधि से ₹500.00 करोड़ की धनराशि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी।

उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड

राज्य सरकार ने शहरी परिवहन से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (यूपीडीयूटीएफ) की स्थापना (जनवरी 2014) की। प्राविधानों के अनुसार, यूपीडीयूटीएफ की प्राप्तियों का उपयोग केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के तहत अनुमोदित शहरी परिवहन परियोजनाओं के संसाधन अंतर को भरने के लिए, विशेष प्रयोजन वाहन और शहरी परिवहन परियोजनाओं आदि में शामिल संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाना था। यूपीडीयूटीएफ के प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव, यूपी सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, नगर पालिकाओं/शहर की सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी विलेख पर दो प्रतिशत की दर से लगाए गए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत उसके वसूली के बाद, राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से यूपीडीयूटीएफ को हस्तान्तरित किया जाना था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूपीडीयूटीएफ की स्थापना का उद्देश्य वर्ष 2009–10 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत क्रय की गई 1140 सिटी बसों के संचालन के कारण घाटे में चल रहे विशेष प्रयोजन वाहन को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यूपीडीयूटीएफ की स्थापना से पूर्व, इन सिटी बसों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के सात¹⁵ प्रमुख शहरों में बसों के इस बेड़े के माध्यम से सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए छह विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2009)। तदनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन को वर्ष 2009–10 के दौरान निगमित किया गया था और इन विशेष प्रयोजन वाहन पर प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए एक नगरीय परिवहन निदेशालय भी स्थापित (अप्रैल 2009) किया गया था।

वर्ष 2014–22 के दौरान शहरी परिवहन सुविधा के वित्तपोषण के लिए उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड के तहत निधि का निर्गमन और उपयोग की स्थिति का विवरण निम्न तालिका 7.11 में दिया गया है:

तालिका 7.11: वर्ष 2014–22 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड के तहत राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित धनराशि	व्यय
2014-15	225.00	00.00
2015-16	479.55	00.00
2016-17	00.00	52.75
2017-18	00.00	49.90
2018-19	00.00	338.90
2019-20	150.00	152.62
2020-21	150.00	65.03
2021-22	150.00	182.11
योग	1,154.55	841.31

(प्रोत: नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

¹⁵ आगरा, कानपुर, मथुरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी शहरी स्थानीय निकाय की अतिरिक्त स्टांप शुल्क की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत यूपीडीयूटीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसे केवल बड़े शहरों के विशेष प्रयोजन वाहन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि को समाप्त करना

राज्य सरकार ने किसी अन्य राज्य से राज्य के स्थानीय क्षेत्र में बिक्री या उपभोग के लिए वस्तुओं के आवागमन पर वर्ष 2007 में प्रवेश कर लगाया। राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विकास या सुविधा के लिए प्रवेश कर को उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि नामक एक निधि में विनियोजित किया जाना था। इस प्रयोजन हेतु अवसंरचनात्मक विकास हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान प्रदान किया जाना था।

तदनुसार, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान प्रदान करने हेतु नगरीय पेयजल योजना, नगरीय सीवरेज योजना, नगरीय जल निकास योजना, नगरीय सड़क सुधार योजना, आदर्श नगर योजना आदि जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 2015–17 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से शहरी स्थानीय निकाय को प्रदान किए गए अनुदान का विवरण निम्न तालिका 7.12 में दिया गया है:

तालिका 7.12: वर्ष 2015–17 के दौरान उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से शहरी स्थानीय निकाय को प्रदान किए गए अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राविधान	निर्गत	व्यय
2015-16	662.97	662.85	641.54
2016-17	625.00	592.67	585.69
योग	1,287.97	1,255.52	1,227.23

(स्रोत: नगर विकास विभाग)

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 01 जुलाई 2017 से प्रवेश कर को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत सम्मिलित कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से शहरी स्थानीय निकाय को अवसंरचनात्मक विकास के लिए अनुदान वर्ष 2017–18 से बंद कर दिया गया था और राज्य सरकार ने प्रवेश कर के समावेश के कारण इस मद में हुए हानि का शहरी स्थानीय निकाय को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दिया। इस प्रकार, जीएसटी के लागू होने के कारण शहरी स्थानीय निकाय राजस्व के एक प्रमुख स्रोत से वंचित थे।

उत्तर में, नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत, राज्य के अपने राजस्व (जीएसटी सहित) की शुद्ध प्राप्ति का कुछ प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित किया जाता है और जीएसटी में प्रवेश कर की आय भी शामिल है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर राजस्व की शुद्ध आय का केवल 7.50 प्रतिशत राज्य वित्त आयोग की प्रणाली के तहत शहरी स्थानीय निकाय को वापस लौटाया गया था, यद्यपि, जीएसटी के लागू होने से पहले प्रवेश कर की समस्त धनराशि शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित थी। जीएसटी के लागू होने के कारण शहरी स्थानीय निकाय के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने जीएसटी के तहत शामिल करों के कारण शहरी स्थानीय निकाय को प्रतिपूर्ति प्रदान

करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (स्थानीय प्राधिकरणों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 लागू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत समाहित करों के सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया।

7.2 शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं का राजस्व

शहरी स्थानीय निकाय के पास एक विस्तृत स्वतंत्र कर अधिरोपण क्षेत्र नहीं है। भूमि और भवनों पर संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकाय के अपने कर राजस्व का मुख्य आधार है और शहरी स्थानीय निकाय के प्रत्येक स्तर के लिए संपत्ति कर लगाना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय हेलीकाप्टरों और विमानों पर कर (जब वे निगमों के क्षेत्र में उत्तरते हैं या उड़ान भरते हैं), व्यापार और आजीविका पर कर, खाली भूमि पर कर, बेटरमेंट टैक्स, विज्ञापन कर, थियेटर कर आदि से कर राजस्व एकत्र कर सकते हैं। इसी तरह, शहरी स्थानीय निकाय जल शुल्क, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराया, उपयोगकर्ता शुल्क, 39 मदों पर व्यापार लाइसेंस शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि से गैर-कर राजस्व एकत्र कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 199 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 131 के अनुसार, इन अधिनियमों में प्रदान किए गए किसी भी कर को लगाने की शक्तियाँ शहरी स्थानीय निकाय के पास निहित हैं। परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर नगर निगम/नगरपालिका कोई भी कर लगा सकती है, तत्पश्चात इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर मसौदा नियम आदि सहित प्रस्ताव तैयार किया जाता है। करों की दरों और उनके पुनरीक्षण, संग्रह की प्रक्रिया, निर्धारण की पद्धति, छूट, रियायतों आदि के संबंध में नियम बनाने से संबंधित शक्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित थीं। इसी प्रकार, यद्यपि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान शहरी स्थानीय निकाय को गैर-कर राजस्व एकत्र करने का अधिकार देते हैं, तथापि, शुल्क और शुल्क की दरों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय के पास अपना राजस्व सृजित करने में पूर्ण स्वायत्तता का अभाव था।

वर्ष 2015–20¹⁶ की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकाय के कुल व्यय में स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व का हिस्सा निम्न तालिका 7.13 में दिया गया है:

तालिका 7.13: शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वयं का कर राजस्व	स्वयं का गैर कर राजस्व	स्वयं का कुल राजस्व	व्यय	स्वयं के कुल राजस्व में कर/गैर-कर राजस्व का प्रतिशत		कुल व्यय में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	
					कर	गैर कर	कर	गैर-कर
2015-16	857.04	612.55	1,469.59	9511.00	58.32	41.68	9.01	6.44
2016-17	921.39	751.07	1,672.46	9593.30	55.09	44.91	9.6	7.83
2017-18	975.07	1,047.11	2,022.18	10388.19	48.22	51.78	9.38	10.08
2018-19	1,313.80	871.93	2,185.73	11448.46	60.11	39.89	11.48	7.62
2019-20	1,150.58	730.30	1,880.88	11038.89	61.17	38.83	10.42	6.62
योग	5,217.88	4,012.96	9,230.84	51,979.84	56.53	43.47	10.04	7.72

(स्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

¹⁶ नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 के दौरान शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व में स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व का योगदान 57 प्रतिशत और 43 प्रतिशत था और कुल व्यय का केवल 18 प्रतिशत आच्छादित करता था, जो की पुनः इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय पूँजीगत व्यय में पर्याप्त रूप से निवेश करने के लिए अधिकतर शासकीय अनुदान पर निर्भर थे।

नमूना जाँच किये गए नगर आधारित शहरी स्थानीय निकाय में स्वयं के राजस्व के संघटन तथा उसके अधिरोपण की उदाहरणात्मक सूची नीचे तालिका 7.14 में दी गई है:

तालिका 7.14: नगर आधारित नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय में स्वयं के राजस्व की संरचना एवं उसके अधिरोपण की स्थिति का विवरण

स्थानीय निकाय का नाम	सम्पत्ति / गृह कर	जल कर	सीधे कर	स्वस्त्रता / कंजरवेंसी टैक्स	आती भूमि पर कर	संपत्तियों का इस्तानतरण	वाहनों पर कर (यात्रिक कृपा कर)	विज्ञापन पर कर	कुत्तों पर कर	बैटरीटैक्स	थ्रियेटर कर	व्यापार / पेशा पर कर	पार्किंग शुल्क	भवनों से किराया	जल मूल्य	बाइसेंस शुल्क	भवन निर्माण की स्वीकृति	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	केंद्र सरकार के संपत्तियों से सेवा प्रभार	रेलवे से सेवा प्रभार
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
नगर निगम, लखनऊ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
नगर निगम, झाँसी	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
नगर निगम, मुरादाबाद	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
नगर निगम, मधुरा-वृन्दावन	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
नगर पालिका परिषद रामपुर	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
नगर पालिका परिषद बलिया	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
नगर पालिका परिषद टूण्डला (फिरोजाबाद)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
नगर पालिका परिषद ललितपुर	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं ¹⁷	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़)	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
नगर पालिका परिषद अमरोहा	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
नगर पालिका परिषद लखीमपुर (लखीमपुर खीरी)	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
नगर पालिका परिषद भद्रोही	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
नगर पालिका परिषद मिर्जापुर	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं

(प्रोत: नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

¹⁷ नगर पालिका परिषद, ललितपुर में जल मूल्य जल संस्थान द्वारा एकत्र किया जाता था क्योंकि वे जल सेवाएं प्रदान करते थे।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि स्वयं के राजस्व के संभावित स्रोत जैसे कंजरवेंसी टैक्स, वाहनों पर कर (यांत्रिकी चालित के अलावा), कुर्तों पर कर, व्यापार और आजीविका पर कर, बेटरमेंट टैक्स, रेलवे से सेवा प्रभार, थिएटर कर आदि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बेहतर तरीके से उपयोग में लाया नहीं गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से दो नगर निगम, 13 नगर पालिका परिषद एवं 17 नगर पंचायत में कुल 92 संकल्प (जैसा कि परिशिष्ट-XIX में वर्णित है) कर एवं गैर-कर राजस्व से संबंधित प्रकरणों में परिषदों द्वारा वर्ष 2015–20 के दौरान पारित किए गए थे, तथापि, इन संकल्पों का क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अग्रेतर, स्वयं का कर राजस्व आधार कम होने के बावजूद, राज्य में किसी भी पात्र नगर निगम द्वारा हेलीकाप्टरों और विमानों पर कर नहीं लगाया गया था। यह भी पाया गया कि बेटरमेंट टैक्स (शहरी स्थानीय निकाय के विकास कार्यों के कारण भूमि के बढ़े हुए मूल्य पर एक कर) लगाने का अधिकार विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद को सौंपा¹⁸ गया था, जिससे शहरी स्थानीय निकाय को अपना राजस्व आधार बढ़ाने में बाधा आयी।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वयं के राजस्व की वसूली में आने वाली बाधाओं/कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

7.2.1 संपत्ति कर

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172 और 173 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128, 129 और 129ए के तहत शहरी स्थानीय निकाय को प्रत्येक वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी भवनों या खाली भूमि या दोनों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार है। इसमें गृह कर¹⁹, जल कर²⁰, ड्रेनेज/सीवरेज कर²¹ और कंजरवेंसी टैक्स²² शामिल है, और इसे भवनों या जमीन या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य²³ पर संग्रह किया जाना है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति कर भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य के 22 प्रतिशत से कम और 32 प्रतिशत से अधिक नहीं होना है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2000 में नगर निगमों के लिए संपत्तियों के निर्धारण हेतु दर और प्रक्रिया और संपत्ति कर के संग्रह के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियमों को बनाया।

¹⁸ उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 द्वारा।

¹⁹ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यह एक सामान्य कर है और नगर निगम में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य के 10 प्रतिशत से कम और 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

²⁰ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नगर निगम में जल आपूर्ति सेवाओं के लिए कर, नगर निगम में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य के 7.50 प्रतिशत से कम नहीं और 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

²¹ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए कर, नगर निगम में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य के 2.50 प्रतिशत से कम और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

²² उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से मलमूत्र और प्रदूषित पदार्थों के संग्रह, निष्कासन और निपटान के लिए कर, नगर निगम में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

²³ प्रति वर्षफुट किराए की न्यूनतक मासिक दर के साथ भूमि या भवन या दोनों के आच्छादित या कारपेट क्षेत्र को गुण करके गणना की जानी है।

हालांकि, नगर पालिकाओं के मामले में, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान संपत्ति कर की दर के बारे में मौन हैं और यह नगरपालिकाओं द्वारा उपविधियों के माध्यम से निर्धारित किया जाना है।

वर्ष 2015–20²⁴ की अवधि के दौरान राज्य में शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व की तुलना में संपत्ति कर से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न तालिका 7.15 में दिया गया है:

तालिका 7.15: 2015–20 के दौरान स्वयं के राजस्व की तुलना में संपत्ति कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वयं का राजस्व	संग्रहीत गृह कर ²⁵	जल कर (सीवर कर सहित)	कुल संपत्ति कर	स्वयं के राजस्व के सापेक्ष संपत्ति कर का प्रतिशत
2015-16	1,469.59	529.72	230.01	759.73	51.70
2016-17	1,672.46	567.19	243.56	810.75	48.48
2017-18	2,022.18	640.93	215.80	856.73	42.37
2018-19	2,185.73	771.40	333.97	1105.37	50.57
2019-20	1,880.88	760.89	234.62	995.51	52.93
योग	9,230.84	3,270.13	1,257.96	4,528.09	49.05

(स्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकाय के कुल स्वयं के राजस्व में संपत्ति कर का हिस्सा 42 और 53 प्रतिशत के बीच था और शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व का प्रमुख स्रोत था। इस तथ्य के बावजूद, 44²⁶ शहरी स्थानीय निकाय ने गृह कर (दिसंबर 2022 तक) अधिरोपित नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद मार्च 2020 तक किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने कंजरवेंसी टैक्स नहीं लगाया था।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए समय—समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

7.2.1.1 संपत्ति कर के संग्रह में दक्षता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना—जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में से नगर पालिका परिषद, स्वार (रामपुर) एवं दो नगर पंचायत²⁷ ने मार्च 2020 तक गृहकर अधिरोपित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, नमूना—जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकाय में मांग के विरुद्ध गृहकर की वसूली भी कम थी। 47 नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय जहाँ पर गृह कर लगाया गया था, में से 43 में वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान ₹3,370.50 करोड़ की मांगों के विरुद्ध, केवल ₹1,051.79 करोड़

²⁴ नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

²⁵ राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 2015–20 की अवधि के दौरान मांगे गए गृहकर के आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

²⁶ नगर पालिका परिषद: बिसौली और रामनगर एवं नगर पंचायत: अगवानपुर, अमेठी, बदलापुर, बहुआ, बैरिया, बनकटी, बरियापुर, बासगांव, बेलहरा, चितबड़ागांव, चिरैयाकोट, ढकिया, धौराटांडा, एका, गौरीगंज, लखनऊ का गोसाईगंज, अयोध्या का गोसाईगंज, हरा, इस्लामनगर, किशनपुर, कस्बा संग्रामपुर उनवल, खिवाई, खोड़ामाकनपुर, कोरांव, लालगंज, मधुबन, माहुल, मऊआइमा, नंदगांव, नसीराबाद, पाकबड़ा, परसपुर, राधाकुंड, रानीगंज, राया, रुदायन, शाहजहापुर, सासनी, सिरसा, शाहबाद, सोनौली और वजीरगंज।

²⁷ पाकबड़ा (मुरादाबाद) और शाहबाद (रामपुर)।

वसूल किया गया था और मार्च 2020 के अंत में संचित बकाया राशि ₹2,318.72 करोड़ (69 प्रतिशत) था, जिसका विवरण **परिशिष्ट-XX** में दिया गया है। शेष चार नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकाय²⁸ में इस संबंध में आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि:

- नमूना—जाँच किए गए चार नगर निगम, 21 नगर पालिका परिषद एवं 25 नगर पंचायत में सभी नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद तथा 22 नगर पंचायत²⁹ में जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध थी। यद्यपि, इन शहरी स्थानीय निकाय में से सात नगर पालिका परिषद³⁰ और 16 नगर पंचायत³¹ ने जल कर अधिरोपित नहीं किया गया था, जो कि, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है।
- नमूना जाँच किए गए चार नगर निगमों एवं 21 नगर पालिका परिषदों में से चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम—लखनऊ, मथुरा—वृन्दावन और मुरादाबाद तथा नगर पालिका परिषद, रामपुर) में सीवरेज सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध थी तथा नमूना जाँच किए गए अन्य शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम झांसी सहित) में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जबकि, सीवरेज सुविधा वाले शहरी स्थानीय निकायों में से नगर पालिका परिषद, रामपुर में सीवर कर नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 1997 के राज्य सरकार के आदेश द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों इत्यादि द्वारा विकसित कालोनियों को उन्हें हस्तान्तरित किये जाने अथवा उनके विकसित होने के सात वर्ष पश्चात उनके निवासियों पर संपत्ति कर लगाने और वसूल करने के अधिकार दिए गए थे। इसके विपरीत, वर्ष 1987 में नगर पालिका परिषद, रामपुर को हस्तान्तरित सीवरेज सुविधा युक्त आवास एवं विकास परिषद कॉलोनी के निवासियों पर सीवर टैक्स नहीं लगाया गया था।
- नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत तथा नगर निगम मथुरा—वृन्दावन में ऑनलाइन बिलिंग एवं भुगतान प्रणाली प्रारंभ नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप संपत्ति कर संग्रहण की दक्षता प्रभावित हुई।
- राज्य सरकार ने भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से संपत्तियों के चिन्हीकरण के आधार पर संपत्ति कर के पुर्नमूल्यांकन के लिए निर्देशित (जुलाई 2019) किया, यद्यपि नगर पालिका परिषद बिलारी (मुरादाबाद) को छोड़कर नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने संपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग की प्रक्रिया स्वयं शुरू नहीं की थी। परिणामस्वरूप, नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी संपत्तियों का पुर्नमूल्यांकन, नमूना जाँच किए गए नगर निगम (जैसा कि प्रस्तर संख्या 7.6 में चर्चा की गयी है) को छोड़कर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

²⁸ नगर पालिका परिषद: बिलिया और बिलासपुर (रामपुर) और नगर पंचायत: फरिहा (फिरोजाबाद) और मनियर (बलिया)।

²⁹ सिवाय नगर पंचायत: बैरिया (बलिया), बर्जी का तालाब (लखनऊ) और पाकबड़ा (मुरादाबाद)।

³⁰ बछरांयूँ (अमरोहा), बिलारी (मुरादाबाद), पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), रसड़ा (बलिया), स्वार (रामपुर), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूड़ला (फिरोजाबाद)।

³¹ छाता (मथुरा), गोकुल (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), इटौंजा (लखनऊ), जोया (अमरोहा), कछवा (मिर्जापुर), कटरा मेदिनीगंज (प्रतापगढ़), खमरिया (भदोही), खीरी (लखीमपुर खीरी), कुंडा (प्रतापगढ़), मनियर (बलिया), नौगवां सादात (अमरोहा), पाली (ललितपुर), शाहबाद (रामपुर), तालबेहठ (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

- नमूना—जाँच किए गए नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में संपत्ति कर की वसूली के लिए भवन स्वामियों को बिल और माँग की नोटिस भी निर्गत नहीं किया गया था³², जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति कर की कम वसूली हुई।
- राजस्व सेवाओं के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की कमी ने भी संपत्ति कर की वसूली में शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता को प्रभावित किया जैसा कि प्रस्तर संख्या 6.2.2 में वर्णित है।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर लगाने और वसूली में दक्षता का अभाव था।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस संबन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.2.1.2 नियमों और उपविधियों/विनियमों का निर्माण

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 153 के अनुसार, राज्य सरकार को करों के निर्धारण और संग्रह की प्रक्रिया के विनियमन और संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार (नवम्बर 2019) ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में गृह कर से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियम, 2019 नामक मसौदा नियम तैयार किया गया था। यद्यपि, अंतिम नियमों की अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षित थी (नवंबर 2022)। परिणामस्वरूप, नगर पालिकाओं में संपत्तियों के निर्धारण एवं गृह कर के संग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित नहीं किया गया था।

यह भी पाया गया कि चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों ने गृह कर की लागू दर के लिए कोई सीमा/रेंज का सुझाव नहीं दिया था, जिससे कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में गृह कर की कोई समान दर नहीं थी और यह नमूना जाँच की गई नगरपालिकाओं में भवनों के वार्षिक किराया मूल्य के पांच और 25 प्रतिशत के बीच थी, जबकि नमूना जाँच किए गए नगर निगम में यह उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों द्वारा विनियमित होने के कारण वार्षिक किराया मूल्य का केवल 10 से 11 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जाँच किये गए 20 नगर पालिका परिषद और 23 नगर पंचायत में, जहाँ गृह कर लगाया गया था, छ: नगर पालिका परिषद³³ और 10 नगर पंचायत³⁴ में कर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी। इसी प्रकार, चार नगर निगम, 14 नगर पालिका परिषद एवं छ: नगर पंचायत में जहाँ जल कर आरोपित किया गया

³² वसूली कर संग्राहकों द्वारा मांग और संग्रहण रजिस्टरों के परिचालन के माध्यम से की गई थी।

³³ चिरगांव (झांसी), गुरसराय (झांसी), रसड़ा (बलिया), सिरसागंज (फिरोजाबाद), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूंडला (फिरोजाबाद)।

³⁴ फरिहा (फिरोजाबाद), इटौंजा (लखनऊ), कठेरा (झांसी), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), कुंडा (प्रतापगढ़), मनियर (बलिया), पाली (ललितपुर), रानीपुर (झांसी), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

था, में से दो नगर निगम³⁵, तीन नगर पालिका परिषद³⁶ एवं नगर पंचायत फरिहा (फिरोजाबाद) में इसके लिए कोई उपविधि नहीं बनाया गया था।

इस प्रकार, उपविधियों को बनाए बिना और इसके माध्यम से कर की दर निर्धारित किए बिना गृह और जल कर का अधिरोपण, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध था।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.2.1.3 स्व-निर्धारण प्रणाली का क्रियान्वयन

राज्य सरकार ने क्रमशः वर्ष 2000 एवं 2011 के दौरान करदाताओं द्वारा सम्पत्तियों के स्व-निर्धारण के आधार पर सम्पत्ति कर के उदग्रहण एवं संग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए निर्देश जारी किये (अप्रैल 2000 एवं मार्च 2011) जिसमें संपत्ति के स्वामी या अधिवासी को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं संपत्ति कर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था और उनके द्वारा निर्धारित कर को एक स्व-निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार नमूना जाँच किए गए नगर निगम में से नगर निगम लखनऊ एवं मुरादाबाद ने वर्ष 2002–03 में स्व-निर्धारण प्रणाली लागू की, जबकि नगर निगम झांसी एवं मथुरा ने क्रमशः वर्ष 2015–16 एवं 2018–19 में विलम्ब से लागू किया। अग्रेतर, मार्च 2021 तक 14 नगर पालिका परिषद³⁷ एवं 21 नगर पंचायत³⁸ (नमूना जाँच की गई 20 नगर पालिका परिषद एवं 23 नगर पंचायत में जहाँ गृहकर लगाया गया था) में स्व-निर्धारण प्रणाली लागू नहीं की गई थी। शेष नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत (नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ के अतिरिक्त) में स्व-निर्धारण प्रणाली लागू किये जाने में भी दो से नौ साल का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, स्व-निर्धारण प्रणाली को लागू न करने से गृह कर के संग्रहण में नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत की दक्षता पर भी प्रभाव पड़ा।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.2.1.4 निर्धारण सूची तैयार करना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 207 से 211 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 141 से 145 शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मासिक किराया दर के निर्धारण, संपत्ति कर निर्धारण सूची³⁹ तैयार करने और नियमित अंतराल पर

³⁵ मथुरा—वृद्धावन और मुरादाबाद।

³⁶ बलिया, बिलासपुर (रामपुर) और सिरसागंज (फिरोजाबाद)।

³⁷ बछरांगूँ (अमरोहा), बलिया, भदोही, बिलासपुर (रामपुर), चिरगांव (झांसी), गुरसराय (झांसी), कोसीकलां (मथुरा), मिर्जापुर, पलिया कलां (मथुरा), रामपुर, रसड़ा (बलिया), सिरसागंज (फिरोजाबाद) ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूडला (फिरोजाबाद)।

³⁸ बैरिया (बलिया), बरखी का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), गोकुल (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), इटौंजा (लखनऊ), जोया (अमरोहा), कछवा (मिर्जापुर), कठेरा (झांसी), खमरिया (भदोही), खीरी (लखीमपुर खीरी), कटरा मेदानीगंज (प्रतापगढ़), कुड़ा (प्रतापगढ़), मनियर (बलिया), मसवासी (रामपुर), नौगवां सादात (अमरोहा), ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी), पाली (ललितपुर), रानीपुर (झांसी), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

³⁹ निर्धारण सूची में संपत्ति का विवरण, मालिक/किरायेदार का नाम, कारपेट एवं आच्छादित क्षेत्र, किराया की न्यूनतम मासिक दर प्रति वर्ग फुट, भवन के निर्माण का वर्ग आदि शामिल होना था।

इसके निर्धारण का प्रावधान करती है। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक चार वर्ष में एक बार नगर निगम के क्षेत्र में स्थित सभी भवनों अथवा भूमि अथवा दोनों के संबंध में कर की गणना करने के बाद एक निर्धारण सूची तैयार की जानी है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए निर्धारण सूची प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार तैयार/पुनरीक्षित की जानी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- नगर निगम झांसी में निर्धारण सूची वर्ष 2018–19 में 16 वर्ष के अंतराल के बाद अपने क्षेत्र की सभी संपत्तियों का आकलन कर तैयार की गई थी, जबकि नगर निगम मथुरा–वृद्धावन में अंतिम बार वर्ष 2008 में निर्धारण सूची तैयार की गई थी। शेष नमूना जाँच किए गए नगर निगम में निर्धारण सूची आवधिक आधार पर तैयार नहीं की गई थी और सभी संपत्तियों के अंतिम निर्धारण का वर्ष और निर्धारण सूची तैयार करने का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था।
- इसी प्रकार, किसी भी नमूना–जाँच किये गये नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में मूल्यांकन सूची तैयार/पुनरीक्षित नहीं की गई थी।
- वर्ष 2015–20 की अवधि में, नमूना–जाँच किए गए 20 नगर पालिका परिषद तथा 23 नगर पंचायत में, जहां गृह कर अधिरोपित था, केवल पांच नगर पालिका परिषद⁴⁰ एवं सात नगर पंचायत⁴¹ में सभी संपत्तियों का निर्धारण किया गया था, तथापि, इन पाँच नगर पालिका परिषद और सात नगर पंचायत में से केवल तीन नगर पालिका परिषद⁴² और तीन नगर पंचायत⁴³ ने मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण सूची तैयार की थी। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद ठाकुरद्वारा में, हालांकि निर्धारण सूची तैयार की गई थी, परन्तु सूची तैयार किये जाने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार आवधिक आधार पर निर्धारण सूची तैयार नहीं करने के कारण, नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्र में सभी संपत्तियों का मूल्यांकन सर्वेक्षण के बाद सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि नमूना–जाँच शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र में स्थित सभी संपत्तियाँ कर के दायरे में नहीं थीं।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय को नियमानुसार सम्पत्तियों के निर्धारण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

7.2.1.5 किराये की न्यूनतम मासिक दर का निर्धारण

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 174 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 140 और उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को कर की गणना हेतु प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किराए की न्यूनतम मासिक दर⁴⁴ की गणना करनी होती है।

⁴⁰ चिरगांव (झांसी): 2018–19, ललितपुर: 2017–18, मऊरानीपुर (झांसी): 2016–17, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद): 2017–18 और दूड़ला (फिरोजाबाद): 2015–16।

⁴¹ बख्खी का तालाब (लेखनऊ): 2016–17, एका (फिरोजाबाद): 2019–20, कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़): 2016–17, पाली (ललितपुर): 2017–18, रानीपुर (झांसी): 2016–17, तालबेहठ (ललितपुर): 2018–19 और उमरी कलां (मुरादाबाद): 2017–18।

⁴² ललितपुर, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और दूड़ला (फिरोजाबाद)।

⁴³ एका (फिरोजाबाद), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़) और तालबेहठ (ललितपुर)।

⁴⁴ दर प्रति इकाई क्षेत्र।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजनों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर और ऐसे भवन या भूमि के क्षेत्र में किराए की वर्तमान न्यूनतम दर के आधार पर किराए की न्यूनतम मासिक दर की गणना की जानी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- नमूना जाँच किए गए नगर निगम में से किसी में भी नगर आयुक्त ने प्रत्येक दो वर्ष की अवधि में किराए की न्यूनतम मासिक दर की गणना नहीं की, क्योंकि क्षेत्रवार दरों में पिछला संशोधन नगर निगम झांसी, लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन और मुरादाबाद में क्रमशः वर्ष 2014–15, 2010–11, 2017–18 और 2016–17 के दौरान किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन को छोड़कर इन नगर निगम के किराए की दरें भी सर्किल दर पर आधारित नहीं थीं। शेष नगर निगम में किराये की दर जोनल अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर तय की गई थी।
- इसी तरह, नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में, अधिशासी अधिकारी ने प्रत्येक दो वर्ष की अवधि में किराए की न्यूनतम मासिक दर की गणना नहीं की। वर्ष 2015–20 के दौरान केवल नगर पालिका परिषद बिलारी (मुरादाबाद) में इसकी गणना वर्ष 2017–18 में किया गया था और उसके बाद पुनः पुनरीक्षण नहीं किया गया।

इस प्रकार, किराए की न्यूनतम मासिक दर की गणना जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में परिकल्पित था, नहीं करने के परिणामस्वरूप मनमाने आधार पर संपत्ति कर लगाया गया। यह स्थिति राज्य सरकार के आदेश (मई 2017) के विरुद्ध भी थी, जिसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व संसाधनों में नियमित वृद्धि हेतु प्रत्येक दो वर्ष की अवधि में सम्पत्ति कर की दरों में पुनरीक्षण के निर्देश जारी किया गया था।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय को नियमानुसार किराये की मासिक दर निर्धारित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

7.2.1.6 संपत्तियों का संख्यांकन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 114(ii) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 217 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की संख्यांकन के लिए उत्तरदायी हैं, जो अग्रेतर संपत्ति कर के आरोपण में उनकी सहायता कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में से केवल नगर निगम लखनऊ तथा नगर पालिका परिषद बिलारी (मुरादाबाद) में संपत्तियों की संख्यांकन किया गया था।

इस प्रकार, अन्य नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में संपत्तियों का संख्यांकन न होने के कारण उनमें से कई संपत्ति कर दायरे से बाहर रह गयी थीं।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि एक विशिष्ट कोड के आधार पर संपत्तियों की संख्यांकन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसाएँ:

14. शहरी स्थानीय निकायों को देय राजस्व की वसूली की निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बकाया धनराशि में अभिवृद्धि न हो सके और प्राप्य राशि की वसूली पूरी तरह से और समय पर की जा सके।

15. कर योग्य सम्पत्तियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिये सम्पत्ति कर सर्वेक्षण नियमित अन्तराल पर कराया जाना चाहिए तथा सम्पत्तियों का निर्धारण समय—समय पर पुनरीक्षित मासिक किराये की दर के साथ निर्धारित अन्तराल पर सुनिश्चित किया जाये।

16. राज्य सरकार को संपत्ति कर संग्रहण में बेहतर परिणाम के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणाली एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को अपनाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

7.2.1.7 सेवा प्रभार का उदग्रहण

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय—भारत सरकार के निर्देशों (दिसंबर 2009) के अनुसार, भारतीय रेलवे सहित केंद्र सरकार के सभी विभागों को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार, भारत सरकार की संपत्तियों के लिए संपत्ति कर के स्थान पर सेवा प्रभार⁴⁵ का भुगतान किया जाना है। राज्य सरकार ने भारत सरकार की संपत्तियों के संबंध में सेवा प्रभार लगाने के निर्देश भी जारी किए (फरवरी 2010)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से, भारत सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार सभी नगर निगम और केवल छः नगर पालिका परिषद⁴⁶ में लगाया गया था, यद्यपि, मार्च 2020 के अन्त तक ₹15.02 करोड़ की वसूली इन शहरी स्थानीय निकाय में आरोपित सेवा प्रभार के विरुद्ध बकाया थी। यद्यपि, इन शहरी स्थानीय निकाय में से केवल नगर निगम लखनऊ ने ही भारतीय रेलवे की संपत्तियों पर सेवा प्रभार लगाया था।

इस प्रकार, भारत सरकार की संपत्तियों पर सेवा प्रभार न लगाने से शहरी स्थानीय निकाय की राजस्व प्राप्तियों में और कमी आई।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.2.2 विज्ञापन कर

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172 और 192 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128 शहरी स्थानीय निकाय को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि या भवन या दीवार पर लगाए गए/प्रदर्शित होर्डिंग्स/साइन बोर्ड/ग्लोसाइन बोर्ड आदि के माध्यम से विज्ञापन पर कर लगाने का अधिकार देता है। विज्ञापन कर ऐसी दरों पर और इस तरह से लगाया जाना है और ऐसी छूट के अधीन है जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान की गयी है। यद्यपि, जीएसटी के क्रियान्वयन

⁴⁵ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्ण, आंशिक एवं शून्य सेवाओं के मामले में संपत्ति कर का क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत की दर से लगाया जाना था।

⁴⁶ अमरोहा, बलिया, भद्राही, लखीमपुर खीरी, मऊरानीपुर (झांसी) और मिर्जापुर।

के लिए 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016⁴⁷ के अधिनियमित होने के कारण, विज्ञापन कर लगाने की शक्ति शहरी स्थानीय निकाय से वापस ले ली गई क्योंकि विज्ञापन कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों को वापस लेने के बावजूद, राज्य सरकार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में आवश्यक प्राविधानों को शामिल नहीं किया था। परिणामस्वरूप, राज्य के शहरी स्थानीय निकाय ने विज्ञापन कर के मद में वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के दौरान क्रमशः ₹26.82 करोड़, ₹ 26.41 करोड़ और ₹ 19.42 करोड़ की अवैध वसूली की। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन कर को समाप्त करने के कारण राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय को कोई प्रतिपूर्ति भी नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय में से सभी नगर निगम तथा केवल आठ नगर पालिका परिषद⁴⁸ एवं दो नगर पंचायत⁴⁹ में विज्ञापन कर लगाया गया था तथा ये शहरी स्थानीय निकाय वर्ष 2016–17 के बाद भी कर की वसूली⁵⁰ करते रहे। अग्रेतर, इन शहरी स्थानीय निकाय में से, चार नगर पालिका परिषद⁵¹ ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक उपविधि नहीं बनाए थे। इसके अतिरिक्त, नगर निगम लखनऊ और मुरादाबाद ने जीएसटी के प्रभाव से उबरने के लिए क्रमशः जनवरी 2021 और मार्च 2020 के माह में कर की प्रकृति को शुल्क में परिवर्तित कर दिया, यद्यपि विज्ञापनों पर शुल्क लगाने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं था।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

7.2.3 जल प्रभार

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 219, 227 और 271 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 235 राज्य सरकार को जल प्रभार की दरों और मूल्यों सहित जल आपूर्ति से संबंधित मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत करती हैं। इसने शहरी स्थानीय निकाय की स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर दिया।

अग्रेतर, जल आपूर्ति पर बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने घरेलू जल संयोजनों के लिए जल प्रभार की दरें निर्धारित की (फरवरी 1997)। नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के लिए जल प्रभार की निर्धारित दरें क्रमशः ₹75, ₹50 तथा ₹30 प्रति संयोजन प्रति माह थीं। इन दरों को उपविधियों/विनियमों में संशोधन या अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा लागू किया जाना था। इसके अलावा, जनवरी 1999 से जल आपूर्ति पर संचालन एवं प्रबंधन की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए जल प्रभार की दरों में 7.50 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि भी की जानी थी। यद्यपि, अप्रैल 2007 से, राज्य सरकार ने दरों में वृद्धि को तीन वर्षों में मात्र पांच प्रतिशत तक सीमित

⁴⁷ 12 दिसंबर 2016 से प्रभावी।

⁴⁸ अमरोहा, बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), कोसीकलां (मथुरा), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झांसी) और टूडला (फिरोजाबाद)।

⁴⁹ बख्शी का तालाब (लखनऊ) और तालबेहट (ललितपुर)।

⁵⁰ 2017–18: ₹7.86; करोड़, 2018–19: ₹6.63 करोड़ और 2019–20: ₹2.44 करोड़।

⁵¹ अमरोहा, बलिया, कोसीकलां (मथुरा) और लखीमपुर (लखीमपुर खीरी)।

कर दिया और तीन आवधिक पुनरीक्षण के बाद दरों को अगले दस वर्षों में पुनः परिवर्तन नहीं किया जाना था। तदनुसार, जल प्रभार की लागू पुनरीक्षित दरें⁵² वर्ष 2013–14 से नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए क्रमशः ₹146, ₹96 और ₹57 प्रति संयोजन प्रति माह थीं।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी (अप्रैल 2013) जलापूर्ति पर संचालन एवं प्रबंधन व्यय की भरपाई के लिए मथुरा और लखनऊ सहित सात प्रमुख शहरों⁵³ के लिए “वॉल्यूमेट्रिक मल्टीलेबल टैरिफ प्लान” (पानी की खपत के अनुसार मूल्य) और “वॉल्यूमेट्रिक टेलीस्कोपिक ब्लॉक टैरिफ” (पानी की खपत के साथ बढ़ते क्रम में मूल्य) शुरू करने का निर्देश दिया।

वर्ष 2015–20⁵⁴ की अवधि के दौरान राज्य में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति पर संचालन एवं प्रबंधन व्यय की तुलना में जल प्रभार से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न तालिका 7.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.16: वर्ष 2015–20 के दौरान संचालन एवं प्रबंधन व्यय की तुलना में जल प्रभार का विवरण

वर्ष	जल प्रभार से प्राप्तियां	जल आपूर्ति पर संचालन एवं प्रबंधन व्यय	संचालन एवं प्रबंधन व्यय के सापेक्ष जल प्रभार का प्रतिशत	(₹ करोड़ में)
2015-16	57.88	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
2016-17	50.61	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
2017-18	89.78	167.94	53.46	
2018-19	123.00	199.84	61.55	
2019-20	94.58	146.79	64.43	

(स्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–20 के दौरान जल आपूर्ति पर संचालन एवं प्रबंधन व्यय का केवल 53 से 64 प्रतिशत जल प्रभार वसूल किया गया था। जल प्रभार की वसूली में आने वाली बाधाओं पर चर्चा निम्नानुसार है:

- नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से तीन नगर पालिका परिषद⁵⁵ और नगर पंचायत एका (फिरोजाबाद) ने जलापूर्ति सेवा होने के बावजूद मार्च 2020 तक जल प्रभार नहीं लगाया था।
- नमूना जाँच किए गए चार नगर निगम, 21 नगर पालिका परिषद तथा 24 नगर पंचायत में से जल प्रभार की दरें मात्र दो नगर निगम⁵⁶, छ: नगर पालिका परिषद⁵⁷ एवं चार नगर पंचायत⁵⁸ के संबंध में या तो शहरी स्थानीय निकाय या जल संस्थान⁵⁹ द्वारा उपविधियों के प्रकाशन अथवा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित की

⁵² इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना किया गया।

⁵³ आगरा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी।

⁵⁴ नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

⁵⁵ बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बिलासपुर (रामपुर) और कोसीकलां (मथुरा)।

⁵⁶ झांसी और लखनऊ।

⁵⁷ बलिया, चिरांग (झांसी), गुरुसराय (झांसी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झांसी) और रसड़ा (बलिया)।

⁵⁸ कठेरा और रामपुर (झांसी) और पाली और तालबेहट (ललितपुर)।

⁵⁹ नगर निगम: झांसी, नगर पालिका परिषद: झांसी का चिरांग, गुरुसराय, मऊरानीपुर और ललितपुर नगर पंचायत: झांसी का कठेरा और रामपुर, ललितपुर का पाली और तालबेहट में जल आपूर्ति सेवाओं के लिए जिम्मेदार।

गई थी। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जल प्रभार लगाने और इसके आवधिक पुनरीक्षण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

➤ नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (उन स्थानों को छोड़कर जहां जलापूर्ति जल संस्थान के अन्तर्गत थी) ने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जल प्रभार की दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप जल मूल्य की दरें सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम थीं। नमूना—जाँच किए गए नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत में, जल प्रभार की दरें क्रमशः ₹30 एवं ₹122.50, ₹10 एवं ₹52.50 तथा ₹15 एवं ₹50 प्रति संयोजन प्रति माह के मध्य थी, यद्यपि, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत हेतु जल प्रभार की अपेक्षित दरें वर्ष 2013–14 से क्रमशः ₹146, ₹96 और ₹57 प्रति संयोजन प्रति माह होना था। तथापि, जल संस्थान के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अन्तर्गत जल प्रभार की दरें शासनादेशों के अनुरूप थी। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय जल आपूर्ति की संचालन एवं अनुरक्षण की लागत वसूल करने में असमर्थ थे।

➤ नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में से मात्र तीन नगर निगम⁶⁰, आठ नगर पालिका परिषद⁶¹ तथा छः नगर पंचायत⁶² में गैर-घरेलू संयोजनों के जल मूल्य की दरें निर्धारित किये गये थे, जिनमें से नौ शहरी स्थानीय निकाय⁶³ जल संस्थान के अधिकार क्षेत्र में थे। शेष नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में, गैर-घरेलू संयोजनों के लिए जल प्रभार घरेलू संयोजनों के समान थे।

➤ नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत, शहरी स्थानीय निकाय एवं जल संस्थान झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार या तो जल के मीटर स्थापित नहीं थे या स्थापित जल के मीटर जल प्रभार की बिलिंग के उद्देश्य से उपयोग नहीं किये जा रहे थे।

➤ नगर निगम लखनऊ और मथुरा ने जल आपूर्ति की संचालन एवं प्रबंधन लागत वसूल करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक मल्टीलेबल टैरिफ प्लान और वॉल्यूमेट्रिक टेलीस्कोपिक ब्लॉक टैरिफ लागू नहीं किये थे।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2020 के अंत तक 24 शहरी स्थानीय निकायों⁶⁴ (जहां इस संबन्ध में अभिलेख अनुरक्षित किये गए थे) के संबन्ध में जल प्रभार का बकाया ₹102.13 करोड़ था, जिसने शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व संसाधनों को और बाधित कर दिया।

⁶⁰ झांसी, लखनऊ और मथुरा वृद्धावन।

⁶¹ अमरोहा, बिलारी (मुरादाबाद), चिरगांव (झांसी), गुरसराय (झांसी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झांसी), मिर्जापुर और पलिया कलां (लखीमपुर खीरी)।

⁶² झानपुर (भदोही), कठोरा (झांसी), खमरिया (भदोही), कुंडा (प्रतापगढ़), पाली (ललितपुर), रानीपुर (झांसी) और तालबेहट (ललितपुर)।

⁶³ नगर निगम: झांसी, नगर पालिका परिषद: झांसी के चिरगांव, गुरसराय और मऊरानीपुर और ललितपुर और नगर पंचायत: झांसी का कठोरा और रानीपुर और ललितपुर का पाली और तालबेहट।

⁶⁴ नगर निगम: लखनऊ, मथुरा-वृद्धावन और मुरादाबाद; नगर पालिका परिषद: बछरांयूं (अमरोहा), बिलारी (मुरादाबाद), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मिर्जापुर, पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), रसड़ा (बलिया), सिरसागंज (फिरोजाबाद), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और दूंडला (फिरोजाबाद) और नगर पंचायत: छाता (मथुरा), झानपुर (भदोही), गोकुल (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), जोया (अमरोहा), कछवा (मिर्जापुर), खमरिया (भदोही), खीरी (लखीमपुर खीरी), कुंडा (प्रतापगढ़) नौगंवां सादात (अमरोहा), ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल प्रभार नहीं लगाने और लगाए गए शुल्कों की वसूली नहीं करने के कारण, शहरी स्थानीय निकाय जल आपूर्ति के संचालन एवं प्रबंधन व्यय को पूरा करने में असमर्थ थे।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.2.4 व्यापार लाइसेंस

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 452 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 241 शहरी स्थानीय निकाय को नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए लाइसेंस शुल्क लेने और एकत्र करने का अधिकार देती है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय को 39 व्यावसायिक गतिविधियों पर लाइसेंस शुल्क लगाने और तदनुसार गतिविधि के अनुसार लाइसेंस शुल्क की दर निर्धारित करने का भी निर्देश दिया (दिसम्बर 1997)। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय को लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए उपविधि बनाने का भी निर्देश दिया (फरवरी 1999) और कहा कि व्यापार लाइसेंस की दरों को तय करने में परिषद की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क का आरोपण 31 मार्च 1999 से अनिवार्य कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में से नौ नगर पालिका परिषद⁶⁵ एवं 20 नगर पंचायत⁶⁶ ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार लाइसेंस शुल्क लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। अग्रेतर, शेष शहरी स्थानीय निकाय में, जहां लाइसेंस शुल्क लगाया गया था, मात्र नगर निगम मथुरा—वृदावन और तीन नगर पालिका परिषद⁶⁷ एवं तीन नगर पंचायत⁶⁸ ने सभी 39 व्यावसायिक गतिविधियों को व्यापार लाइसेंस के दायरे में लाया था। इसके अतिरिक्त, लगाए गए लाइसेंस शुल्क की दरें भी दो नगर निगम⁶⁹ तथा तीन नगर पालिका परिषद⁷⁰ एवं तीन नगर पंचायत⁷¹ में शासनादेश के अनुसार नहीं थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि तीन नगर पालिका परिषद⁷² तथा दो नगर पंचायत⁷³ में, यद्यपि लाइसेंस शुल्क के लिए उपविधि बनाए गए थे, शुल्क के अधिरोपण एवं वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। अग्रेतर, नौ शहरी स्थानीय निकाय⁷⁴ में लाइसेंस शुल्क के आरोपण एवं वसूली से संबंधित अभिलेख भी अनुरक्षित नहीं किये

⁶⁵ बलिया, बछरायूँ (अमरोहा), बिलासपुर (रामपुर), चिरगांव (ज्ञांसी), गुरसराय (ज्ञांसी), कोसीकला (मथुरा), पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), रसड़ा (बलिया) और सिरसागंज (फिरोजाबाद)।

⁶⁶ बजाए नगर पंचायत: एका (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही), मसवासी (रामपुर), तालबेहट (ललितपुर) और ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी)।

⁶⁷ भदोही, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूंडला (फिरोजाबाद)।

⁶⁸ एका (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही) और ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी)।

⁶⁹ लखनऊ और मुरादाबाद।

⁷⁰ अमरोहा, ललितपुर और टूंडला (फिरोजाबाद)।

⁷¹ नगर पंचायत: एका (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही), और ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी)।

⁷² मिर्जापुर, मऊरानीपुर (ज्ञांसी) और रामपुर।

⁷³ एका (फिरोजाबाद) और मसवासी (रामपुर)।

⁷⁴ नगर निगम: लखनऊ, ज्ञांसी और मथुरा—वृदावन, नगर पालिका परिषद: अमरोहा, भदोही, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और स्वार (रामपुर) और नगर पंचायत: ज्ञानपुर (भदोही) और ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी)।

गये थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में अधिरोपण की धनराशि एवं लाइसेंस शुल्क की वसूली का पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, लाइसेंस शुल्क न लगाना यह दर्शाता है कि शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना वैध लाइसेंस के कार्य करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें राजस्व की हानि हुई।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

7.2.5 पार्किंग स्थलों की नीलामी

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 114 और 541 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 और 293 में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पार्किंग स्थल के निर्माण और रखरखाव और यह सुविधा प्रदान करने के बदले शुल्क/उपयोगकर्ता प्रभार लगाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने उपविधियों के प्रावधानों के तहत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित पार्किंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शुल्क लगाने का भी आदेश दिया (नवंबर 2001)। शुल्क/उपयोगकर्ता प्रभारों की सुगम वसूली के लिए पार्किंग स्थलों की नीलामी के लिए शहरी स्थानीय निकाय को भी अधिकृत किया गया था (जून 1996)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 नगर पालिका परिषद⁷⁵ तथा 22 नगर पंचायत⁷⁶ ने वर्ष 2015–20 की अवधि में वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा प्रदान नहीं की। इसके अतिरिक्त, शेष शहरी स्थानीय निकाय में, जहाँ पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई थी, वर्ष 2015–20 की अवधि में पार्किंग स्थल की नीलामी के कारण ₹11.14 करोड़ के अनुबंधित मूल्य के विरुद्ध ₹3.08 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गई थी।

इस प्रकार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने से नागरिकों को असुविधा हुई तथा उन्हें राजस्व प्राप्तियों से भी वंचित होना पड़ा।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

7.2.6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से किराया

राज्य सरकार के आदेशों (सितम्बर 1977 एवं जून 1978) के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को अधिकतम 15 वर्षों की अवधि के लिए नीलामी के माध्यम से अपने आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों को किरायेदारों को बाजार दरों पर किराए पर देना था। इस प्रयोजन के लिए एक पंजीकृत अनुबंध निष्पादित किया जाना था, जिसमें किराए और प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि में उसमें 12.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान किया जाना था। अग्रेतर, 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, अनुबंध के नवीनीकरण के साथ किराए में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी।

⁷⁵ अमरोहा, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बछरांझू (अमरोहा), भदोही, बलिया, बिलारी (मुरादाबाद), कोसीकलां (मथुरा), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), ललितपुर, मिर्जापुर, पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), सिरसागंज (मुरादाबाद), च्वार (रामपुर) और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)।

⁷⁶ नगर पंचायत: कठरा (झांसी), मसवासी (रामपुर) और ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी) को छोड़कर।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2020 तक नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में से सभी नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद⁷⁷ और 13 नगर पंचायत⁷⁸ में कुल 10,164 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/दुकानें थीं, जिनमें से मात्र 9,696 संपत्तियों को किराए पर दिया गया था। यद्यपि, इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने किरायेदारों के साथ पंजीकृत अनुबंध निष्पादित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इन शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम मथुरा-वृन्दावन को छोड़कर) में किराए में आवधिक वृद्धि (प्रत्येक पाँच वर्षों में 12.5 प्रतिशत) तथा 15 वर्षों के बाद अनुबंध के नवीनीकरण के साथ किराए में 50 प्रतिशत की वृद्धि के प्रावधान भी नहीं किए गए थे, जैसा कि शासनादेश में निर्धारित था। यद्यपि, 10 शहरी स्थानीय निकायों⁷⁹ में प्रत्येक पांच या तीन वर्ष की अवधि में किराए में पांच से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जो कि शासनादेश के अनुरूप भी नहीं थी।

यह भी पाया गया कि नगर निगम झाँसी में 1,189 दुकानों के अनुबंध, किराये की वसूली आदि के संबंध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं रखा गया था। अग्रेतर, नगर पालिका परिषद बलिया में किराए पर दी गई 567 संपत्तियों में से मात्र 145 दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से किराए की वसूली की जा रही थी। अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि मार्च 2020 के अंत तक शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम झाँसी को छोड़कर) में जहां संपत्तियों को किराए पर दिया गया था, वहां धनराशि ₹ 8.83 करोड़ का किराया बकाया था।

इस प्रकार, शासनादेश का पालन न करने के कारण सम्पत्तियों का किराया प्रचलित बाजार दरों से कम था, जिसके कारण शहरी स्थानीय निकाय को राजस्व की हानि हुई।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

7.2.7 विद्युत विभाग से किराया

शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मरों एवं उपकेन्द्रों के लिए विद्युत विभाग से किराया वसूल करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय को निर्देशित (फरवरी 1997) किया। तथापि, राज्य सरकार ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया (फरवरी 2016) और मात्र उपकेन्द्रों पर किराया लगाने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 50 शहरी स्थानीय निकाय⁸⁰ में से केवल चार में विद्युत विभाग से किराये की वसूली के लिये उपविधि बनाये गये थे। इन शहरी स्थानीय निकाय में से केवल तीन शहरी स्थानीय निकाय⁸¹ ने इस संबंध में मांग की, यद्यपि मांगों के स्थिलाफ कोई वसूली नहीं की गई और मार्च 2020 तक धनराशि

⁷⁷ बछरांयू (अमरोहा), भदोही और रसड़ा (बलिया) को छोड़कर।

⁷⁸ छाता (मथुरा), झानपुर (भदोही), फरिहा (फिरोजाबाद), इटौंजा (लखनऊ), जोया (अमरोहा), कठेरा (झाँसी), खीरी (लखीमपुर खीरी), कुड़ा (प्रतापगढ़), मसवासी (रामपुर), ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी), रानीपुर (झाँसी) शाहाबाद (रामपुर) और तालबेहट (ललितपुर)।

⁷⁹ नगर पालिका परिषद: बिलासपुर (रामपुर), गुरसराय और मऊरानीपुर (झाँसी) और नगर पंचायत: फरिहा (फिरोजाबाद), जोया (अमरोहा), कठेरा (झाँसी), खीरी (लखीमपुर खीरी), कुड़ा (प्रतापगढ़), मसवासी (रामपुर) और रानीपुर (झाँसी)।

⁸⁰ नगर निगम: झाँसी और नगर पालिका परिषद: बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), मऊरानीपुर (झाँसी) और रसड़ा (बलिया)।

⁸¹ नगर पालिका परिषद: बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), मऊरानीपुर (झाँसी) और रसड़ा (बलिया)।

₹6.89 करोड़ बकाया था। यह इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व के संभावित स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सका।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवंबर 2022) कि इस सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

अनुसंशा 17:

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के गैर-कर राजस्व की वसूली में वृद्धि करने तथा समय से मांग जारी किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

7.3 उधार

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 154 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय की ओर से धन उधार लेने की शक्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ परिषद में निहित है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, जल आपूर्ति, सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वच्छता, भवनों के निर्माण आदि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और आकस्मिक प्रकृति के कार्यों को करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान एक रिवाल्विंग निधि की स्थापना की। यद्यपि, इस निधि के तहत अनुरक्षण कार्य के क्रियान्वयन की अनुमति नहीं दी गई थी। ऋण की वसूली संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के राज्य वित्त आयोग अनुदान से 10 समान वार्षिक किश्तों में की जानी थी। रिवाल्विंग निधि से ऋण प्राप्त करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय को इस संबंध में संकल्प पारित करके परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी और नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को यह प्रमाणित करना था कि राज्य वित्त आयोग अनुदान से ऋण की वसूली के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वर्ष 2015–20⁸² की अवधि के दौरान बजट प्राविधानों, निर्गमन और उसके वसूली का विवरण निम्न तालिका 7.17 में दिया गया है:

**तालिका 7.17: वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान वितरित ऋण
और उसकी वसूली का विवरण**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राविधान	निर्गत वित्तीय स्वीकृति	लाभ प्राप्त शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	वसूली की धनराशि
2015-16	250.00	248.48	151	0.00
2016-17	250.00	219.75	160	0.00
2017-18	237.00	187.74	70	1.48
2018-19	237.00	228.38	107	5.34
2019-20	150.00	148.97	60	0.52
कुल	1,124.00	1,033.32	548	7.34

(प्रोत्त: निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत सूचना, नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 के दौरान ऋण की वसूली वितरित ऋण धनराशि के अनुरूप नहीं थी और यह वर्ष 2015–20 के दौरान स्वीकृत ऋण की धनराशि के विरुद्ध न्यूनतम (0.71 प्रतिशत) थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 में

⁸² नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

बजट प्रावधान में भी काफी कमी (40 प्रतिशत) की गई थी, जो ऋणों की वसूली न होने के कारण हो सकता है।

नगर विकास विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2022) और बताया कि मात्र वर्ष 2005–06 तक वितरित ऋणों की वसूली वर्ष 2018–19 से की जा रही है।

7.3.1 दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर शहरी स्थानीय निकायों को ऋण की स्वीकृति

लेखापरीक्षा में ऐसे प्रकरण आये जहां शहरी स्थानीय निकाय को दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ऋण स्वीकृत किए गए थे, विवरण निम्नानुसार हैं:

➤ नगर पालिका परिषद, रामपुर में नेहरू नगर पालिका कन्या इण्टर कालेज के अनुरक्षण कार्य हेतु धनराशि ₹50 लाख का ऋण स्वीकृत (जून 2016) किया गया था, यद्यपि रिवालिंग निधि के अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य की अनुमति नहीं थी। अग्रेतर, ऋण प्राप्त करने के लिए परिषद का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, अधिशासी अधिकारी ने प्रमाणित किया था कि ऋण की अदायगी से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। परिणामस्वरूप, अपर्याप्त निधि के कारण, अधिशासी अधिकारी ने वेतन और पेंशन देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत अतिरिक्त धनराशि की मांग की (फरवरी 2018)।

➤ वर्ष 2015–20 के दौरान नमूना जाँच किए गए चार नगर पालिका परिषद⁸³ में राज्य सरकार द्वारा परिषद की स्वीकृति और अधिशासी अधिकारी के प्रमाण पत्र के बिना ₹10.38 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद रसड़ा में वर्ष 2013–17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹7.63 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से ₹78.68 लाख तालाब के अनुरक्षण कार्य के लिए थे।

➤ नगर पंचायत, मसवासी में वर्ष 2016–19 के दौरान नगर पंचायत की किसी भी मांग के बिना और इस संबंध में आवश्यक परिषद की स्वीकृति और अधिशासी अधिकारी के प्रमाण पत्र के प्राप्त किये बिना राज्य सरकार द्वारा ₹5.92 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था। इसी प्रकार नगर पंचायत बैरिया (बलिया) में माह जनवरी 2017 में ₹3.30 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि नव स्थापित नगर पंचायत में परिषद का गठन माह दिसम्बर 2017 में हुआ था। इसी प्रकार, दो नगर पंचायत⁸⁴ में वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान परिषद की स्वीकृति एवं अधिशासी अधिकारी के प्रमाण पत्र के बिना राज्य सरकार द्वारा धनराशि ₹2.02 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय को ऋण स्वीकृत करते समय राज्य सरकार द्वारा रिवालिंग निधि के दिशानिर्देशों और परिषदों की शक्तियों की अनदेखी की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऋण धनराशि का दुरुपयोग हुआ, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई है।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि इस संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

⁸³ बिलासपुर (रामपुर): ₹1.08 करोड़, बिलारी (मुरादाबाद): ₹5.01 करोड़, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद): ₹2.79 करोड़ और टूंडला (फिरोजाबाद): ₹1.50 करोड़।

⁸⁴ नगर पंचायत: छाता (मथुरा): ₹1.62 करोड़ एवं उमरी कलां (मुरादाबाद): ₹40.00 लाख।

7.3.2 रिवालिंग निधि से निष्फल व्यय

नगर पालिका परिषद बलिया के अन्तर्गत, गढ़ में 398 दुकानों वाले वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए 2003–10 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिवालिंग निधि से ₹ पाँच करोड़ की धनराशि जारी किया गया था। परियोजना की स्वीकृत लागत ₹10.07 करोड़ थी, जिसके विरुद्ध ₹5.08 करोड़ का वित्तपोषण दुकानों के पंजीकरण/प्रीमियम धनराशि के माध्यम से किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹4.79 करोड़ का व्यय करने के बाद, अक्टूबर 2021 तक कार्यदायी संस्था (सी एंड डीएस) द्वारा मात्र 167 दुकानों का निर्माण किया गया था और इन दुकानों के निर्माण को अन्तिम रूप दिये जाने का कार्य भी अपूर्ण था। परिणामस्वरूप निर्मित दुकानों को न तो नगर पालिका परिषद को हस्तान्तरित किया गया और न ही नीलाम किया गया। इस प्रकार, वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए लिया गया धनराशि ₹5 करोड़ का ऋण निष्फल रहा।

इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद रामपुर में 2005–17 की अवधि के दौरान रिवालिंग निधि से ऋण प्राप्त कर ₹ 16.06 करोड़ के व्यय से बापू मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जिसमें 316 दुकानें एवं 16 हॉल शामिल थे। निर्मित दुकानों एवं हालों में से अगस्त 2021 तक केवल 104 दुकानों की नीलामी हुई थी, तथापि, बिजली, सफाई आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के अभाव में नीलाम की गई दुकानों में से कोई भी सफल बोली लगाने वालों को आवंटित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि इस संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.4 शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न राजस्व स्रोतों का उपयोग

14वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व में सुधार के लिए बेटरमेंट टैक्स, मनोरंजन के नए रूपों जैसे नाव की सवारी, केबल टेलीविजन और इंटरनेट कैफे पर कर, ‘पेशे, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार’ आदि पर कर लगाने की संस्तुति की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में बेटरमेंट टैक्स⁸⁵, नाव की सवारी⁸⁶ और ‘पेशे, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार’⁸⁷ पर कर लगाने के संबंध में वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, शहरी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार द्वारा इन स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार, केबल टेलीविजन, इंटरनेट कैफे आदि से राजस्व वसूली के लिए कोई प्रावधान या प्रयास नहीं किए गए थे।

अग्रेतर, प्रथम राज्य वित्त आयोग ने, यद्यपि, भविष्य में शहरी स्थानीय निकाय को कोई अन्य कर या शुल्क नहीं देने की संस्तुति की, तृतीय राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय के अपने संसाधनों से राजस्व की वृद्धि के लिए कुछ नए स्रोतों की पहचान की (जैसे सबमर्सिबल पंपों पर कर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष

⁸⁵ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172(एफ) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128(2ix)।

⁸⁶ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172(बी) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128(2)(viii)।

⁸⁷ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172(डी) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128(2)(i)।

स्वच्छता कर, टावरों पर लाइसेंस शुल्क, सड़कों और फुटपाथों के उपयोग के लिए शुल्क, वाणिज्यिक उपयोग के लिए पाइप और केबल बिछाने आदि के लिए शुल्क) और व्यवसाय कर लगाने पर भी जोर दिया। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद शहरी स्थानीय निकाय राजस्व के इन स्रोतों का दोहन नहीं कर रहे थे।

केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग द्वारा चिह्नित राजस्व स्रोतों का विवरण, जिनका उपयोग नहीं किया गया था, निम्न तालिका 7.18 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 7.18: शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग नहीं किए गए राजस्व स्रोतों का विवरण

क्र० स०	स्रोत	वैधानिक प्रावधान मौजूद है या नहीं
1.	बेटरमेंट टैक्स	हाँ
2.	नाव की सवारी पर कर	हाँ
3.	केबल टेलीविजन पर कर	नहीं
4.	इंटरनेट कैफे पर कर	नहीं
5.	पेशे, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर कर	हाँ
6.	सबमर्सिबल पंपों पर कर	नहीं
7.	वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष स्वच्छता कर	नहीं
8.	टावरों पर लाइसेंस शुल्क	नहीं
9.	सड़कों और फुटपाथों के उपयोग के लिए शुल्क	नहीं
10.	व्यावसायिक उपयोग के लिए पाइप और केबल बिछाने के लिए शुल्क	नहीं

(स्रोत: उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम)

इस प्रकार, केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन न करने से शहरी स्थानीय निकाय के राजस्व आधार में भी कमी आई।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित राजस्व संसाधनों के उपयोग में शहरी स्थानीय निकायों की ढिलाई ने नागरिकों को उपलब्ध करायें जाने वाले सुविधाओं की उपलब्धता को भी प्रभावित किया। इस संबंध में, नगर निगम लखनऊ के संबंध में किये गए एक विस्तृत अध्ययन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

केस अध्ययन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 172 के अनुसार, राज्य के नगर निगम को कई कर लगाने का अधिकार है जैसे संपत्ति कर जिसमें गृह कर शामिल है, जल कर, जल निकासी कर और कंजरवेंसी टैक्स, वाहनों⁸⁸ पर कर, हेलीकाप्टरों और विमानों पर कर, व्यापार और व्यवसायों पर कर, शहर के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण पर कर, शहर के भीतर स्थित खाली भूमि पर कर, व्यवसाय और सार्वजनिक या निजी नियुक्ति पर कर, शहर के भीतर पालै गए कुत्तों पर कर, बेटरमेंट टैक्स, थिएटर कर आदि। इसके अलावा, नगर निगम को जल प्रभार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराया, उपयोगकर्ता शुल्क, 39 वस्तुओं पर व्यापार लाइसेंस, पार्किंग शुल्क आदि से गैर-कर राजस्व एकत्र करने की भी अनुमति है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद, नगर निगम लखनऊ ने अपने कर राजस्व को बढ़ाने के लिए

⁸⁸ नगर में किराये पर उपलब्ध यंत्र चलित और अन्य साधनों के अलावा।

नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए कंजरवेंसी टैक्स, वाहनों पर कर, हेलीकाप्टरों और विमानों पर कर, व्यापार और पेशे पर कर, व्यवसायों पर कर और सार्वजनिक या निजी नियुक्ति पर कर और बेटरमेंट टैक्स नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कि नगर निगम लखनऊ ने शहर के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के कार्यों पर कर लगाया, जबकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 से एकत्रित कर की आय के विरुद्ध नगर निगम का उचित हिस्सा हस्तांतरित नहीं किया। इसके अलावा, नगर निगम द्वारा लगाए गए कर और गैर-कर राजस्व के अधिरोपण और संग्रह की प्रक्रिया भी अपर्याप्त थी, जैसा कि प्रस्तर संख्या 7.2. में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को एक ज्ञापन सौंपते हुए, वर्ष 2019–20 तक राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय में विभिन्न सेवाओं के तहत सेवा स्तर बैंच मार्क (एसएलबी) हासिल करने का दावा किया और विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत असेवित जनसंख्या को आच्छादित किये जाने की लागत का भी अनुमान लगाया। इस संबंध में असेवित आबादी को आच्छादित करने के लिए तदनुसार, जल आपूर्ति सेवाओं (डब्ल्यूएसएस) के लिए ₹2150.28, सीवरेज सेवाओं (एसएस) के लिए ₹6057, जल निकासी सेवाओं के लिए ₹2666.40 और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (एसडब्ल्यूएम) के लिए ₹245.07 का प्रति व्यक्ति व्यय सेवा स्तर बैंच मार्क के मानक के अनुसार आवश्यक था।

परिणामस्वरूप, वर्ष 2019–20 में सेवा स्तर बैंच मार्क प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की घोषणा के अनुपालन में, नगर निगम लखनऊ में असेवित आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता निम्नानुसार थी: –

नागरिकों को मूलभूत सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2019–20 में निधि की आवश्यकता

सेवाओं का नाम	वर्ष 2019–20 में नगर निगम लखनऊ की अनुमानित जनसंख्या	वर्ष 2019–20 में कमी कारक (प्रतिशत में)	वर्ष 2019–20 में कुल असेवित जनसंख्या	मानदंडों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति व्यक्ति व्यय (रु.में)	मानदंडों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने हेतु निधि की आवश्यकता (रुपये करोड़ में)
जल आपूर्ति सेवा	3698227	31.90	1179734	2,150.28	253.68
सीवरेज सेवा		49.40	1826924	6,057.00	1,106.57
जल निकासी सेवा		24.30	898669	2,666.40	239.62
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन		45.50	1682693	245.07	41.24
योग					1,641.11

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–20 के दौरान उपरोक्त सेवाओं के तहत केवल असेवित आबादी को सेवा प्रदान करने के लिए ₹1641.11 करोड़ की आवश्यकता थी। यद्यपि, आवश्यकता के विपरीत, नगर निगम लखनऊ (जल संस्थान सहित) की राजस्व के सभी स्रोतों से कुल आय केवल ₹1258.28 करोड़ रही। इन निधियों में से, नगर निगम लखनऊ ने वर्ष 2019–20 के दौरान उपरोक्त सेवाओं के बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए ₹15.13 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ₹107.67 करोड़ का व्यय भी किया था। इसके अतिरिक्त, यूपी जल निगम (निर्माण और डिजाइन सेवाओं सहित) ने भी वर्ष 2019–20 के दौरान जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और सीवरेज सेवा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को

आगे बढ़ाने के लिए 77.18 करोड़ रुपये का व्यय किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2019–20 के दौरान ₹1641.11 करोड़ की आवश्यकता के मुकाबले केवल ₹199.98 करोड़ (12 प्रतिशत) के व्यय के साथ, नगर निगम लखनऊ, राज्य सरकार के घोषणा के अनुपालन में उपरोक्त सेवाओं के तहत असेवित आबादी को आच्छादित नहीं कर सका। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि आगामी वर्ष 2020–21 में ₹1401.57 करोड़ रुपये की कुल आय के मुकाबले, नगर निगम लखनऊ (जल संस्थान सहित) ने केवल स्थापना व्यय पर ₹589.11 करोड़ रुपये व्यय किए।

इस प्रकार, नगर निगम ने कंजरवेंसी टैक्स, वाहनों पर कर (यांत्रिक रूप से चालित के अलावा), बेटरमेंट टैक्स जैसे कर लगाकर अपनी राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अनुदान और अन्य एजेंसियों के धनराशियों पर निर्भर था।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

7.5 विश्वसनीय डेटाबेस की अनुपलब्धता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13वें वित्त आयोग और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आधारभूत डेटा की अनुपलब्धता के मुद्दे को उठाया और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय के एक विश्वसनीय डेटाबेस के विकास की संस्तुति की। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवंबर 2021 तक राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया गया था, क्योंकि वर्ष 2015–20 की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदानों, निर्दिष्ट राजस्व आदि की जारी धनराशि के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के कार्य विवरण और निदेशक (स्थानीय निकाय) के अभिलेखों में उपलब्ध आंकड़ों में अंतर था, जिन्हें तालिका 7.1, 7.7, 7.8 और 7.10 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर विकास विभाग के कार्य विवरण और नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के बीच व्यय और राजस्व प्राप्तियों के आंकड़ों में अंतर था, जैसा कि परिशिष्ट-XXI में वर्णित है।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय के विश्वसनीय डेटाबेस की अनुपलब्धता को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है क्योंकि इसके अभाव में, अनुदान हस्तान्तरण के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन राज्य वित्त आयोग के लिए संभव नहीं होगा।

नगर विकास विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (नवम्बर 2022) करते हुए टिप्पणी की कि डेटाबेस के उचित रखरखाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

7.6 संपत्ति कर बोर्ड

13वें वित्त आयोग ने राज्य के सभी नगरपालिकाओं और नगर निगमों की संपत्ति कर के आकलन हेतु एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए परिचम बंगाल मूल्यांकन बोर्ड की तर्ज पर एक संपत्ति कर बोर्ड का गठन अनिवार्य किया गया था।

13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बोर्ड की स्थापना के लिए 'उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011' अधिनियमित (मार्च 2011) किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों को नामित किया जाना था और निदेशक, स्थानीय निकाय को बोर्ड का पदेन सदस्य होना था। उक्त बोर्ड का उद्देश्य नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राजस्व के विभिन्न स्रोतों की दक्षता का मूल्यांकन करना था। इसे नगरपालिकाओं में संपत्तियों की गणना और इस संबंध में एक डेटाबेस के विकास, सभी संपत्तियों के मूल्यांकन आदि के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया था। बोर्ड को वर्ष के दौरान उनकी प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में एक वार्षिक कार्य योजना प्रकाशित करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय के मामलों से निपटने के लिए बोर्ड की स्थापना (मार्च 2011) किये जाने के बावजूद, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए कोई प्राविधान शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, यद्यपि बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2011 में नामित किया गया था, बोर्ड के सदस्यों को जुलाई 2016 में नियुक्त किया गया था, बोर्ड के कामकाज के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति⁸⁹ माह जून 2016 में दी गई थी और बोर्ड की कार्यवाहियों के नियमन और कार्यों के निष्पादन के लिए नियम माह अगस्त 2016 में बनाये गए थे। इन्हीं कारणों से बोर्ड ने अपनी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017–18⁹⁰ की अवधि से पूर्व प्रकाशित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। नगर पालिकाओं की संपत्तियों के डेटाबेस के विकास संबंधी कार्य नवंबर 2020 तक अपूर्ण⁹¹ रहे। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व संसाधनों में सुधार के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थे।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि राज्य सरकार ने अमृत योजना के अन्तर्गत राज्य के 15 नगर निगमों⁹² में भौगोलिक सूचना प्रणाली परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निजी फर्मों/शासकीय संस्थाओं से अनुबंध (अक्टूबर 2018 एवं फरवरी 2019) किया। परियोजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों का सर्वेक्षण (वार्डवार एवं श्रेणीवार) एवं उसका डाटा बेस तैयार करने, प्रत्येक सम्पत्ति को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर सम्पत्तियों की संख्यांकन आदि का कार्य किया जाना था। यद्यपि परियोजना की गतिविधियाँ शहरी स्थानीय निकाय और बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, परियोजना के क्रियान्वयन से पहले इन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड और शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्ता कम हुई।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण राज्य के अन्य शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं किया जा रहा है, जबकि अन्य मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

⁸⁹ बोर्ड ने अक्टूबर 2011 के दौरान पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया था।

⁹⁰ वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्य योजना फरवरी 2018 के दौरान राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

⁹¹ 354 शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में केवल आँशिक सूचना एकत्र की गई थी।

⁹² आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और सहारनपुर।

7.7 बजट

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों⁹³ के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नगर निगम/नगर पालिका निधि की आय और व्यय को समिलित करते हुए बजट अनुमान तैयार करने और अनुमोदन के लिए परिषद को प्रस्तुत करना था। परिषद के अनुमोदन के बाद, शहरी स्थानीय निकाय को बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना था, यद्यपि, दोनों अधिनियमों के प्राविधान शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत बजट को स्वीकृत/संशोधित करने में राज्य सरकार की भूमिका के बारे में मौन थे, सिवाय ऋणग्रस्त शहरी स्थानीय निकाय के मामलों में, जिसमें राज्य सरकार के पास बजट को घटाने, बढ़ाने या बदलने की शक्तियाँ हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया था, तथापि, राज्य सरकार को बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रावधान ने शहरी स्थानीय निकाय की स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर दिया।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय से आवश्यक कार्यवाही प्रतीक्षित है।

7.7.1 बजट विलम्ब से तैयार करना या तैयार नहीं करना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 146 के अनुसार नगर पालिका द्वारा बजट अनुमान तैयार कर कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किया जाना था। इसके अलावा, कार्यकारिणी समिति को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फरवरी माह के पंद्रहवीं तिथि तक इसे परिषद को प्रस्तुत करना था। परिषद को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पूर्व बजट अनुमान को अपनाना था। इसके अलावा, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के मामले में, अधिशासी अधिकारी द्वारा परिषद को बजट अनुमान प्रस्तुत करने और परिषद द्वारा इसे अपनाने की तिथि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा तय की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं में बजट प्रक्रिया के विनियमन के लिए कोई नियम नहीं बनाए। नियमों के अभाव में, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए बजट अनुमान तैयार करने और अपनाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना जाँच किये गए 21 नगर पालिका परिषद और 25 नगर पंचायत में से, सात नगर पालिका परिषद और 16 नगर पंचायत ने 2015–20 की अवधि के दौरान शामिल सभी वित्तीय वर्षों के लिए बजट अनुमान तैयार नहीं किया और 20 नगर पालिका परिषद और 16 नगर पंचायत ने इसे देरी से तैयार/अपनाया जैसा कि **परिषिष्ट-VI** में वर्णित है। अग्रेतर, नगर निगम के मामले में, बजट अनुमान को परिषद को प्रस्तुत करने और इसे अपनाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम का भी पालन नहीं किया गया था, जैसा कि निम्न तालिका 7.19 में वर्णित है:

⁹³ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 146 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 99।

तालिका 7.19: नमूना—जाँच किए गए नगर निगम में बजट अनुमान को तैयार करने और अपनाने में हुए विलंब का विवरण

नगर निगम का नाम	प्रत्येक वर्ष की अनुसूचित तिथि 15 फरवरी के विरुद्ध परिषद को बजट अनुमान प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लखनऊ	30.03.2015	31.03.2016	30.03.2017	29.03.2018	07.07.2019
मुरादाबाद	तैयार नहीं	30.03.2016	05.05.2017	07.05.2018	09.06.2019
झाँसी	31.03.2015	15.03.2016	24.04.2017	09.03.2018	26.02.2019
मथुरा-वृन्दावन	नगर निगम बनने के बाद जनवरी 2018 में परिषद का गठन हुआ।			12.04.2018	09.08.2019

(स्रोत: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कई अवसरों पर नमूना जाँच किए गए नगर निगम में देरी के साथ परिषदों को बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पूर्व बजट अनुमान को नहीं अपनाया गया।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.7.2 बजट अनुमान के स्वीकृत प्रारूप को न अपनाना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 153 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियम (यूपीएमसीएआर) के प्रावधानों के अनुसार, नगर निगम के बजट अनुमान को आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण सम्मिलित करते हुए प्रारूप—बी में तैयार किया जाना था इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रारूप बी—1 में दर्शाया जाना था।

अग्रेतर, 11वें वित्त आयोग, की संस्तुतियों के अनुपालन में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, शहरी स्थानीय निकाय के लिए बजट और लेखा प्रारूप विकसित (नवंबर 2004) किया, जिसे राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली कहा जाता है। राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली के प्रावधान के आधार पर, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय लेखों और बजट अनुमान की तैयारी के लिए नए प्रारूप निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली 2018 तैयार की। इन संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बजट अनुमान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय पर लागू था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली की अधिसूचना से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं के बजट अनुमान की तैयारी के लिए कोई प्रारूप तय नहीं किया गया था। अग्रेतर, सभी नमूना जाँच किए गए नगर निगम में, 2015–20 की अवधि के लिए बजट अनुमान उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के प्रारूप ‘बी’ में तैयार किया गया था, तथापि, नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर निगम में प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रारूप बी—1 में तैयार नहीं किया गया था। इसी

प्रकार, नमूना जाँच किए गए किसी भी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में प्रस्तावित कार्यों का विवरण बजट अनुमान के साथ तैयार नहीं किया गया था। इसलिए, बजट अनुमान के प्रारूप बी-1 को तैयार न करना पुनः इंगित करता है कि कार्यों के वितरण के लिए योजना की कमी थी और व्यय का अनुमान किसी तर्क पर आधारित नहीं था।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने बजट अनुमानों और वित्तीय लेखों की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली के प्रारूप को नहीं अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव रहा जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 7.7.3 में चर्चा की गई है।

इसके अलावा, 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के शर्तों के अन्तर्गत वित्तीय जवाबदेही के लिए लेखों का उचित रखरखाव किया जाना प्राविधानित है, परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वार्षिक लेखों को न बनाये जाने या विलंबित संकलन का अर्थ है जवाबदेही से समझौता। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय के वार्षिक लेखों की तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। समय–सीमा के अभाव में, नमूना जाँच किए गए 25 नगर पंचायत में से छह नगर पंचायत⁹⁴ और 21 नगर पालिका परिषद में से दो नगर पलिका परिषद⁹⁵ ने वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। इसके अलावा, पाँच नगर पंचायतों⁹⁶ और तीन नगर पालिका परिषदों⁹⁷ ने भी वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.7.3 अवास्तविक बजट अभ्यास

व्यय का अनुमान शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है। चूँकि नगरपालिका सेवाओं का वितरण एक लागत के साथ आता है, कुशल वितरण के लिए निधि की आवश्यकता और स्रोत का आकलन करने के लिए प्रत्येक नगरपालिका सेवा की लागत का वैज्ञानिक रूप से अनुमान लगाना आवश्यक था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ऐसा कोई आंकलन नहीं किया गया था और बजट अनुमान को पिछले वर्ष के आंकड़ों में समायोजन के माध्यम से तैयार किया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय के बजट अनुमान अवास्तविक थे।

शहरी स्थानीय निकाय की प्रत्येक श्रेणी में अवास्तविक बजट तैयार करने का उदाहरण निम्न तालिका 7.20 में दर्शाया गया है:

⁹⁴ बैरिया (बलिया), इटौंजा (लखनऊ), खीरी (लखीमपुर खीरी), पाकबड़ा (मुरादाबाद), पाली और तालबेहट (ललितपुर)।

⁹⁵ बिलारी (मुरादाबाद) और रसड़ा (बलिया)।

⁹⁶ वर्ष 2017–18 के लिए खमरिया (भदोही), वर्ष 2017–19 और 2021–22 के लिए कुंडा (प्रतापगढ़), वर्ष 2017–19 के लिए मनियर (बलिया), वर्ष 2017–19 के लिए ओयलडकवा (लखीमपुर खीरी) और वर्ष 2017–18 हेतु रामपुर झांसी।

⁹⁷ वर्ष 2018–22 के लिए बलिया, वर्ष 2021–22 के लिए रामपुर तथा वर्ष 2017–19 के लिए सिरसागंज (फिरोजाबाद)।

तालिका 7.20: नमूना-जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय की प्रत्येक श्रेणी में वास्तविक आँकड़े के साथ बजट अनुमान की भिन्नता का विवरण

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्राप्तियाँ			व्यय		
		बजट अनुमान	वास्तविक आँकड़े	बजट अनुमान से वास्तविक आँकड़े का प्रतिशत	बजट अनुमान	वास्तविक आँकड़े	बजट अनुमान से वास्तविक आँकड़े का प्रतिशत
नगर निगम							
लखनऊ	2015-16	1665.06	932.23	55.99	1293.36	479.40	37.07
	2016-17	1592.28	1283.80	80.63	1361.61	1110.65	81.57
	2017-18	2211.52	1425.06	64.44	1673.28	1369.83	81.86
	2018-19	2281.12	1107.07	48.53	1699.38	821.73	48.35
	2019-20	1992.88	880.48	44.18	1687.02	554.37	32.86
झाँसी	2015-16	136.37	166.13	121.82	129.88	123.64	95.20
	2016-17	224.21	226.68	101.10	220.32	130.92	59.42
	2017-18	267.10	227.53	85.19	243.52	176.32	72.40
	2018-19	236.45	209.55	88.62	231.30	168.31	72.77
	2019-20	237.54	96.65	40.69	230.36	140.82	61.13
मुरादाबाद	2015-16	208.31	159.46	76.55	208.31	152.27	73.10
	2016-17	577.02	201.44	34.91	577.02	156.58	27.14
	2017-18	575.05	187.74	32.65	575.05	155.43	27.03
	2018-19	908.25	226.88	24.98	908.25	178.04	19.60
	2019-20	406.04	209.04	51.48	406.04	165.17	40.68
नगर पालिका परिषद							
रामपुर	2015-16	64.83	63.97	98.67	85.14	57.92	68.03
	2016-17	110.21	78.53	71.25	120.49	83.56	69.35
	2017-18	131.5	47.42	36.06	147.07	53.40	36.31
	2018-19	65.06	50.22	77.19	94.89	66.25	69.82
	2019-20	55.14	71.37	129.43	96.45	57.52	59.64
ललितपुर	2015-16	37.09	23.10	62.28	45.26	25.34	55.99
	2016-17	32.20	29.89	92.83	46.00	27.96	60.78
	2017-18	46.48	35.57	76.53	54.67	25.89	47.36
	2018-19	41.36	30.76	74.37	56.06	33.65	60.02
	2019-20	41.17	33.00	80.16	57.70	31.07	53.85
बेल्हा प्रतापगढ़	2015-16	28.49	18.91	66.37	34.38	13.60	39.56
	2016-17	28.95	20.70	71.50	38.68	22.94	59.31
	2017-18	30.48	20.84	68.37	44.86	25.06	55.86
	2018-19	29.88	21.69	72.59	42.53	18.84	44.30
	2019-20	30.79	27.93	90.71	40.65	27.45	67.53
नगर पंचायतें							
फरिहा (फिरोजाबाद)	2015-16	2.91	2.11	72.51	2.87	2.22	77.35
	2016-17	3.14	2.81	89.49	3.17	2.47	77.92
	2017-18	3.18	3.01	94.65	3.43	2.95	86.01
	2018-19	4.08	2.35	57.60	4.52	2.32	51.33
	2019-20	3.31	3.76	113.60	4.09	2.32	56.72
तालबेहट	2015-16	2122.00	682.40	32.16	21.10	6.36	30.14

(ललितपुर)	2016-17	4521.50	1591.12	35.19	44.55	12.28	27.56
	2017-18	2668.00	536.94	20.13	25.95	7.81	30.10
	2018-19	2700.00	913.01	33.82	26.75	10.32	38.58
	2019-20	2007.00	603.18	30.05	19.95	6.60	33.08
कुण्डा (प्रतापगढ़)	2015-16	9.75	7.28	74.67	9.02	6.31	69.96
	2016-17	8.90	8.72	97.98	7.86	10.09	128.37
	2017-18	11.65	8.33	71.50	11.92	6.61	55.45
	2018-19	9.98	8.03	80.46	12.90	10.50	81.40
	2019-20	11.52	9.53	82.73	13.09	9.25	70.66

(स्रोत: नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यय और प्राप्तियों दोनों का अनुमान सही नहीं था। यह व्यापक रूप से भिन्न था और किसी भी प्रवृत्ति को प्रदर्शित न करना बजट प्रक्रिया की अनिश्चितता को इंगित करता है।

इस प्रकार, प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत और उनके निधि के स्रोत के वैज्ञानिक मूल्यांकन की कमी के परिणामस्वरूप बजट अवास्तविक थे।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.7.4 शहरी स्थानीय निकाय के बजट में राज्य सरकार की भूमिका

असाधारण प्रकरणों में नगरपालिकाओं के बजट स्वीकृति करने की शक्ति होने के बावजूद वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय के बजट पारित/स्वीकृति करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया, जैसा कि पहले प्रस्तर संख्या 4.2.3.7 में चर्चा की गयी है।

अग्रेतर, मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के प्रावधानों के अनुसार लघु शीर्ष 191, 192 एवं 193 क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए परिचालित⁹⁸ किए गए थे। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा इन लघु शीर्षों को विनियोजित अनुदान, नगर विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के स्थान पर सीधे पैरास्टेटल को जारी किया जा रहा था, क्योंकि वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹3,847.12 करोड़ सीधे उत्तर प्रदेश जल निगम को पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय का पैरास्टेटल्स पर कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं था।

उपरोक्त के अलावा, केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत के तहत सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति को स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार निधि का अनुमोदन एवं जारी करने का अधिकार दिया गया था। यह भी पाया गया कि 2018–19 के दौरान राज्य सरकार के निर्देश पर

⁹⁸ 2011–12 की अवधि के पूर्व लघु शीर्ष 191 तथा 2011–12 से 192 एवं 193।

अमृत योजना⁹⁹ के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में 10 शहरी स्थानीय निकाय¹⁰⁰ के ₹333.72 करोड़ के हिस्से को भी केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान से समायोजित किया गया था। इसी प्रकार, राज्य प्रायोजित योजनाओं के संबंध में, ये शक्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित थीं।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवम्बर 2022) नहीं की।

अनुशंसाएँ:

18. शहरी स्थानीय निकाय को अपने बजट को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें जुटाए जाने वाले अपेक्षित निधि के वास्तविक प्रक्षेपण को ध्यान में रखा जाए।

19. शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पैरास्टेटल्स को निधि जारी की जानी चाहिए ताकि कार्यदायी संस्थाओं की गतिविधियों पर स्थानीय सरकार का वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

7.8 शहरी स्थानीय निकायों का व्यय

शहरी स्थानीय निकायों के व्यय को पांच प्रमुख श्रेणियों जैसे नागरिक सुविधाओं पर ढाँचागत व्यय, संचालन और अनुरक्षण व्यय, सामान्य व्यय, मानव संसाधन व्यय और विज्ञापन व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2015–20¹⁰¹ की अवधि के दौरान राज्य में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 7.21 में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 7.21: राज्य में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नागरिक सुविधाओं पर ढाँचागत व्यय	संचालन और अनुरक्षण व्यय	सामान्य व्यय	मानव संसाधन व्यय	विज्ञापन व्यय	कुल व्यय
2015-16	3,564.42	1,674.87	1,169.75	3,068.72	33.24	9,511.00
2016-17	3,137.84	1,649.37	1,420.29	3,344.96	40.84	9,593.30
2017-18	2,404.52	1,802.23	2,108.28	4,028.83	44.33	10,388.19
2018-19	2,859.54	1,941.17	1,958.32	4,634.60	54.83	11,448.46
2019-20	2,740.64	1,623.17	1,467.12	5,156.58	51.38	11,038.89
योग	14,706.96	8,690.81	8,123.76	20,233.69	224.62	51,979.84

(स्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

स्पष्ट है कि मानव संसाधन पर व्यय कुल व्यय का लगभग 39 प्रतिशत था, जिसके बाद ढाँचागत व्यय 28 प्रतिशत था। संचालन और अनुरक्षण व्यय कुल व्यय का 17 प्रतिशत था।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवम्बर 2022) नहीं की।

⁹⁹ अनुमोदित परियोजनाओं का वित्त पोषण पैटर्न केन्द्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा क्रमशः 50:30:20 के अनुपात में था।

¹⁰⁰ नगर निगम: आगरा, अयोध्या, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी।

¹⁰¹ नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

7.8.1 राजस्व –व्यय का अंतर

वर्ष 2015–20¹⁰² की अवधि में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व व्यय के केवल 29 प्रतिशत की सीमा तक स्वयं के संसाधन सृजित करने में सक्षम थे। स्वयं के राजस्व की राजस्व व्यय से तुलना में बड़े अंतर परिलक्षित हुए जैसा कि निम्न तालिका 7.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.22: शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व के सापेक्ष राजस्व व्यय का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं का राजस्व ¹⁰³				शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व व्यय				राजस्व व्यय से स्वयं के राजस्व का प्रतिशत
	नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	कुल योग	नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत	कुल योग	
2015-16	1,366.85	385.53	125.98	1878.36	2989.34	2106.89	850.36	5946.59	31.59
2016-17	1,544.38	414.92	114.76	2074.06	3419.04	2151.33	885.09	6455.46	32.13
2017-18	1,985.42	409.15	117.29	2511.86	4560.22	2451.70	971.75	7983.67	31.46
2018-19	1,899.46	352.04	124.28	2375.78	4774.63	2630.83	1183.46	8588.92	27.66
2019-20	1,375.47	375.55	138.62	1889.63	4188.12	2857.12	1253.02	8298.26	22.77
योग	8,171.58	1,937.19	620.93	10,729.69	19,931.35	12,197.87	5,143.68	37,272.90	28.79

(स्रोत: नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य के नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का स्वयं का राजस्व कुल राजस्व व्यय का क्रमशः 41 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत था, जो सरकारी अनुदान पर उनकी निर्भरता का घोतक है।

यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय का अपना राजस्व मानव संसाधन व्यय के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि यह मानव संसाधन व्यय का केवल 53 प्रतिशत था, जिसे शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भी संज्ञान में लिए जाने की आवश्यकता है।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय के स्वयं के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

7.8.2 निधियों के उपयोग की सीमा

वर्ष 2015–20¹⁰⁴ की अवधि में कुल प्राप्तियों के साथ कुल व्यय की तुलना दर्शाती है कि शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष उपलब्ध निधियों का औसतन लगभग 90 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम थे जैसा कि निम्न तालिका 7.23 में दर्शाया गया है:

¹⁰² नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

¹⁰³ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की प्राप्तियाँ सहित।

¹⁰⁴ नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का डाटा संकलन करने का कार्य प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021–22 के डाटा संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है।

तालिका 7.23: वर्ष 2015–20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वयं का राजस्व (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सहित)	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान	अन्य (उधार सहित)	कुल प्राप्तियां	व्यय	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय प्रतिशत
2015-16	1,878.36	1,031.79	5,470.91	1,386.77	9,767.83	9,511.00	97.37
2016-17	2,074.06	1,177.09	5,532.23	1,615.04	10,398.42	9,593.30	92.26
2017-18	2,511.86	2,558.32	5,849.70	1,554.85	12,474.73	10,388.19	83.27
2018-19	2,375.78	1,855.69	6,135.91	1,940.34	12,307.72	11,448.46	93.02
2019-20	1,889.63	2,471.49	7,162.49	1,579.83	13,103.44	11,038.89	84.24
योग	10,729.69	9,094.38	30,151.24	8,076.83	58,052.14	51,979.84	89.54

(प्रोतः नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

निधियों के उपयोग में आने वाली बाधाओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है:

- अन्य योजनाओं¹⁰⁵ के अंतर्गत अनुदान एवं निधि के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियों की शर्तें, जारी की गई निधि/अनुदान का एक निर्धारित समयावधि में उपयोग करना एवं इसकी समाप्ति पर अनुदान/निधि की अव्ययित शेष धनराशि के उपयोग हेतु राज्य सरकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को राज्य सरकार से समय विस्तार की माँग करना आवश्यक था। इसने शहरी स्थानीय निकाय की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियों/अनुदानों का उपयोग करने की स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर दिया।
- नगरपालिकाओं के मामले में राज्य वित्त आयोग निधि और अवसंरचनात्मक विकास निधि के कार्यों के संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति के पास था। तथापि, समिति की बैठक समय पर न होने के कारण स्वीकृति एवं कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।
- अवसंरचनात्मक विकास निधि¹⁰⁶ के दिशा-निर्देशों (अप्रैल 1999) के अनुसार जारी की गई निधि की 40 प्रतिशत धनराशि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व उपार्जक परिस्थितियों के सृजन पर उपयोग की जानी थी, जबकि शेष 60 प्रतिशत स्थाई प्रकृति के कार्यों पर की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा निधियों के उपयोग पर लगाए गए ये प्रतिबंध या तो शहरी स्थानीय निकाय को दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि उपलब्ध संसाधनों के भीतर राजस्व उपार्जिक परिसंपत्तियों के निर्माण की संभावना सीमित थी या निधि के उपयोग में देरी हुई थी।

¹⁰⁵ केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग अनुदान, पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, कान्हा पशु आश्रय योजना, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आदि के तहत जारी।

¹⁰⁶ शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाकर बनाया गया।

- शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों पर प्रतिबंध/सीमाएं जैसा कि बाद में प्रस्तर संख्या 7.9 में चर्चा की गई है।
- विभिन्न संवर्गों में बड़ी संख्या में रिक्तियाँ, जैसा कि प्रस्तर संख्या 6.2 में विस्तृत है, ने भी उपयोग को प्रभावित किया।

नगर विकास विभाग ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2022) कि शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से संबंधित निधियों के उचित उपयोग के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

7.9 शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय शक्तियाँ

वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण द्वारा समर्थित होने पर ही वित्तीय स्वायत्तता पूर्ण हो सकती है। विकेंद्रीकरण निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- एक कुशल और विश्वसनीय प्रशासन बनाना;
- स्थानीय शासन को बढ़ाना और सुधारना;
- जवाबदेही और उत्तरदायित्व बढ़ाना;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्थानीय लोगों की क्षमता में सुधार करना विशेष रूप से सेवा वितरण के संबंध में; और
- प्रेरणा आदि में वृद्धि।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान, विभिन्न नगरपालिका प्राधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की शक्तियों के बारे में मौन थे और केवल प्राक्कलनों और अनुबन्ध के अनुमोदन से संबंधित शक्तियाँ प्रदान करते थे, जैसा कि परिशिष्ट VII में वर्णित है।

यद्यपि, केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के मामले में, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। अग्रेतर, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान और अवसंरचनात्मक विकास निधि के मामले में, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के मामले में क्रमशः जिलाधिकारी और महापौर (फरवरी 2019 से प्रभावी) की अध्यक्षता वाली एक समिति के पास प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार निहित है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की निधियों के मामले में राज्य सरकार ने इसके लिए किसी प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया और वास्तविक स्थिति में महापौर/अध्यक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रहे थे। यद्यपि, राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग निधियों आदि के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अध्यक्ष को समर्थ बनाने के लिए तथा इन मामलों में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया (मई 2014), तथापि, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई।

नगर विकास विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी (नवंबर 2022) नहीं की।

7.10 निष्कर्ष

राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकाय को पर्याप्त संसाधन हस्तान्तरित नहीं कर सकी। शहरी स्थानीय निकाय के पास न्यूनतम राजस्व आधार था और वे अपने अस्तित्व के लिए काफी हद तक सरकारी अनुदान पर निर्भर थे। राज्य वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग बड़े पैमाने पर शहरी स्थानीय निकाय के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था। राज्य वित्त आयोग के गठन और संस्तुतियों को स्वीकार करने में देरी हुई थी। राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों को भी राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान हस्तान्तरित नहीं किया और न ही अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में शहरी स्थानीय निकाय का हिस्सा हस्तान्तरित किया। शहरी स्थानीय निकाय 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के आवंटन के अनुसार अनुदान प्राप्त नहीं कर सके, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे। वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत समाहित करां के कारण शहरी स्थानीय निकाय को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका करां को लगाने और वसूलने में सक्रिय नहीं थे क्योंकि कई नमूना—जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय ने अनिवार्य गृह कर और जल कर नहीं लगाया था। स्वयं के राजस्व के अन्य स्रोत जैसे कंजरवेंसी टैक्स, व्यापार और व्यवसाय पर कर, बेटरमेंट टैक्स, थिएटर कर, जल प्रभार, व्यापार लाइसेंस शुल्क आदि को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग नहीं किया गया था। कर और गैर-कर राजस्व लगाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक उपनियम नहीं बनाए गए थे। आरोपित करां का संग्रहण कुशल नहीं था। स्व-मूल्यांकन प्रणाली को भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नहीं अपनाया गया था। संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। शहरी स्थानीय निकायों से ऋणों की वसूली लंबित थी। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बजट अनुमान तैयार करने में न केवल देरी हुई बल्कि यह अवास्तविक भी था।

प्रयागराज
दिनांक 31 मई, 2024


(राम हित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 6 JUN 2024



(गिरीश चंद्र मुमी)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट - I

(संदर्भ: प्रस्तर 1.4, पृष्ठ 2)

राज्य में शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकलाप की संगठनात्मक संरचना



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट - II

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3, पृष्ठ 4)

चयनित इकाईयों की सूची

क्र० सं०	जिलों के नाम	चयनित न०नि० के नाम	चयनित न०पा०पा० के नाम	चयनित न०पं० के नाम
1	लखनऊ	लखनऊ	-	इटौंजा
			-	बक्शी का तालाब
2	मुरादाबाद	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	उमरीकलां
			बिलारी	पाकबड़ा
3	मथुरा	मथुरा—वृन्दावन	कोसीकलां	गोकुल
				छाता
4	झौसी	झौसी	मऊरानीपुर	कटेरा
			गुरसराय	रानीपुर
			चिरगाँव	
5	फिरोजाबाद	-	टुण्डला	फरिहा
			सिरसागंज	एका
6	रामपुर	-	रामपुर	मसवासी
			स्वार	शाहाबाद
			बिलासपुर	
7	मिर्जापुर	-	मिर्जापुर	कछवा
8	अमरोहा	-	अमरोहा	जोया
			बछरांयू	नौगवांसादात
9	लखीमपुर खीरी	-	लखीमपुर	ओयलढकवा
			पलियाकलां	खीरी
10	बलिया	-	बलिया	मनियर
			रसड़ा	बैरिया
11	प्रतापगढ़	-	बेल्हा प्रतापगढ़	कटरा मेदिनीगंज
				कुण्डा
12	भदोही	-	भदोही	ज्ञानपुर
				खमरिया
13	ललितपुर	-	ललितपुर	पाली
				तालबेहट

परिशिष्ट - III

(संदर्भः प्रस्तर 4.1, 5.3.1 तथा 5.3.2 पृष्ठ 15 एवं 40)

चयनित न०नि० और न०पा०पा० में कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट – IV

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1, पृष्ठ 15)

**पाँच नगर निगमों और संबंधित विकास प्राधिकरणों के
अतिव्यापी गतिविधियों पर व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
न0नि0—ज्ञांसी					
पार्क/लान का विकास एवं रखरखाव	2.17	2.57	1.50	0.68	0.17
राज्य वित्त आयोग निधि से सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव	27.46	26.03	17.68	18.45	23.13
नालों का निर्माण एवं मरम्मत	1.41	0.00	0.00	0.00	1.12
अवस्थापना निधि से विकास कार्य	1.05	5.35	2.01	0.91	9.80
नगरीय सड़क सुधार योजना	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
केन्द्रीय वित्त आयोग से सड़क निर्माण कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	18.09	35.95	14.46	100.26	20.19
अमृत योजना	37.64	2.18	1.18	3.80	0.29
पेयजल/हैण्डपम्प/जलापूर्ति	0.00	0.00	0.00	7.09	15.19
योग	88.34	72.08	36.83	131.19	69.89
वि0प्रा0—ज्ञांसी					
अवस्थापना निधि से व्यय	01.25	10.63	14.49	22.25	25.10
योग	01.25	10.63	14.49	22.25	25.10
न0नि0—लखनऊ					
नये निर्माण कार्य	10.91	16.54	1.82	2.18	0.94
शहरी गरीबों हेतु विकास कार्य	1.73	0.28	0.03	0.01	0.04
पार्कों का रखरखाव	17.69	19.34	23.41	24.98	29.60
अवस्थापना निधि से विकास कार्य	108.95	21.89	25.74	3.30	0.00
केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	79.63	40.20	129.34	117.77	174.15
अमृत योजना	338.33	2.24	2.47	1.43	1.32
योग	557.24	100.49	182.81	149.67	206.05
वि0प्रा0—लखनऊ					
विकास कार्यों पर व्यय	115.80	84.59	72.29	143.44	103.47
योजनाओं का रखरखाव	2.78	2.42	1.83	3.45	9.34
अवस्थापना निधि से व्यय	56.43	110.23	34.32	24.75	45.80
योग	175.01	197.24	108.44	171.64	158.61
न0नि0—मथुरा—वृदावन					
जलापूर्ति पर व्यय	5.25	5.33	4.07	39.78	50.63
जलनिकासी	0.33	0.04	1.40	2.37	0.00
मलिन बस्ती विकास (सड़क एवं जलनिकासी)	0.00	0.00	0.02	0.19	0.02
सड़कों का मरम्मत एवं रखरखाव	3.94	1.31	2.27	6.57	13.96
पार्कों का विकास	0.00	0.05	0.32	0.15	0.36
सड़कों का निर्माण	8.14	3.76	5.93	11.45	11.39
केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	2.28	9.31	16.82	54.58	25.83
अवस्थापना निधि से व्यय	0.74	1.46	1.82	1.67	0.18
अमृत योजना	0.23	0.44	0.56	0.19	0.38

रोड कटिंग से व्यय		0.00	0.55	1.39	0.00	1.52
योग	20.91	22.25	34.60	116.95	104.27	
विभाग- मथुरा-वृद्धावन						
विकास कार्यों पर व्यय		4.05	4.87	4.21	4.55	17.47
शासकीय अनुदान से विकास कार्य		4.08	0.89	0.65	0.01	0.00
अवस्थापना निधि से व्यय		24.32	25.43	41.44	29.62	33.18
पार्क एवं वृक्षारोपण कार्य		0.09	0.03	0.46	0.23	0.84
योग	32.54	31.22	46.76	34.41	51.49	
नियम-मुरादाबाद						
सड़क एवं अन्य का निर्माण		18.55	18.84	30.62	14.72	11.03
जलाधार्ति		12.63	11.82	13.16	12.83	5.70
पार्कों पर व्यय		0.53	0.61	0.72	1.09	1.10
जलनिकासी पर व्यय		9.38	7.63	8.99	5.51	2.57
केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान		8.66	37.46	44.49	80.25	42.19
अमृत योजना		4.54	1.71	1.55	0.68	1.63
योग	54.29	78.07	99.53	115.08	64.22	
विभाग- मुरादाबाद						
पार्क एवं उद्यानों पर व्यय		1.49	1.61	0.34	0.22	0.21
अवस्थापना निधि से व्यय		10.77	3.93	2.51	10.12	0.42
विकास कार्यों पर व्यय		31.35	37.14	41.80	29.90	19.65
योग	43.61	42.68	44.65	40.24	20.28	
नियम-प्रयागराज						
निःशक्ति, शहरी गरीब एवं महिला उत्थान की आधारभूत सुविधाओं हेतु विकास (सड़क एवं अन्य कार्य)		0.15	0.09	0.00	0.03	0.00
पार्क, खुले स्थान, वृक्षारोपण आदि का रखरखाव		1.04	0.98	1.07	2.48	6.55
अवस्थापना निधि से विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय		20.14	31.53	5.00	5.14	3.28
नगरीय सड़क सुधार योजना		0.15	0.90	0.00	0.00	0.00
सड़क, गली एवं नाली हेतु विकास निधि		5.21	0.52	1.09	14.61	25.42
स्वच्छता-मिलन बस्ती विकास		0.06	0.09	0.00	0.00	0.00
अमृत योजना		0.05	2.85	1.48	3.73	1.02
केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान		30.49	63.16	70.14	61.46	89.09
कटिंग चार्ज से सड़क कार्य		0.00	0.09	0.03	0.00	0.00
योग	57.29	100.21	78.81	87.45	125.36	
विभाग-प्रयागराज						
पार्कों एवं उद्यानों का सौन्दर्यीकरण		2.62	0.88	0.39	0.49	0.56
विकास कार्य		3.75	0.18	3.08	6.91	5.56
अवस्थापना निधि से व्यय		34.00	76.02	35.38	10.98	4.65
योग	40.37	77.08	38.85	18.38	10.77	

(स्रोत: संबंधित इकाईयों के वार्षिक लेखे एवं बजट अभिलेख)

परिशिष्ट – V

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.1, पृष्ठ 22)

**वर्ष 2015–20 की अवधि में नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में
परिषद की बैठकों का विवरण**

जनपद का नाम	निकाय का नाम	वर्ष	प्रावधानों के अनुसार आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	
नगर निगम					
लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	2015-16	6	4	
		2016-17	6	1	
		2017-18*	3	2	
		2018-19	6	6	
		2019-20	6	6	
मुरादाबाद	नगर निगम मुरादाबाद	2015-16	6	3	
		2016-17	6	1	
		2017-18*	3	2	
		2018-19	6	2	
		2019-20	6	2	
मथुरा	नगर निगम मथुरा—वृन्दावन	2015-16	0	0	
		2016-17	0	0	
		2017-18**	3	1	
		2018-19	6	3	
		2019-20	6	3	
झाँसी	नगर निगम झाँसी	2015-16	6	3	
		2016-17	6	3	
		2017-18	3	3	
		2018-19	6	3	
		2019-20	6	4	
योग			96	52	
नगर पालिका परिषद					
झाँसी	मऊरानीपुर	2015-16	12	3	
		2016-17	12	2	
		2017-18	6	3	
		2018-19	12	3	
		2019-20	12	4	
	चिरगाँव	2015-16	12	11	
		2016-17	12	10	
		2017-18	6	2	
		2018-19	12	8	
		2019-20	12	6	
	गुरसराय	2015-16	12	11	
		2016-17	12	12	
		2017-18	6	7	
		2018-19	12	7	
		2019-20	12	9	
रामपुर	रामपुर	2015-16	12	5	
		2016-17	12	3	
		2017-18	6	2	
		2018-19	12	3	

		2019-20	12	2
स्वार	स्वार	2015-16	12	1
		2016-17	12	1
		2017-18	6	1
		2018-19	12	3
		2019-20	12	1
बिलासपुर	बिलासपुर	2015-16	12	3
		2016-17	12	3
		2017-18	6	2
		2018-19	12	3
		2019-20	12	1
बलिया	बलिया	2015-16	12	7
		2016-17	12	11
		2017-18	6	7
		2018-19	12	0
		2019-20	12	0
मुरादाबाद	रसड़ा	2015-16	12	11
		2016-17	12	11
		2017-18	6	8
		2018-19	12	7
		2019-20	12	8
फिरोजाबाद	ठाकुरद्वारा	2015-16	12	4
		2016-17	12	2
		2017-18	6	2
		2018-19	12	2
		2019-20	12	4
ललितपुर	ललितपुर	2015-16	12	2
		2016-17	12	1
		2017-18	6	3
		2018-19	12	3
		2019-20	12	2
प्रतापगढ़	बेल्हा प्रतापगढ़	2015-16	12	6
		2016-17	12	11
		2017-18	6	3
		2018-19	12	5
		2019-20	12	8
सिरसागंज	सिरसागंज	2015-16	12	2
		2016-17	12	2
		2017-18	6	3
		2018-19	12	7
		2019-20	12	6

		2019-20	12	2	
मथुरा	कोसीकलां	2015-16	12	1	
		2016-17	12	2	
		2017-18	6	2	
		2018-19	12	3	
		2019-20	12	1	
अमरोहा	अमरोहा	2015-16	12	4	
		2016-17	12	2	
		2017-18	6	3	
		2018-19	12	3	
		2019-20	12	2	
	बछरांयूँ	2015-16	12	5	
		2016-17	12	1	
		2017-18	6	3	
		2018-19	12	5	
		2019-20	12	2	
लखीमपुर खीरी	लखीमपुर	2015-16	12	7	
		2016-17	12	2	
		2017-18	6	3	
		2018-19	12	2	
		2019-20	12	2	
	पलियाकलां	2015-16	12	6	
		2016-17	12	3	
		2017-18	6	4	
		2018-19	12	10	
		2019-20	12	6	
भदोही	भदोही	2015-16	12	6	
		2016-17	12	3	
		2017-18	6	3	
		2018-19	12	6	
		2019-20	12	7	
मिर्जापुर	मिर्जापुर	2015-16	12	4	
		2016-17	12	2	
		2017-18	6	2	
		2018-19	12	8	
		2019-20	12	7	
योग			1,134	452	
नगर पंचायतें					
लखनऊ	बक्शी का तालाब	2015-16	12	10	
		2016-17	12	7	
		2017-18	6	2	
		2018-19	12	8	
		2019-20	12	2	
	इटौंजा	2015-16	12	10	
		2016-17	12	5	
		2017-18	6	2	
		2018-19	12	8	
		2019-20	12	9	
झौसी	रानीपुर	2015-16	12	2	
		2016-17	12	2	

		2017-18	6	2
		2018-19	12	2
		2019-20	12	2
रामपुर	कठेरा	2015-16	12	2
		2016-17	12	2
		2017-18	6	2
		2018-19	12	2
		2019-20	12	3
बलिया	शाहाबाद	2015-16	12	3
		2016-17	12	1
		2017-18	6	1
		2018-19	12	2
		2019-20	12	1
	मसवासी	2015-16	12	2
		2016-17	12	1
		2017-18	6	2
		2018-19	12	2
		2019-20	12	2
मुरादाबाद	मनियर	2015-16	0	0
		2016-17	0	0
		2017-18	3	3
		2018-19	12	8
		2019-20	12	1
	बैरिया	2015-16	0	0
		2016-17	0	0
		2017-18	3	3
		2018-19	12	8
		2019-20	12	11
फिरोजाबाद	पाकबड़ा	2015-16	0	0
		2016-17	0	0
		2017-18	3	2
		2018-19	12	4
		2019-20	12	6
	उमरीकलां	2015-16	12	10
		2016-17	12	10
		2017-18	6	9
		2018-19	12	11
		2019-20	12	10
ललितपुर	फरिहा	2015-16	12	8
		2016-17	12	2
		2017-18	6	3
		2018-19	12	9
		2019-20	12	9
	एका	2015-16	0	0
		2016-17	0	0
		2017-18	3	2
		2018-19	12	9
		2019-20	12	10
	पाली	2015-16	12	7
		2016-17	12	6

		2017-18	6	3
		2018-19	12	6
		2019-20	12	5
प्रतापगढ़	तालबेहट	2015-16	12	9
		2016-17	12	12
		2017-18	6	9
		2018-19	12	12
		2019-20	12	9
मथुरा	कुण्डा	2015-16	12	3
		2016-17	12	8
		2017-18	6	5
		2018-19	12	3
		2019-20	12	3
	कटरामेदिनीगंज	2015-16	12	5
		2016-17	12	6
		2017-18	6	1
		2018-19	12	2
		2019-20	12	0
अमरोहा	गोकुल	2015-16	12	3
		2016-17	12	1
		2017-18	6	3
		2018-19	12	4
		2019-20	12	2
	छाता	2015-16	12	2
		2016-17	12	1
		2017-18	6	2
		2018-19	12	3
		2019-20	12	2
लखीमपुर खीरी	ओयलढकवा	2015-16	12	9
		2016-17	12	9
		2017-18	6	2
		2018-19	12	8
		2019-20	12	2
	खीरी	2015-16	12	12
		2016-17	12	9
		2017-18	6	5
		2018-19	12	6
		2019-20	12	4
भदोही	ज्ञानपुर	2015-16	12	9
		2016-17	12	11

		2017-18	6	5	
		2018-19	12	11	
		2019-20	12	5	
खमरिया	खमरिया	2015-16	12	6	
		2016-17	12	4	
		2017-18	6	5	
		2018-19	12	9	
		2019-20	12	3	
मिर्जापुर	कछवा	2015-16	12	6	
		2016-17	12	2	
		2017-18*	6	3	
		2018-19	12	8	
		2019-20	12	9	
योग		1,242		614	
कुल योग		2,472		1,118	

(*अवधि जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 के दौरान परिषद अस्तित्व में नहीं थी।

** परिषद का गठन जनवरी 2018 में नगर निगम/नगर पंचायत बनने के बाद हुआ था।

परिशिष्ट – VI

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.7 एवं 7.7.1, पृष्ठ 26 एवं 100)

नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में बजट अनुमानों की तैयारी एवं अनुमोदन की स्थिति

जनपद का नाम	निकाय का नाम	वर्ष	परिषद को प्रस्तुत करने की तिथि	परिषद द्वारा अनुमोदन की तिथि	निदेशक को भेजा गया है या नहीं
नगर निगम					
लखनऊ	लखनऊ	2015-16	30-03-2015	30-03-2015	नहीं
		2016-17	31-03-2016	31-03-2016	नहीं
		2017-18	30-03-2017	30-03-2017	नहीं
		2018-19	29-03-2018	29-03-2018	नहीं
		2019-20	07-07-2019	07-07-2019	नहीं
मुरादाबाद	मुरादाबाद	2015-16	तैयार नहीं किया गया		
		2016-17	30-03-2016	30-03-2016	नहीं
		2017-18	05-05-2017	09-05-2017	नहीं
		2018-19	07-05-2018	07-05-2018	नहीं
		2019-20	09-06-2019	15-06-2019	नहीं
मथुरा	मथुरा-वृन्दावन **	2018-19	12-04-2018	12-04-2018	नहीं
		2019-20	09-08-2019	09-08-2019	नहीं
झौसी	झौसी	2015-16	31-03-2015	31-03-2015	नहीं
		2016-17	15-03-2016	15-03-2016	नहीं
		2017-18	24-04-2017	24-04-2017	नहीं
		2018-19	09-03-2018	09-03-2018	नहीं
		2019-20	26-02-2019	26-02-2019	नहीं
नगर पालिका परिषदें					
मऊरानीपुर		2015-16	देरी से अनुमोदन	देरी से अनुमोदन	नहीं
		2016-17	11-03-2016	11-03-2016	नहीं
		2017-18	देरी से अनुमोदन	देरी से अनुमोदन	नहीं
		2018-19	देरी से अनुमोदन	देरी से अनुमोदन	नहीं
		2019-20	22-02-2019	22-02-2019	नहीं
झौसी	चिरगाँव	2015-16	25-04-2015	25-04-2015	नहीं
		2016-17	28-05-2016	28-05-2016	नहीं
		2017-18	17-05-2017	17-05-2017	नहीं
		2018-19	07-05-2018	07-05-2018	नहीं
		2019-20	23-05-2019	23-05-2019	नहीं
गुरसराय		2015-16	तैयार नहीं किया गया		
		2016-17	तैयार नहीं किया गया		
		2017-18	तैयार नहीं किया गया		
		2018-19	15-03-2018	15-03-2018	नहीं
		2019-20	29-06-2019	29-06-2019	नहीं
रामपुर	रामपुर	2015-16	21-03-2015	21-03-2015	नहीं
		2016-17	28-03-2016	28-03-2016	नहीं
		2017-18	01-04-2017	01-04-2017	नहीं

		2018-19	05-05-2018	05-05-2018	नहीं
		2019-20	27-02-2019	27-02-2019	नहीं
स्वार	बिलासपुर	2015-16		तैयार नहीं किया गया	
		2016-17		तैयार नहीं किया गया	
		2017-18		तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	11-07-2018	11-07-2018	नहीं
		2019-20	25-02-2019	25-02-2019	नहीं
बलिया	बलिया	2015-16	01-04-2015	01-04-2015	नहीं
		2016-17	16-04-2016	16-04-2016	नहीं
		2017-18	10-04-2017	10-04-2017	नहीं
		2018-19	17-04-2018	17-04-2018	नहीं
		2019-20	05-07-2019	05-07-2019	नहीं
	रसड़ा	2015-16	15-04-2015	15-04-2015	नहीं
		2016-17	03-05-2016	03-05-2016	नहीं
		2017-18	21-04-2017	21-04-2017	नहीं
		2018-19		तैयार नहीं किया गया	
		2019-20		तैयार नहीं किया गया	
मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	2015-16	05-05-2015	05-05-2015	नहीं
		2016-17	17-03-2016	17-03-2016	नहीं
		2017-18		तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	20-03-2018	20-03-2018	नहीं
		2019-20	04-07-2019	04-07-2019	नहीं
	बिलारी	2015-16	06-06-2015	06-06-2015	नहीं
		2016-17	26-03-2016	26-03-2016	नहीं
		2017-18	29-04-2017	29-04-2017	नहीं
		2018-19	22-09-2018	22-09-2018	नहीं
		2019-20	10-06-2019	10-06-2019	नहीं
फिरोजाबाद	टुण्डला	2015-16	30-04-2015	30-04-2015	नहीं
		2016-17	13-05-2016	13-05-2016	नहीं
		2017-18	31-05-2017	31-05-2017	नहीं
		2018-19	09-05-2018	09-05-2018	नहीं
		2019-20	08-03-2019	08-03-2019	नहीं
	सिरसागंज	2015-16	25-03-2015	25-03-2015	नहीं
		2016-17	18-03-2016	18-03-2016	नहीं
		2017-18	30-03-2017	30-03-2017	नहीं
		2018-19	27-03-2018	27-03-2018	नहीं
		2019-20	28-02-2019	28-02-2019	नहीं
ललितपुर	ललितपुर	2015-16	15-04-2015	15-04-2015	नहीं
		2016-17	13-04-2016	13-04-2016	नहीं

		2017-18	28-03-2017	28-03-2017	नहीं
		2018-19	16-05-2018	16-05-2018	नहीं
		2019-20	02-03-2019	02-03-2019	नहीं
प्रतापगढ़	बेल्हा प्रतापगढ़	2015-16	31-03-2015	31-03-2015	नहीं
		2016-17	23-04-2016	23-04-2016	नहीं
		2017-18	15-04-2017	15-04-2017	नहीं
		2018-19	17-04-2018	17-04-2018	नहीं
		2019-20	03-06-2019	03-06-2019	नहीं
मथुरा	कोसीकलां	2015-16	21.03.2015	21.03.2015	नहीं
		2016-17	12.04.2016	12.04.2016	नहीं
		2017-18	27.04.2017	27.04.2017	नहीं
		2018-19	16.07.2018	16.07.2018	नहीं
		2019-20	05.03.2019	05.03.2019	नहीं
अमरोहा	अमरोहा	2015-16	25.03.2015	25.03.2015	नहीं
		2016-17	28.03.2016	28.03.2016	नहीं
		2017-18	31.03.2017	31.03.2017	नहीं
		2018-19	27.03.2018	27.03.2018	नहीं
		2019-20	03.06.2019	03.06.2019	नहीं
	बछरांगूँ	2015-16	22.04.2015	22.04.2015	नहीं
		2016-17	29.03.2016	29.03.2016	नहीं
		2017-18	07.04.2017	07.04.2017	नहीं
		2018-19	19.03.2018	19.03.2018	नहीं
		2019-20	01.03.2019	01.03.2019	नहीं
लखीमपुर खीरी	लखीमपुर	2015-16	06.04.2015	06.04.2015	नहीं
		2016-17	31.03.2016	31.03.2016	नहीं
		2017-18	05.05.2017	05.05.2017	नहीं
		2018-19	10.05.2018	10.05.2018	नहीं
		2019-20	14.08.2019	14.08.2019	नहीं
	पलियाकलां	2015-16	28.09.2015	28.09.2015	नहीं
		2016-17	30.06.2016	30.06.2016	नहीं
		2017-18	तैयार नहीं किया गया		
		2018-19	26.02.2018	26.02.2018	नहीं
		2019-20	27.02.2019	27.02.2019	नहीं
भदोही	भदोही	2015-16	28.02.2015	28.02.2015	नहीं
		2016-17	30.04.2016	30.04.2016	नहीं
		2017-18	तैयार नहीं किया गया		
		2018-19	28.03.2018	28.03.2018	नहीं
		2019-20	02.03.2019	02.03.2019	नहीं
मिर्जापुर	मिर्जापुर	2015-16	04.04.2015	04.04.2015	नहीं
		2016-17	04.05.2016	04.05.2016	नहीं
		2017-18	25.04.2017	25.04.2017	नहीं
		2018-19	02.04.2018	02.04.2018	नहीं
		2019-20	01.03.2019	01.03.2019	नहीं

नगर पंचायतें				
लखनऊ	बकशी का तालाब	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
	इटौंजा	2015-16	18-04-2015	18-04-2015
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	30-03-2017	30-03-2017
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
झौसी	रानीपुर	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
	कठेरा	2015-16	23-07-2015	23-07-2015
		2016-17	18-04-2016	18-04-2016
		2017-18	17-05-2017	17-05-2017
		2018-19	13-06-2018	13-06-2018
		2019-20	07-06-2019	07-06-2019
रामपुर	शाहाबाद	2015-16	04-06-2015	04-06-2015
		2016-17	30-08-2016	30-08-2016
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	06-01-2018	06-01-2018
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
	मसवासी	2015-16	12-05-2015	12-05-2015
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	11-11-2019	11-11-2019
बलिया	मनियर	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	15-12-2017	15-12-2017
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
	बैरिया**	2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
मुरादाबाद	पाकबड़ा**	2018-19	24-03-2018	24-03-2018
		2019-20	07-08-2019	07-08-2019
	उमरीकलां	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	

		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
फिरोजाबाद	फरिहा	2015-16	22-04-2015	22-04-2015
		2016-17	31-09-2016	31-09-2016
		2017-18	30-05-2017	30-05-2017
		2018-19	30-04-2018	30-04-2018
		2019-20	28-02-2019	28-02-2019
	एका**	2018-19	तैयार नहीं किया गया	
ललितपुर	पाली	2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
	तालबेहट	2015-16	16-07-2015	16-07-2015
		2016-17	24-06-2016	24-06-2016
		2017-18	02-04-2017	02-04-2017
		2018-19	22-05-2018	22-05-2018
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
प्रतापगढ़	कुण्डा	2015-16	03-05-2015	03-05-2015
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	04-04-2017	04-04-2017
		2018-19	31-03-2018	31-03-2018
		2019-20	08-03-2019	08-03-2019
	कटरा मेदिनीगंज	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
मथुरा	गोकुल	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
	छाता	2015-16	तैयार नहीं किया गया	
		2016-17	तैयार नहीं किया गया	
		2017-18	तैयार नहीं किया गया	
		2018-19	तैयार नहीं किया गया	
		2019-20	तैयार नहीं किया गया	
अमरोहा	जोया	2015-16	31.03.2015	31.03.2015
		2016-17	26.02.2016	26.02.2016
		2017-18	25.03.2017	25.03.2017
		2018-19	07.04.2018	07.04.2018

		2019-20	15.02.2019	15.02.2019	नहीं
नौगवांसादात	नौगवांसादात	2015-16	22.04.2015	22.04.2015	नहीं
		2016-17	08.03.2016	08.03.2016	नहीं
		2017-18	24.03.2017	24.03.2017	नहीं
		2018-19	29.03.2018	29.03.2018	नहीं
		2019-20	06.03.2019	06.03.2019	नहीं
लखीमपुर खीरी	ओयलढकवा	2015-16	25.04.2015	25.04.2015	नहीं
		2016-17	31.03.2016	31.03.2016	नहीं
		2017-18	19.04.2017	19.04.2017	नहीं
		2018-19	28.04.2018	28.04.2018	नहीं
		2019-20	28.06.2019	28.06.2019	नहीं
	खीरी	2015-16	18.04.2015	18.04.2015	नहीं
		2016-17	04.05.2016	04.05.2016	नहीं
		2017-18	28.03.2017	28.03.2017	नहीं
		2018-19	16.04.2018	16.04.2018	नहीं
		2019-20	तैयार नहीं किया गया		नहीं
भदोही	ज्ञानपुर	2015-16	30.03.2015	30.03.2015	नहीं
		2016-17	19.04.2016	19.04.2016	नहीं
		2017-18	25.03.2017	25.03.2017	नहीं
		2018-19	28.03.2018	28.03.2018	नहीं
		2019-20	25.02.2019	25.02.2019	नहीं
	खमरिया	2015-16	08.06.2015	08.06.2015	नहीं
		2016-17	31.05.2016	31.05.2016	नहीं
		2017-18	04.05.2017	04.05.2017	नहीं
		2018-19	28.03.2018	28.03.2018	नहीं
		2019-20	23.02.2019	23.02.2019	नहीं
मिर्जापुर	कछवा	2015-16	30.04.2015	30.04.2015	नहीं
		2016-17	11.07.2016	11.07.2016	नहीं
		2017-18	13.04.2017	13.04.2017	नहीं
		2018-19	09.05.2018	09.05.2018	नहीं
		2019-20	10.06.2019	10.06.2019	नहीं

** परिषद का गठन जनवरी 2018 में नगर निगम/नगर पंचायत बनने के बाद हुआ था

परिशिष्ट – VII

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.4, 7.9 पृष्ठ 28 एवं 108)

महापौर/अध्यक्ष की तुलना में परिषद और राज्य सरकार की भूमिका और शक्तियों को दर्शाना

शक्तियाँ	परिषद की भूमिका	महापौर/अध्यक्ष की भूमिका	राज्य सरकार की भूमिका
न0आ0/सहायक न0आ0/अ0आ0 की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण	कोई भूमिका नहीं।	कोई भूमिका नहीं।	उत्तर प्रदेश नगर निगम (यूपीएमसी) अधिनियम की धारा 58, 59 एवं 109 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका (यूपीएम) अधिनियम की धारा 69(बी) के अनुसार, इन पदों के सापेक्ष नियुक्ति की शक्तियाँ और राज्य सरकार में निहित वेतन और भत्ते सहित सेवा शर्तों को तय करने की शक्तियाँ।
परिषद के सदस्यों को हटाना	कोई भूमिका नहीं।	कोई भूमिका नहीं।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 83 और यूपीएम अधिनियम की धारा 40 के अनुसार, राज्य सरकार निर्दिष्ट प्रतिबंधों के साथ परिषद के सदस्यों को हटा सकती है।
परिषद और समितियों की कार्यवाही/बैठकों के आयोजन के तरीके और प्रक्रिया का निर्णय करना।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 102 एवं 103 तथा यूपीएम अधिनियम की धारा 297 के अनुसार, परिषद को इन मामलों में उप-विधि/ अधिनियम बनाने की शक्तियाँ हैं।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 88 तथा यूपीएम अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, महापौर/अध्यक्ष को परिषद की बैठक बुलाने की शक्ति है।	कोई भूमिका नहीं।
अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवकों आदि के पदों का सृजन।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, परिषद को अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के पद सृजित करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह नगर निगम के मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक समझता है। इसी प्रकार, यूपीएम अधिनियम की धारा 71, नगरपालिका के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए परिषद को अधिकार देती है।	कोई भूमिका नहीं।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 106, राज्य सरकार को भी आवश्यक पदों के सृजन के लिए किसी भी नगर निगम को निर्देशित करने के लिए अधिकार देती है। यूपीएम अधिनियम की धारा 71 के तहत, राज्य सरकार कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए किसी भी नगरपालिका को निर्देश दे सकता है। उपरोक्त के अलावा, यूपीएमसी अधिनियम की धारा 112(ए) और यूपीएम अधिनियम की धारा 69(बी) के तहत राज्य सरकार केन्द्रीकृत सेवाओं के तहत सभी नगर निगमों/नगरपालिकाओं के लिए सामान्य पदों का सृजन करने अधिकार दिया गया है।
नगरपालिका प्रशासन के संबंध में शक्तियाँ	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 117 के अनुसार, नगरपालिका प्रशासन की शक्तियों परिषद के पास निहित हैं। इसी तरह, यूपीएम अधिनियम की धारा 50 और 60 के अनुसार, नगरपालिका प्रशासन की शक्तियों प्रारंभिक रूप से नगरपालिका के पास होती हैं तथा अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी को सौंपी जाती है।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 117(2)के अनुसार नगर प्रशासन की निगरानी परिषद की ओर से महापौर के नेतृत्व में कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, अध्यक्ष को नगरपालिकाओं के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, राज्य सरकार कार्यकारी समिति द्वारा अधीक्षण की शक्तियों के प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया के लिए नियम बनाने और नगर आयुक्त द्वारा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के तरीके के लिए अधिकार दिया गया है। यूपीएम अधिनियम की धारा 298 के अनुसार, राज्य सरकार नगरपालिका प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को उपनियम बनाने का निर्देश दे सकती है/आवश्यक कर सकती है।
संपत्ति का अधिग्रहण और धारण	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 125 और यूपीएम अधिनियम की धारा 116, 117 एवं 124 के अनुसार, परिषद के पास संपत्ति	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 127 के अनुसार, परिषद की ओर से सभी संपत्ति का अधिग्रहण और निस्तारण, कार्यकारी समिति (महापौर की सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 128 और 129 के अनुसार, कुछ मामलों में, संपत्ति के निस्तारण के लिए राज्य

	या उसमें किसी भी हित के अधिकारी, धारण और निस्तारण की शक्तियाँ हैं।	अध्यक्षता में) के अनुमोदन से न0आ0 द्वारा किया जाना है।	है। इसके अतिरिक्त, यूपीएम अधिनियम की धारा 127 के अनुसार, राज्य सरकार को संपत्ति के अधिग्रहण या निस्तारण से संबंधित मामलों के नियमन और शासन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य सरकार नगरपालिकाओं की संपत्तियों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी (एक लाख रुपये तक मूल्य) एवं संभागीय आयुक्त (एक लाख से अधिक परंतु तीन लाख रुपये से कम) को अधिकृत (सितम्बर 1998 एवं जनवरी 2000) किया था। हालांकि तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का निस्तारण संभागीय आयुक्त की अधिकारी वाली समिति की स्वीकृति के बाद ही किया जाना था।
अनुबंध का निर्णय	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 132(4) के अनुसार 20 लाख रुपये से अधिक के व्यय वाले कोई भी ठेके नगर निगम द्वारा और पंद्रह लाख रुपये से अधिक के व्यय का कोई भी अनुबंध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके स्वीकृति न दी गई हो। यूपीएम अधिनियम की धारा 96 और 97 के अनुसार, परिषद की ओर से प्रत्येक अनुबंध अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाना है, जो अनुबंधों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है, जिसके लिए या तो बजट प्रावधान मौजूद नहीं है या एनपीपी और एनपी के मामले में कमशः पचास हजार रुपये और पंद्रह हजार रुपये से अधिक का व्यय शामिल है।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 132(3)(ए) के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा दस लाख रुपये से अधिक के व्यय का कोई भी अनुबंध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे महापौर द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो। इसके अलावा, पंद्रह लाख से अधिक लकिन बीस लाख रुपये से कम मूल्य के अनुबंधों के लिए कार्यकारी समिति का अनुमोदन आवश्यक है। हालांकि एमसी को पॉच लाख रुपये से कम के ठेकों को खुद से निष्पादित करने का अधिकार दिया गया है। यूपीएम अधिनियम की धारा 96 के अनुसार, परिषद की दो बैठकों के बीच की अवधि में, अध्यक्ष एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के अनुबंधों को मंजूरी दे सकता है, जिसे अगली आगामी बैठक में परिषद के समक्ष सूचना के लिए रखा जाना है।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 132(7) के अनुसार, राज्य सरकार लागत में वृद्धि या कार्य की अतिआवश्यकता और नगर निगमों की दक्षता को ध्यान में रखते हुए अनुबंध देने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की मौद्रिक सीमाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ हैं। इसके अलावा, यूपीएमसी अधिनियम की धारा 138 के अनुसार, अनुबंध करने से संबंधित प्रक्रिया और तरीके; राज्य सरकार को भी तय करना है।
परिषद द्वारा रिटर्न, रिपोर्ट आदि की मॉग के संबंध में विवादास्पद मामलों का निर्णय	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 122(2) के अनुसार, एमसी रिटर्न, रिपोर्ट इत्यादि जमा करने के लिए परिषद की हर आवश्यकता का पालन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि उसकी राय में तकाल अनुपालन नगर निगम या के हित के लिए प्रतिकूल न हो। जनता ऐसे मामले में, वह इस आशय की लिखित घोषणा करेगा। हालांकि, यूपीएम अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, अधिशासी अधिकारी रिटर्न, रिपोर्ट आदि जमा करने के लिए परिषद की हर मॉग का पालन करने के लिए बाध्य है।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 122(2) के अनुसार, रिटर्न, रिपोर्ट आदि जमा करने के संबंध में विवादास्पद मामलों को परिषद द्वारा महापौर को भेजा जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अध्यक्ष के पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं हैं और यहाँ तक कि यूपीएम अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, अध्यक्ष रिटर्न, रिपोर्ट आदि जमा करने के लिए परिषद की हर मॉग का पालन करने के लिए उत्तरदायी है।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 124(के) के अनुसार, दस्तावेजों या अन्य कागजात के प्रस्तुतीकरण अंतिम निर्णय हेतु महापौर को प्रेषित किया जायेगा संबंधी प्रश्न को सुनिश्चित करने की शक्ति राज्य सरकार को है।
आगणनों का अनुमोदन	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 136 के अनुसार, परिषद के पास बीस लाख रुपये से अधिक के	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 135 (1-ए) के अनुसार, महापौर के पास पचास हजार रुपये से अधिक	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 136 (2)(ए) के अनुसार, राज्य सरकार तीस लाख रुपये से अधिक के

	<p>अनुमानों को स्वीकृत करने की शक्ति है। हालांकि, अनुमानों के अनुमोदन के संबंध में विभिन्न नगरपालिका प्राधिकरणों की शक्तियों के बारे में यूपीएम अधिनियम के प्रावधान मौन हैं और राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत करते हैं।</p>	<p>लेकिन पंद्रह लाख रुप्ये से कम के किसी भी अनुमान को मंजूरी देने की शक्ति है। आगे, यूपीएमसी अधिनियम की धारा 135(2) के अनुसार, कार्यकारी समिति को भी पंद्रह लाख रुप्ये से अधिक लेकिन बीस लाख रुप्ये से कम के अनुमानों को मंजूरी देने का अधिकार है। राज्य सरकार के आदेश (सितम्बर 2014) के अनुसार अनुमानों के अनुमोदन में अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है।</p>	<p>अनुमानों को स्वीकृत करने की शक्ति है। आगे, यूपीएमसी अधिनियम की धारा 136(ए) और यूपीएम अधिनियम की धारा 97(ए) के अनुसार, भारत सरकार या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन द्वारा प्रायोजित शहरी विकास परियोजना के संबंध में प्रत्येक अनुबंध या अनुमान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, यूपीएम अधिनियम की धारा 95 के अनुसार, राज्य सरकार अनुमानों की तैयारी और अनुमोदन से संबंधित मामलों के लिए नियम बनाने की शक्ति है।</p>
बजट को अपनाना	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 146 के अनुसार, परिषद को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले नोआ० द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमानों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अपनाना होता है। निर्धारित अवधि में परिषद द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर, नोआ० द्वारा तैयार किए गए या कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित बजट अनुमानों को उस वर्ष के बजट अनुमानों के रूप में माना जाएगा। यूपीएम अधिनियम की धारा 99 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष परिषद को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों को ऐसी तारीख पर और इस तरह से मंजूरी देनी होती है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियमों के तहत निर्धारित किया गया है।</p>	<p>बजट अनुमानों को तैयार करने या अपनाने में महापौर की कोई भूमिका नहीं होती है। यूपीएम अधिनियम की धारा 92 के अनुसार, यदि अध्यक्ष की राय में, परिषद द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान नगरपालिका के हित के विरुद्ध है, तो वह अनुमोदन के लिए निदेशक (स्थायी) को संदर्भित कर सकता है।</p>	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 146 (4) के अनुसार, परिषद द्वारा एक ऋण नगर निगम के बजट अनुमानों को अपनाना राज्य सरकार द्वारा पुष्टि के अधीन होगा। इसके अलावा, यूपीएम अधिनियम की धारा 102 के अनुसार, राज्य सरकार ऋणग्रस्त नगर पालिकाओं के बजट अनुमान के अनुमोदन के लिए या तो राज्य सरकार से या निर्धारित प्राधिकारी से आदेश जारी करने की शक्ति है।</p>
करों की दरें निर्धारित करना	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, परिषद के पास 15 मार्च को या उससे पहले दरों को निर्धारित करने की शक्ति है, जिस पर अगले आगामी वित्तीय वर्ष में निगम कर लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी कोई शक्तियाँ नगर पालिका परिषदों को प्रदान नहीं की जाती हैं।</p>	<p>परिषद को प्रस्तुत करने के लिए करों की दर के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कार्यकारी समिति को सौंपा गया है। नगरपालिका करों की दर के निर्धारण में अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है।</p>	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 182 और 219 तथा यूपीएम अधिनियम की धारा 130(ए) और 153 के अनुसार, राज्य सरकार निगम/नगरपालिका करों की दर तय करने की शक्ति है और परिषदों को नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कर लगाना है।</p>
करों का अधिरोपण	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 199 और यूपीएम अधिनियम की धारा 131 के अनुसार, परिषद को यूपीएमसी अधिनियम/यूपीएम अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी निगम/नगर निगम करों को लागू करने के लिए एक संकल्प पारित करना होगा।</p>	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 199 के अनुसार, परिषद के संकल्प पर, कार्यकारी समिति को एक प्रस्ताव तैयार करना है (व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को शामिल करना और प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से लगने वाली राशि या कर की दर) और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए नियमों का एक प्रारूप भी तैयार करना है। इसके अलावा, यूपीएमसी अधिनियम की धारा 200 के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो परिषद प्रस्ताव और मसौदा नियमों को संशोधित कर सकती है।</p>	<p>यूपीएमसी अधिनियम की धारा 201 और 202 तथा यूपीएम अधिनियम की धारा 133 और 134 के अनुसार, राज्य सरकार कर लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने, स्वीकृत करने या संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, राज्य सरकार नगरपालिकाओं के लिए कर लगाने के संबंध में राज्य के सभी अधिकार संबंधित संभागीय आयुक्त को प्रत्यायोजित (फरवरी 1998) कर दिए थे।</p>

		यूपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, कर लगाने में अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है तथा प्रस्तावों और मसौदा नियम बनाने की शक्तियों भी परिषद में निहित हैं (यूपीएम अधिनियम की धारा 131)।	
कर के भुगतान से छूट	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 221 और यूपीएम अधिनियम की धारा 157(1) के अनुसार, परिषद किसी भी व्यक्ति को, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए, लगाए गए कर या कर के किसी भी हिस्से के भुगतान से जो उसकी राय में गरीबी के कारण, इनका भुगतान करने में असमर्थ है, छूट दें सकती है और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी छूट को नवीनीकृत कर सकती है।	कोई भूमिका नहीं।	यूपीएमसी अधिनियम की धारा 221 और यूपीएम अधिनियम की धारा 157(3) के अनुसार, राज्य सरकार आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संपत्ति को लगाए गए कर या कर के किसी भी हिस्से के भुगतान से ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, छूट दे सकती है। इसके अलावा, यूपीएमसी अधिनियम की धारा 227 के अनुसार, राज्य सरकार के पास ऐसी शर्तें तय करने की शक्तियों भी हैं जिन पर करों में छूट की अनुमति दी जाएगी।
बैंक खातों का संचालन	कोई भूमिका नहीं।	नगर पालिकाओं के मामले में बैंक खातों के संचालन के लिए अधिशासी अधिकारी के साथ अध्यक्ष संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता है। यद्यपि, नगर निगमों के मामले में, यह अधिकार वित्त अधिकारी के साथ नगर आयुक्त के पास निहित था और बैंक खातों के संचालन में महापौर की कोई भूमिका नहीं थी।	कोई भूमिका नहीं।

परिशिष्ट – VIII

(संदर्भ : प्रस्तर 5.3, पृष्ठ 39)

पैरास्टेटल्स और उनके कार्यों की सूची

क्र.सं.	पैरास्टेटल	कार्य
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	<p>राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत 1975 में उ.प्र. जल निगम की स्थापना की गयी थी। यह राज्य में जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी सुविधाओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नदियों/झीलों के प्रदूषण को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यों की योजना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य में शहरी विकास विभाग द्वारा स्थापित 57 एसटीपी में से अक्टूबर 2019 तक 45 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए भी जिम्मेदार था। बाद में, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इन एसटीपी को उनके सीवरेज नेटवर्क के साथ ओ एंड एम के लिए निजी फर्मों को आउटसोर्स किया गया था। यह जेएनएनयूआरएम, अमृत आदि के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक मुख्य कार्यकारी एजेंसी है।</p> <p>अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित परियोजनाओं के डीपीआर, आकलन और निष्पादन के लिए न केवल अधिकृत किया गया था, बल्कि घरों में पानी की आपूर्ति और सीवेज का कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित परियोजनाओं की तैयारी और निष्पादन में भी शामिल था।</p>
2	जल संस्थान	<p>उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975 भी जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए और इस संबंध में यूएलबी के दायित्वों को पूरा करने के लिए यूएलबी के क्षेत्र में जल संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य सरकार ने बड़े शहरों यथा आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी के लिए पांच जल संस्थानों की स्थापना (जून 1975) संबंधित न.नि. के अधिकार क्षेत्र में की थी और दो जल संस्थान चित्रकूट और झासी क्षेत्र की शहरी और ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए स्वतंत्र रूप में स्थापित किए थे (जून 1975)। हालांकि, पांच बड़े शहरों के जल संस्थानों को भंग कर दिया गया (फरवरी 2010) और संबंधित न.नि. के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत जलकल विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा, शेष दो जल संस्थानों को भी भंग कर दिया गया (मई 2009), तथापि, एमसीए में संशोधन न होने के कारण, ये निकाय स्वतंत्र निकाय के रूप में बने रहे।</p>
3	उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण (यूपीएस जीआरसीए)	<p>भारत सरकार द्वारा सितंबर 2009 में राज्य में गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से दूर करने और संरक्षण के उपाय करने के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण' का गठन किया गया था। प्राधिकरण गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे स्थित राज्य के 26 शहरों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। नमामि गंगे कार्यक्रम यूपी जल निगम के माध्यम से एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य में यूपीएसजीआरसीए द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित सीवरेज परियोजनाओं में 15 वर्षों के लिए परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के प्रावधान भी हैं, इसके बाद इन परियोजनाओं को संबंधित यूएलबी/राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वर्ष 2010–20 की अवधि में सीवरेज एवं ड्रेनेज कार्यों की कुल 38 परियोजना जिनकी स्वीकृत लागत रु06161–13 करोड़ थी, का क्रियान्वयन किया गया था।</p>
4	उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण (यूपीएस जीआरसीए)	<p>नवंबर 1990 में गठित ये राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ–साथ स्लम सुधार/स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है और शहरी गरीबों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान से संबंधित योजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी भी है। शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सूडा के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी संचालित किया जा रहा है।</p>
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	<p>इसे उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से मार्च 1961 में स्थापित किया गया। ये राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अवसरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने और सड़क, सीवरेज, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है।</p>
6	विकास प्राधिकरण	<p>'उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973' के अंतर्गत 24 जिला मुख्यालयों पर स्थापित विकास प्राधिकरण, मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करके शहरी क्षेत्र के विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने तथा सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन उद्देश्यों के लिए, विकास प्राधिकरणों के पास भूमि और अन्य संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान करने, भवन निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन और अन्य कार्यों को करने, पानी और बिजली की आपूर्ति के संबंध में कार्यों को निष्पादित व व्यवस्थित करने, सीवेज का व्यवस्थित करने और अन्य सेवाओं तथा सुविधाओं को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए और आम तौर पर इस तरह के विकास के प्रयोजनों के लिए और प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक या समीचीन कुछ भी करने की शक्ति है।</p> <p>उपरोक्त के अलावा, इन क्षेत्रों के विकास के लिए 'उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986' के अंतर्गत पांच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) भी स्थापित किए गए हैं। साडा के मुख्य कार्य विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना य भूमि और अन्य संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निपटान करनाय एमसीए के अंतर्गत निर्धारित तरीके से, यदि राज्य ऐसा चाहता है, तो बुनियादी सुविधाओं और विशेष क्षेत्र के शासन के कार्यों को निष्पादित करना है।</p>

7	विनियमित प्राधिकरण क्षेत्र	भवन संचालन के नियमन किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश (भवन संचालन के विनियम) अधिनियम, 1958' को अधिनियमित किया। प्रावधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए समुचित योजना के अनुसार किसी भी क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके परिणामस्वरूप, विनियमित क्षेत्र के लिए एमसीए के अध्याय XIII और एमए की धारा 178 से 186, 203 से 210 और 222 का संचालन निलंबित रहेगा। मास्टर प्लान तैयार करने और भवनों के निर्माण की अनुमति देने के लिए विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारी जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार ने अब तक राज्य में 72 विनियमित क्षेत्र घोषित किए हैं।
8	यूपी आवास एवं विकास परिषद	राज्य सरकार द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में राज्य में आवास एवं विकास बोर्ड की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 अधिनियमित किया गया (फरवरी 1966)। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में आवास और सुधार योजनाओं/परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना है। बोर्ड को उनके द्वारा विकसित क्षेत्रों में भवन संचालन, मलिन बस्तियों के सुधार और सड़क, स्वच्छता, जल आपूर्ति आदि जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी अधिकार प्रदत्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य के विभिन्न नगरों एवं कस्बों के लिए आवास एवं विकास परिषद की स्थापना की गयी है तथा उक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 130 नगरों/कस्बों को अपने दायरे में लाया गया है।
9	सिटी बस परिवहन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)।	राज्य सरकार द्वारा राज्य के सात बड़े शहरों में सिटी बस सेवाओं के संचालन के लिए छ: एसपीवी की स्थापना (अप्रैल 2009) की गयी। ये एसपीवी शहरी परिवहन निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत हैं और मार्गों, किराया आदि को तय करने के लिए जिम्मेदार हैं।
10	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	एक भारत सरकार कंपनी (दिसंबर 2009 में राज्य के स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड और पावरग्रिड के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित), जिसे नगर निगमों/नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के प्रतिस्थापन के लिए स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित (अगस्त 2017) किया गया है। ईईएसएल इन श.स्था. निकायों की पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलने के बाद दिसंबर 2021 तक राज्य के 15 न.नि., 32 न.पा.प. और सात न.प. में स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा था।
11	उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभियान (यूपी नेडा)	नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के विभाग के तहत अप्रैल 1983 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजनान्तर्गत सोलर लाइटों की स्थापना के माध्यम से स्ट्रीट लाइट सुविधा प्रदान करने हेतु यूपीनेडा को एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित (मार्च 2016) किया गया था। तदनुसार, यूपी.एन.ई.डी. शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग से संबंधित परियोजनाओं की कार्य योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन में संलग्न है।
12	क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस), लखनऊ	शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था। आरसीयूईएस की प्रमुख गतिविधियों में शहरी स्थानीय निकाय की मानव संसाधन का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान, परामर्श सेवाएं और राज्य में शहरी क्षेत्र से संबंधित सूचना का प्रसार शामिल है। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में आरसीयूईएस को नामांकित (जुलाई 2015) किया गया था। और निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को, अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सभी के लिए आवास आदि जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और नियोजन हेतु नामांकित किया गया था।

परिशिष्ट - IX

(संदर्भ : प्रस्तर 5.3.4, पृष्ठ 44)

**स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015–20 की अवधि में नमूना जांच किए गए नगर निगमों में
स्वीकृत/कार्यान्वित परियोजनाओं का विवरण**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (रुकरोड में)
न. नि. लखनऊ		
स्वच्छता संबंधी परियोजनाएँ		
1	स्वच्छता – कैसरबाग में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय	0.44
2	स्मार्ट कूड़ेदान (100 लीटर 500 नग)	0.28
3	स्मार्ट डस्टबिन (1100 लीटर 100 नग)	0.15
4	रिफ्यूज कॉम्पेक्टर (16 नग)	1.49
5	पोर्टेबल कॉम्पेक्टर 16 घनमीटी – (20 नग) की आपूर्ति स्थापना	3.26
6	सड़क की सफाई और स्वीपिंग मशीन	3.94
7	09 स्थान में ईपीसी मोड में स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय	1.19
8	सीरेज – नाला के साथ सीवर लाइन और नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	105.20
9	नाला को ढंकना, जल निकासी को मजबूत करना और नेटवर्क का विस्तार– जल निकासी	58.72
10	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एनएफसीधक्यूआर कोड, सेंसर आधारित डिब्बे)	3.80
जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाएँ		
1	हाथी पार्क में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (1–5 एमएलडी)	7.10
2	स्मार्ट ग्रिड– अपशिष्ट जल उपचार और पुनरु उपयोग अवंती बाई (10 के.एल.डी.) और बलरामपुर अस्पताल (760 के.एल.डी.)	7.01
न. नि. मुरादाबाद		
स्वच्छता से संबंधित परियोजनाएँ		
1	स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय की डिजाइन आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और संचालन और रखरखाव	उ. न.
जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाएँ		
1	सुरक्षित पेयजल के लिए सोलर आधारित वाटर एटीएम की स्थापना	उ. न.
न. नि. झांसी		
स्वच्छता से संबंधित परियोजनाएँ		
1	सात गुलाबी शौचालयों का निर्माण और एक वर्ष का ओ एंड एम	2.71
2	10 वाटर एटीएम	2.19
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन–वाहनों और उपकरणों की खरीद	244.51
4	झांसी शहर के क्षेत्र के लिए मल कीचड उपचार संयंत्र या सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली	22.19
5	झांसी के शिवपुरी बाई पास के पास एसटीपी प्लांट	98.14
6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन– झांसी शहर में घर–घर जाकर नगर निगम के कचरे का संग्रहण एवं परिवहन।	43.75
जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाएँ		
1	24x7 जल आपूर्ति प्रणाली के लिए वितरण अवसंरचना	219
2	100 सरकारी ईमारत में वर्षा जल संचयन	9.19
3	आसरा आवास योजना और आवास योजना संबंधी परियोजनाएं	219.51
4	भवन निर्माण कार्य एवं जलापूर्ति से संबंधित अन्य सिविल कार्य	209.51

(स्रोत: स्मार्ट सिटी वेबसाइट : <https://smartcities-gov-in/cities&profiles>)

परिशिष्ट – X

(संदर्भ : प्रस्तर 5.4, पृष्ठ 45)

वर्ष 2018–19 की अवधि में नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति सेवाओं पर सेवा स्तर बेचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति।

मानक	जल आपूर्ति संकेतक																	
	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज		प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति		जल कनेक्शन की मीटरिंग की सीमा		गैर-राजस्व जल की मात्रा		जल आपूर्ति की गई		जल आपूर्ति की गुणवत्ता		ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता		जल आपूर्ति सेवा में वसूली लागत			
	100%		135 एलपीसीडी		100%		20%		24 घंटे		100%		80%		100%			
इकाइयों का नाम	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)		
न.नि. लखनऊ	68.1	72	162.7	135	0	0	26.3	25	6.0	7	100.5	100	98.7	80	96.0	101	77.7	82
न.नि. झांसी	40.5	42	108.4	114	30.27	32	25.6	24	2.0	3	0.0	0	98.1	80	67.2	71	58.9	62
न.नि. मुरादाबाद	89.1	94	153.1	135	0	0	33.5	32	14.0	15	100.0	100	98.2	80	0.0	0	0.0	0
न.नि. मथुरा	93.4	98	82.9	87	0	0	13.8	14	15.0	16	100.0	100	97.2	80	11.6	12	92.3	92
न.पा.प. मऊरानीपुर	28.9	30	30.4	32	42.20	44	14.4	14	5.0	6	100.0	100	95.9	80	38.0	40	29.7	31
न.पा.प. गुरसराय	19.0	20	80.7	85	0.00	0	2.0	2	1.3	2.3	97.4	102	80.0	80	57.0	60	57.2	60
न.पा.प. चिरांग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पा.प. रामपुर	86.2	91	58.5	61	0	0	68.3	65	11.0	12	96.4	101	87.2	80	11.9	13	0.8	1
न.पा.प. बिलासपुर	70.2	74	109.0	114	0	0	28.0	27	8.0	9	100.0	100	100.0	80	45.7	48	52.5	55
न.पा.प. स्वार	16.2	17	59.3	62	0	0	10.8	11	8.0	9	100.0	100	100.0	80	27.8	29	4.5	5
न.पा.प. बलिया	29.9	31	79.3	83	0	0	18.2	18	16.0	17	95.1	100	98.9	80	10.6	11	90.1	90
न.पा.प. रसड़ा	47.2	50	90.3	95	0	0	22.0	21	9.0	10	100.0	100	84.5	80	18.2	19	50.6	53
न.पा.प. वाकुरद्वारा	24.1	25	85.2	89	0	0	0.0	0	8.0	9	100.0	100	100.0	80	60.3	63	52.8	55
न.पा.प.बिलारी	58.2	61	135.0	135	0	0	3.7	4	11.0	12	100.0	100	80.0	80	33.1	35	111.9	112
न.पा.प. टूंडला	64.6	68	111.9	118	0	0	57.6	55	4.0	5	100.0	100	97.1	80	8.6	9	70.6	74
न.पा.प. सिरसागंज	53.3	56	99.8	105	0	0	21.0	20	5.3	6.3	100.0	100	100.0	80	6.1	6	40.0	42
न.पा.प. ललितपुर	44.5	47	114.1	120	0	0	17.9	18	3.0	4	100.0	100	97.3	80	46.5	49	55.9	59
न.पा.प. बेल्हा प्रतापगढ़	67.9	0	139.23	0	0	0	10.91	0	10	0	100	0	100	0	62.7	0	98.3	98
न.पा.प. कोसी कलां	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पा.प. अमरोहा	5.0	5	12.8	13	0	0	4.2	4	6.0	7	90.0	95	92.6	80	17.8	19	79.9	84
न.पा.प. बछरांयू	48.4	51	98.7	104	0	0	16.0	16	6.0	7	100.0	100	100.0	80	41.7	44	72.8	76
न.पा.प. लखीमपुर	74.5	78	149.3	135	18.90	20	17.2	17	16.0	17	100.0	100	100.0	80	93.2	98	90.0	90

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

न.पा.प. पलिया कलां	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पा.प. भद्रोही	57.3	60	90.1	95	0	0	16.8	17	11.0	12	100.0	100	100.0	80	27.4	29	89.1	94
न.पा.प. मिजापुर	61.9	65	135.2	135	0	0	16.2	16	8.0	9	100.0	100	87.3	80	36.1	38	82.0	86
न.पा.प. बकशी का तालाब	0.0	0	77.8	82	0	0	28.0	27	4.0	5	100.0	100	84.4	80	42.7	45	76.4	80
न.पं. कठेरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. रानीपुर	38.2	40	96.8	102	0.25	0	14.4	14	5.0	6	100.0	100	100.0	80	38.0	40	29.7	31
न.पं. मनियर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. बैरिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. मसवासी	75.6	79	108.7	114	0	0	88.2	84	12.0	13	100.0	100	100.0	80	44.0	46	57.9	61
न.पं. शाहाबाद	74.1	78	85.9	90	0	0	22.1	21	8.0	9	100.0	100	62.5	66	16.0	17	41.4	43
न.पं. उमरी कलां	30.1	32	168.6	135	0	0	15.9	16	9.0	10	100.0	100	100.0	80	19.6	21	65.7	69
न.पं. पाकबड़ा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. फरिहा	74.3	78	182.2	135	0	0	29.7	28	6.0	7	100.0	100	97.2	80	8.1	8	104.8	105
न.पं. एका	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. पाली	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. तालबेहटा	53.4	56	135.9	135	0.11	0	0.2	0	2.0	3	100.0	100	90.7	80	45.7	48	68.6	72
न.पं. कुंडा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. कटरा मेदनीगंज	36.0	38	132.4	135	0	0	12.0	12	6.0	7	100.0	100	98.6	80	10.1	11	0.0	0
न.पं. इटौंजा	100	100	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. गोकुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
न.पं. छाता	83.0	87	132.6	135	0	0	16.7	17	8.0	9	96.0	101	100.0	80	3.9	4	96.1	96
न.पं. जोया	60.6	64	137.2	135	0	0	47.4	45	5.0	6	0.0	0	1.7	2	14.3	15	91.2	91
न.पं. नौगवां सादात	22.5	24	43.7	46	0	0	20.5	20	3.0	4	95.2	100	95.5	80	18.6	19	9.5	10
न.पं. खीरी	12.9	14	13.2	14	0	0	17.6	18	4.1	5.13	0.0	0	78.8	80	20.7	22	1.9	2
न.पं. ओएलढकवा	13.6	14	104.9	110	0	0	1.7	2	10.0	11	92.5	97	100.0	80	3.0	3	29.0	30
न.पं. झानपुर	106.9	100	105.6	111	0	0	7.3	7	9.0	10	100.0	100	100.0	80	77.8	82	96.2	96
न.पं. खमरिया	70.7	उ.न.	145.94	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.								
न.पं. कछवा	67.8	71	93.2	98	0	0	40.3	38	8.0	9	100.0	100	78.7	80	13.8	15	31.1	33

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट – XI

(संदर्भ : प्रस्तर 5.4, पृष्ठ 47)

वर्ष 2018–19 की अवधि में नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर बैंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति।

	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर कवरेज		नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह की क्षमता		नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पुथकरण की सीमा		नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की संगृहीत मात्रा		नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्रा		ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता		एसडब्ल्यूएम सेवाओं में लागत वसूली की मात्रा		दक्षता एसडब्ल्यूएम शुल्क के संग्रह में			
मानक	100%		100%		100%		80%		100%		80%		100%		100%		90%	
इकाईयों का नाम	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)	वर्तमान (2018-19)	लक्ष्य (2019-20)
न.नि. लखनऊ	54.5	60	97.4	100	78.6	83	62.0	65	41.4	43	99.8	80	91.3	96	92.9	93		
न.नि. झांसी	99.5	109	85.0	93	91.4	96	7.0	7	35.2	37	92.4	80	0	0	0	0		
न.नि. मुरादाबाद	100.0	110	100.0	100	86.9	91	81.5	80	6.7	7	99.1	80	0.2	0	79.2	83		
न.नि. मथुरा	66.0	73	25.0	28	38.9	41	32.89	80	100.0	100	92.5	80	0	0	0	0		
न.पा.प. मऊरानीपुर	91.6	101	130.1	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. गुरसराय	99.1	109	249.5	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. विरगांव	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पा.प. रामपुर	100.0	100	86.5	95	65.2	68	0.0	0	100.0	100	79.0	80	0.0	0	0.0	0		
न.पा.प. बिलासपुर	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. स्वार	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	88.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. बलिया	88.5	97	98.8	100	0	0	0	0	32.4	34	83.3	80	0	0	0	0		
न.पा.प. रसड़ा	73.7	81	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. ठाकुरद्वारा	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	93.1	80	0	0	0	0		
न.पा.प. बिलारी	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	80.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. दूंडला	97.5	107	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. सिरसागंज	99.0	109	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	2.9	3	76.0	80		
न.पा.प. ललितपुर	88.6	97	52.0	57	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. बेल्हा प्रतापगढ़	91.6	0	97.3	0	0	0	0	0	0	0	96.7		0	0	0	0		
न.पा.प. कोसी कलां	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पा.प. अमरोहा	85.2	94	100.0	100	0	0	0	0	0	0	96.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. बछरायूं	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0		
न.पा.प. लखीमपुर	62.9	69	100.0	100	0	0	0	0	0	0	93.5	80	0	0	0	0		
न.पा.प. पलिया कलां	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

न.पा.प. भद्रोही	96.5	106	98.3	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पा.प. मिर्जापुर	86.8	96	100.0	100	0	0	0	0	0	0	80.0	80	0	0	0	0
न.पा.प. बकरी का तालाब	97.2	107	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. कठेरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. रानीपुर	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. मनियर	97.0	107	52.1	57	0	0	0	0	0	0	98.4	80	0	0	0	0
न.पं. बैरिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. मसवासी	99.4	109	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	100	100.0	80	0	0
न.पं. शाहाबाद	94.9	104	100.0	100	0	0	0	0	0.0	0	99.2	80	0	0	0	0
न.पं. उमरी कलां	99.9	110	78.8	87	0	0	0	0	73.7	77	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. पाकबड़ा	100.0	100	100.0	100	40.0	100	80	80	0	100	80.0	80	0	100	0	90
न.पं. फरिहा	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. एका	57.1	63	0.0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. पाली	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. तालबेहटा	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	91.3	80	0	0	0	0
न.पं. कुंडा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. कटरा मेदनीगंज	94.2	104	100.0	100	0	0	0	0	0	0	86.4	80	0	0	0	0
न.पं. इटाँजा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. गोकुल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. छाता	100.0	100	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. जोया	99.3	109	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. नौगवां सादात	71.3	78	97.7	100	23.8	25	0.2	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. खीरी	100.0	100	97.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. ओएलढकवा	98.3	108	52.8	58	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. ज्ञानपुर	28.0	31	100.0	100	0	0	0	0	0	0	100.0	80	0	0	0	0
न.पं. खसरिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
न.पं. कछवा	93.5	103	100.0	100	77.9	82	0	0	35.8	38	74.4	78	0	0	0	0

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट – XII
 (संदर्भ: प्रस्तर 6.2, पृष्ठ 53)

नमूना जांच की गई नगर पंचायतों में मार्च 2020 तक मानव संसाधन की स्थिति

क्र. सं.	इकाई का नाम	मानव संसाधन				
		स्वीकृत	रिक्त	रिक्त (प्रतिशत)	संविदा	प्रति 1000 जनसंख्या पर कर्मचारियों की संख्या
1.	बकशी का तालाब, लखनऊ	2	0	0.00	0	0.04
2.	इटाँजा, लखनऊ	4	0	0.00	12	2.18
3.	कठेरा, झांसी	8	3	37.50	12	2.26
4.	रानीपुर, झांसी	31	13	41.94	31	2.70
5.	मनियर, बलिया	27	19	70.37	21	1.46
6.	बैरिया, बलिया	2	1	50.00	0	0.04
7.	मसवासी, रामपुर	7	4	57.14	37	2.21
8.	शाहाबाद, रामपुर	36	8	22.22	63	2.38
9.	उमरी कलां, मुरादाबाद	19	0	0.00	14	1.85
10.	पाक बड़ा, मुरादाबाद	2	1	50.00	0	0.03
11.	फरिहा, फिरोजाबाद	16	3	18.75	3	2.32
12.	एका, फिरोजाबाद	1	1	100.00	0	0.00
13.	पाली, ललितपुर	8	3	37.50	17	2.37
14.	तालबेहटा, ललितपुर	16	14	87.50	31	2.33
15.	कुंडा, प्रतापगढ़	35	9	25.71	13	1.37
16.	कटरा भेदनीगंज, प्रतापगढ़	7	1	14.29	4	1.28
17.	गोकुल, मथुरा	14	6	42.86	4	2.44
18.	छाता, मथुरा	38	2	5.26	17	2.25
19.	जोया, अमरोहा	17	0	0.00	20	2.01
20.	नौगांव सादात, अमरोहा	15	0	0.00	13	0.85
21.	ओयलडकवा, लखीमपुर खीरी	23	15	65.22	10	1.38
22.	खीरी, लखीमपुर खीरी	22	4	18.18	27	1.34
23.	झानपुर, भदोही	22	7	31.82	11	2.03
24.	खमरिया, भदोही	13	7	53.85	16	0.84
25.	कछवा, मिर्जापुर	23	14	60.87	17	1.63
योग		408	135	33.09	393	1.39

(स्रोत: नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट – XIII
 (संदर्भ : प्रस्तर 6.2.1, पृष्ठ 54)

नमूना जांच किए गए नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में
 मार्च 2020 तक तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति

इकाई का नाम	मुख्य अभियंता (सिविल)			अधिशासी अभियंता (सिविल)			सहायक अभियंता (सिविल)			अवर अभियंता (सिविल)			योग	
	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.
नगर निगम														
लखनऊ	1	2	-1	5	3	2	8	9	-1	18	23	-5	32	37
झांसी	1	1	0	3	0	3	4	3	1	9	5	4	17	9
मथुरा- वृन्दावन	1	1	0	1	1	0	2	2	0	6	5	1	10	9
मुरादाबाद	1	1	0	1	1	0	3	1	2	8	7	1	13	10
योग (नगर निगम)	4	5	-1	10	5	5	17	15	2	41	40	1	72	65
नगर पालिका परिषद्														
मऊरानीपुर, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
गुरसराय, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चिरगांव, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
रामपुर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0
स्वार, रामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलासपुर, रामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बलिया	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	3	1
रसड़ा, बलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलारी, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
टूडला, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
सिरसागंज, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ललितपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1
बेल्हा प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
कोसी कलां, मथुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	1
अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
बछरांयू अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लखीमपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
पलिया कलां, लखीमपुर खीरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भदोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	3
योग	0	0	0	1	0	1	4	1	3	16	10	6	21	11

(स्रोत: नमूना जांच की गई स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट – XIV

(संदर्भ : प्रस्तर 6.2.2, पृष्ठ 54)

नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व सेवाओं के अन्तर्गत मार्च 2020 तक स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मुख्य कर/कर निर्धारण अधिकारी			कर/राजस्व सहायक अधीक्षक			कर निर्धारण अधिकारी			कर/राजस्व निरीक्षक			कर समाहर्ता			नायब मोहर्रिर			योग		
	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	
नगर निगम																					
लखनऊ	1	2	-1	12	23	-11	4	6	-2	85	46	39	54	29	25	65	2	63	221	108	
झांसी	1	1	0	3	4	-1	1	1	0	9	2	7	9	2	7	16	4	12	39	14	
मथुरा- वृन्दावन	1	0	1	2	1	1	2	0	2	5	5	0	23	19	4	6	6	0	39	31	
मुरादाबाद	1	1	0	4	4	0	1	0	1	8	13	-5	13	9	4	3	1	2	30	28	
योग (नगर निगम)	4	4	0	21	32	-11	8	7	1	107	66	41	99	59	40	90	13	77	329	181	
नगर पालिका परिषद्																					
मऊरानीपुर, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	5	15	4	11	21	4	
गुरसराय, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	2	5	8	3	
चिरगांव, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	5	5	
रामपुर	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	6	2	
स्वार, रामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	4	
बिलासपुर, रामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	8	4	
बलिया	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	6	1	9	7	2	17	13	
रसड़ा, बलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	3	1	
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
बिलारी, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
टूंडला, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	
सिरसागंज, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	-1	1	1	0	3	3	
ललितपुर	0	0	0	2	1	1	1	0	1	4	2	2	0	0	0	7	5	2	14	9	
बेल्हा प्रतापगढ़	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	-1	4	2	2	0	0	0	6	5	
कोसी कलां, मथुरा	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2	24	1	23	30	4	
अमरोहा	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	2	4	2	1	1	7	2	5	17	5	
बछरायूँ, अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
लखीमपुर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	6	3	3	0	0	0	8	4	
पलिया कलां, लखीमपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
खीरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	

भदोही	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	3	2	1	0	0	0	6	5
मिर्जापुर	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5	3	2	8	8	0	0	0	0	15	13
योग (नगर पालिका परिषद)	0	0	0	10	4	6	4	1	3	25	19	6	46	30	16	89	37	52	174	91
नगर पंचायत																				
बकरी का तालाब, लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
झटौंजा, लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-2	0	0	0	1	3
कठेरा, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रानीपुर, झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मनियर, बलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बैरिया, बलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मसवासी, रामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शाहाबाद, रामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उमरी कलां, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-2	0	0	0	3	5
पाक बडा, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
फरिहा, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एका, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाली, ललितपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तालबेहटा, ललितपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
कुंडा, प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोकुल, मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
छाता, मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
जोया, अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
नौगंवां सादात, अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
ओएलदकवा, लखीमपुर खीरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
खीरी, लखीमपुर खीरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झानपुर, भदोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	3	1
खमरिया, भदोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
कछवा, मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	-1	1	2
योग (नगर पंचायत)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13	7	0	1	-1	20	14

(प्रोत: नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट – XV

(संदर्भ : प्रस्तर 6.2.3, पृष्ठ 55)

नमूना—जांच शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता गतिविधियों के लिए
मार्च 2020 तक कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	फूड एंड सेनिटेशन इंस्पेक्टर			सफाई नायक/ हवलदार			सफाई कर्मचारी			जोनल सेनेटरी आफिसर			योग	
	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.	कमी	स्वी.	तै.
नगर निगम														
लखनऊ	41	42	-1	95	53	42	5196	3293	1903	3	3	0	5335	3391
झांसी	12	9	3	27	10	17	1165	823	342	1	1	0	1205	843
मथुरा—वृन्दावन	9	11	-2	28	19	9	1231	657	574	2	1	1	1270	688
मुरादाबाद	3	1	2	27	11	16	2417	917	1500	2	1	1	2449	930
योग	65	63	2	177	93	84	10009	5690	4319	8	6	2	10259	5852
नगर पालिका परिषद														
मऊरानीपुर, झांसी	1	1	0	3	0	3	146	102	44	0	0	0	150	103
गुरसराय, झांसी	0	0	0	1	0	1	63	48	15	0	0	0	64	48
चिरगांव, झांसी	0	0	0	3	2	1	37	28	9	0	0	0	40	30
रामपुर	7	4	3	31	27	4	886	347	539	0	0	0	924	378
स्वार, रामपुर	0	0	0	3	0	3	51	32	19	0	0	0	54	32
बिलासपुर, रामपुर	0	0	0	0	0	0	114	78	36	0	0	0	114	78
बलिया	2	0	2	8	12	-4	244	209	35	0	0	0	254	221
रसड़ा, बलिया	0	0	0	2	3	-1	100	71	29	0	0	0	102	74
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	0	0	0	2	2	0	113	90	23	0	0	0	115	92
बिलारी, मुरादाबाद	1	1	0	3	3	0	94	62	32	0	0	0	98	66
टूँडला, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	146	100	46	0	0	0	146	100
सिरसागंज, फिरोजाबाद	1	1	0	2	2	0	81	64	17	0	0	0	84	67
ललितपुर	2	2	0	9	5	4	348	283	65	0	0	0	359	290
बेल्हा प्रतापगढ़	1	1	0	7	2	5	227	157	70	0	0	0	235	160
कोसी कलां, मथुरा	0	0	0	5	4	1	123	101	22	0	0	0	128	105
अमरोहा	3	3	0	9	7	2	502	349	153	0	0	0	514	359
बछरायूं अमरोहा	0	0	0	1	1	0	56	40	16	0	0	0	57	41
लखीमपुर	2	2	0	7	6	1	401	249	152	0	0	0	410	257
पलिया कलां, लखीमपुर खीरी	0	0	0	0	0	0	113	44	69	0	0	0	113	44
भदोही	1	0	1	3	3	0	220	148	72	0	0	0	224	151
मिर्जापुर	5	2	3	21	18	3	914	213	701	0	0	0	940	233
योग	26	17	9	120	97	23	4979	2815	2164	0	0	0	5125	2929
नगर पंचायत														
बकरी का तालाब, लखनऊ	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
इटौंजा, लखनऊ	0	0	0	0	0	0	19	17	2	0	0	0	19	17
रानीपुर, झांसी	0	0	0	0	0	0	57	40	17	0	0	0	57	40
करेगा, झांसी	0	0	0	0	0	0	20	14	6	0	0	0	20	14
शाहाबाद, रामपुर	0	0	0	1	1	0	98	78	20	0	0	0	99	79
मसवासी, रामपुर	0	0	0	0	0	0	48	42	6	0	0	0	48	42
बैरिया, बलिया	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	4
मनियर, बलिया	0	0	0	0	1	-1	57	24	33	0	0	0	57	25
उमरी कलां, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	49	22	27	0	0	0	49	22
पाकबड़ा, मुरादाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

फरिहा, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	20	17	3	0	0	0	20	17
एका, फिरोजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाली, ललितपुर	0	0	0	0	0	0	26	20	6	0	0	0	26	20
तालबेहटा, ललितपुर	0	0	0	0	0	0	49	31	18	0	0	0	49	31
कुँडा, प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	72	18	54	0	0	0	72	18
कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़	0	0	0	0	0	0	24	8	16	0	0	0	24	8
गोकुल, मथुरा	0	0	0	1	1	0	12	8	4	0	0	0	13	9
छाता, मथुरा	0	0	0	1	1	0	40	36	4	0	0	0	41	37
जोया, अमरोहा	0	0	0	1	2	-1	46	29	17	0	0	0	47	31
नौगवां सादात, अमरोहा	0	0	0	0	0	0	83	24	59	0	0	0	83	24
ओयलडकवा, लखीमपुर खीरी	0	0	0	1	0	1	35	12	23	0	0	0	36	12
खीरी, लखीमपुर खीरी	0	0	0	1	0	1	75	34	41	0	0	0	76	34
ज्ञानपुर, भदोही	0	0	0	0	0	0	38	15	23	0	0	0	38	15
खमरिया, भदोही	0	0	0	0	0	0	72	20	52	0	0	0	72	20
कछवा, मिर्जापुर	0	0	0	2	2	0	47	20	27	0	0	0	49	22
योग	0	0	0	8	12	-4	992	529	463	0	0	0	1,000	541

(स्रोत: नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट – XVI

(संदर्भ : प्रस्तर 6.2.3, पृष्ठ 56)

**नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में
सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का विवरण**

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या	मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता	सफाई कर्मियों का विवरण				स्वीकृत पद की तुलना में अधिक सफाई कर्मचारी (प्रतिशत)	मानदंड की तुलना में अधिक सफाई कर्मचारी (प्रतिशत)	
			स्वीकृत पद	तैनाती	आउटसोर्स	योग (तैनाती आउटसोर्स)			
नगर निगम									
लखनऊ	2817105	7888	5196	3293	6099	9392	80.75	19.07	
झांसी	549391	1538	1165	823	582	1405	20.60	-8.67	
मथुरा— वृन्दावन	454937	1274	1231	657	875	1532	24.45	20.27	
मुरादाबाद	889810	2491	2417	917	1334	2251	-6.87	-9.65	
योग (नगर निगम)		13191	10009	5690	8890	14580	45.67	10.53	
नगर पालिका परिषद्									
मऊरानीपुर, झांसी	58229	163	146	102	140	242	65.75	48.43	
गुरसराय, झांसी	26869	75	63	48	69	117	85.71	55.52	
चिरगांव, झांसी	16724	47	37	28	31	59	59.46	26.00	
रामपुर	318356	891	886	347	500	847	-4.40	-4.98	
स्वार, रामपुर	32158	90	51	32	65	97	90.20	7.73	
बिलासपुर, रामपुर	43908	123	114	78	82	160	40.35	30.14	
बलिया	104424	292	244	209	235	444	81.97	51.85	
रसड़ा, बलिया	32612	91	100	71	39	110	10.00	20.46	
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	44069	123	113	90	30	120	6.19	-2.75	
बिलारी, मुरादाबाद	37537	105	94	62	50	112	19.15	6.56	
टूंडला, फिरोजाबाद	50386	141	146	100	150	250	71.23	77.20	
सिरसांगंज, फिरोजाबाद	32152	90	81	64	65	129	59.26	43.29	
ललितपुर	138902	389	348	283	260	543	56.03	39.62	
बेल्हा प्रतापगढ़	76750	215	227	157	175	332	46.26	54.49	
कोसी कलां, मथुरा	53307	149	123	101	90	191	55.28	27.96	
अमरोहा	201971	566	502	349	150	499	-0.60	-11.76	
बछरायूं अमरोहा	31135	87	56	40	41	81	44.64	-7.09	
लखीमपुर	151993	426	401	249	325	574	43.14	34.87	
पलिया कलां, लखीमपुर खीरी	41253	116	113	44	125	169	49.56	46.31	
भदोही	94620	265	220	148	61	209	-5.00	-21.11	
मिर्जापुर	234170	656	914	213	526	739	-19.15	12.71	
योग (नगर पालिका परिषद्)		5100	4979	2815	3209	6024	20.99	18.11	
नगर पंचायत									
बकरी का तालाब, लखनऊ	49166	138	5	0	168	168	3260.00	22.04	
इटोंजा, लखनऊ	7352	21	19	17	15	32	68.42	55.45	
रानीपुर, झांसी	18132	51	57	40	0	40	-29.82	-21.21	
कठेरा, झांसी	7533	21	20	14	12	26	30.00	23.27	
शाहबाद, रामपुर	38276	107	98	78	22	100	2.04	-6.69	
मसवारी, रामपुर	18061	51	48	42	39	81	68.75	60.17	
बैरिया, बलिया	28343	79	0	0	70	70	-	-11.79	
मनियर, बलिया	19890	56	57	24	32	56	-1.75	0.55	

उमरी कलां, मुरादाबाद	17821	50	49	22	35	57	16.33	14.23
पाक बड़ा, मुरादाबाद	36728	103	0	0	92	92	-	-10.54
फरिहा, फिरोजाबाद	6895	19	20	17	18	35	75.00	81.29
एका, फिरोजाबाद	24523	69	0	0	85	85	-	23.79
पाली, ललितपुर	9267	26	26	20	6	26	0.00	0.20
तालबेहट, ललितपुर	14177	40	49	31	16	47	-4.08	18.40
कुँडा, प्रतापगढ़	28554	80	72	18	56	74	2.78	-7.44
कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़	7815	22	24	8	19	27	12.50	23.39
गोकुल, मथुरा	4916	14	12	8	15	23	91.67	67.09
छाता, मथुरा	23537	66	40	36	48	84	110.00	27.46
जोया, अमरोहा	18377	51	46	29	90	119	158.70	131.27
नौगवां सादात, अमरोहा	32954	92	83	24	79	103	24.10	11.63
ओयलढकवा, लखीमपुर खीरी	13012	36	35	12	21	33	-5.71	-9.42
खीरी, लखीमपुर खीरी	33524	94	75	34	81	115	53.33	22.51
ज्ञानपुर, भदोही	12815	36	38	15	47	62	63.16	72.79
खमरिया, भदोही	26329	74	72	20	32	52	-27.78	-29.46
कछवा, मिर्जापुर	15962	45	47	20	24	44	-6.38	-1.55
योग (नगर पंचायत)		1441	992	529	1122	1651	66.43	14.73
महायोग		19732	15980	9034	13221	22255	39.27	12.79

(स्रोत: कार्यविवरण 2019–20 और नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट – XVII

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2020 तक जलापूर्ति सेवाओं के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता की स्थिति

छाता, मथुरा	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
जोया, अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
नौगवां सादात, अमरोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ओयलढकवा, लखीमपुर खीरी	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
खीरी, लखीमपुर खीरी	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
झानपुर, भदोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4
खमरिया, भदोही	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
कछवा, मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
योग	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	8	19	-11	1	5	-4	0	19	34							

(झोत: नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट – XVIII

(संदर्भ: प्रस्तर 7.1.1.2, पृष्ठ 73)

निकायों के विधिवत गठन के बिना शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान का अनधिकृत हस्तांतरण

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	शहरी स्थानीय निकायों के गठित होने की अधिसूचना	अवमुक्त तिथि	धनराशि (₹ लाख में)
1	नगर पालिका परिषद, भरवारी, कौशाम्बी	1.09.17	8.03.18	31.47
			13.03.18	2.46
2	नगर पंचायत, बनकटी, बस्ती		18.10.17	46.79
3	नगर पंचायत, चिरैयाकोट, मऊ	30.06.16	18.10.17	47.29
4	नगर पंचायत, मधुबन मऊ	19.09.16	18.10.17	42.87
5	नगर पंचायत एका, फिरोजाबाद	30.06.16	18.10.17	46.41
6	नगर पंचायत, लालगंज, प्रतापगढ़	30.06.16	18.10.17	53.67
7	नगर पंचायत, रानीगंज, प्रतापगढ़	03.01.17	18.10.17	35.73
8	नगर पंचायत, बैरिया, बलिया	30.06.16	18.10.17	57.33
9	नगर पंचायत, हर्रा, मेरठ	29.04.15	18.10.17	39.07
10	नगर पंचायत, खिवाई, मेरठ	29.04.15	18.10.17	34.68
11	नगर पंचायत, शाहजहांपुर, मेरठ	29.12.16	18.10.17	27.87
12	नगर पंचायत, अगवानपुर, मुरादाबाद	29.12.16	18.10.17	40.04
13	नगर पंचायत, पाकबड़ा, मुरादाबाद	02.01.17	18.10.17	62.13
14	नगर पंचायत, ढकिया, मुरादाबाद	03.01.17	18.10.17	28.96
15	नगर पंचायत, नसीराबाद, रायबरेली	29.12.16	18.10.17	59.26
16	नगर पंचायत, सोनौली, महाराजगंज	28.12.16	18.10.17	36.46
17	नगर पंचायत, बरियारपुर, देवरिया	23.11.16	18.10.17	33.34
18	नगर पंचायत, बेलहरा, बाराबंकी	15.09.16	18.10.17	37.41
19	नगर पंचायत, परसपुर, गोडा		18.10.17	46.25
योग				809.49

परिशिष्ट – XIX

(संदर्भ: प्रस्तर 7.2, पृष्ठ 79)

परिषदों द्वारा राजस्व से संबंधित स्वीकृत संकल्पों का विवरण, जिसे कार्यपालिका द्वारा लागू नहीं किया गया

जनपद का नाम	इकाई का नाम	परिषद द्वारा वर्ष 2015–20 के दौरान पारित संकल्पों की संख्या	प्रकरणों की संख्या, जहाँ कार्यकारी प्रमुखों द्वारा कार्यवाही की गयी हो	संकल्पों का विवरण
नगर निगम				
झाँसी	झाँसी	1	0	गृहकर के साथ यूजर चार्ज बढ़ाने की मांग
मुरादाबाद	मुरादाबाद	1	0	किराए की संपत्तियों के प्रबंधन और नियमितीकरण के लिए आवश्यक उपविधियों/नियमों का बनाना जाना
नगर पालिका परिषद				
झाँसी	मऊरानीपुर	3	0	संपत्तियों के सर्वेक्षण के बाद नवनिर्मित भवनों पर गृहकर लगाना, भवनों के निर्माण और विध्वंस के लिए नियम बनाना और संपत्ति कर के आंकड़ों का प्रसार करना।
	चिरगांव	3	0	न.पा.प. की सीमा का विस्तार, मोबाइल शौचालयों के लिए यूजर चार्ज लगाना और होर्डिंग/विज्ञापन पर शुल्क लगाना।
	गुरसराय	8	0	न.पा.प. की सीमा का विस्तार, रजिस्ट्री के दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन, विधि कर/शुल्क उपविधियों का क्रियान्वयन, भवन विनियमों का क्रियान्वयन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के लिए उपविधियों का क्रियान्वयन, विज्ञापन शुल्क और पार्किंग शुल्क का आरोपण, ठेकेदारों आदि के लिए पंजीकरण शुल्क लगाना।
रामपुर	रामपुर	5	0	संपत्ति कर की स्व-निर्धारण प्रणाली लागू करना, किराए की पुनरीक्षित मासिक दर पर संपत्तियों का निर्धारण, कर लगाने के लिए संपत्तियों का जीआईएस सर्वेक्षण, फॉरिंग मशीन, मोबाइल शौचालय आदि के उपयोग के लिए शुल्क लगाना।
	स्वार	4	0	गृह कर, विज्ञापन कर, बिजली ट्रांसफार्मर और मोबाइल टावर से किराया, लाइसेंस शुल्क आदि के लिए उपविधियों का बनाना, कर लगाने के लिए संपत्तियों का जीआईएस सर्वेक्षण, साताहिक बाजार के लिए शुल्क की दरों में पुनरीक्षण और भवन निर्माण के लिए मानचित्र का अनुमोदन, स्वयं के संसाधनों से प्राप्तियों में वृद्धि।
	बिलासपुर	2	0	कर लगाने के लिए संपत्तियों का जीआईएस सर्वेक्षण, पार्किंग शुल्क की वसूली के लिए पार्किंग स्थल की नीलामी।
बलिया	बलिया	4	0	वाणिज्यिक एवं आवासीय संपत्तियों का निर्धारण, दुकानों का निर्माण एवं दुकानों के किराये में वृद्धि, पानी के टैंकरों हेतु शुल्क का आरोपण, विज्ञापन कर की दरों में पुनरीक्षण।
	रसड़ा	1	0	आर ओ प्लांट के लिए यूजर चार्ज वसूलना
मुरादाबाद	बिलारी	12	0	सब्जी, फल आदि बेचने के लिए बाजार की स्थापना, साप्ताहिक बाजार का आयोजन, पानी के संयोजन की दरों में पुनरीक्षण, कॉलोनियों/भूखंडों के विकास के लिए शुल्क लगाने के लिए उपविधियों का बनाना, पार्किंग शुल्क लगाने, सड़क काने के शुल्क की वसूली, बैंकवेट हॉल पर वार्षिक शुल्क लगाने, केबल ऑपरेटरों पर शुल्क लगाने, शराब की दुकानों पर व्यापार लाइसेंस शुल्क को लागू करने, विज्ञापनों पर शुल्क लगाने, विज्ञापन, यूजर चार्ज और पार्किंग शुल्क इत्यादि के लिए उपविधियों का बनाना।
फिरोजाबाद	टूंडला	1	0	विद्युत ट्रांसफार्मर से किराये की वसूली
	सिरसागंज	4	0	विज्ञापन कर लगाना, मैरिज हॉल पर वार्षिक शुल्क लगाना, नर्सिंग होम, टावर आदि पर लाइसेंस शुल्क लगाना।
प्रतापगढ़	बेल्हा प्रतापगढ़	2	0	पार्किंग स्थल की नीलामी और घरेलू पशुओं के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण।
अमरोहा	बछरायूँ	2	0	विभिन्न मदों पर लाइसेंस शुल्क की दरों में पुनरीक्षण।
नगर पंचायत				
लखनऊ	बरखी का तालाब	3	0	पार्किंग शुल्क और मोबाइल टावर के लिए उपविधि बनाना, लाइसेंस

				शुल्क की उपविधि में संशोधन।
झाँसी	रानीपुर	1	0	स्वयं के संसाधनों से आय में वृद्धि।
	कठेरा	3	0	गृह कर की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं नवनिर्मित एवं कर दायरे से छूटी हुई सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर का अधिरोपण, सम्पत्तियों की मैटिंग, पार्किंग शुल्क हेतु उपविधियों का बनाना, कर प्रबंधन हेतु अँनलाइन प्रणाली का विकास।
रामपुर	मसवासी	5	0	लाइसेंस शुल्क, पार्किंग शुल्क एवं विज्ञापन शुल्क का अधिरोपण, दुकानों के किराये में पुनरीक्षण, जल संयोजन की दरों में पुनरीक्षण, सेटिंग टैक की सफाई हेतु शुल्क का आरोपण।
	शाहाबाद	4	0	पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों और अस्पतालों आदि पर व्यापर लाइसेंस शुल्क लगाना, जल मूल्य की दरों में पुनरीक्षण, संपत्ति कर लगाने और सभी अनिवार्य करों को लागू करने के लिए उपविधि बनाना।
बलिया	बैरिया	2	0	जल मूल्य के लिए उपविधियों का निर्माण और जल संयोजन की संख्या में वृद्धि।
मुरादाबाद	उमरी कलां	2	0	मोबाइल टावरों, टेलीफोन एक्सचेंजों तथा बैंकों पर कर अधिरोपण तथा मानचित्र के अनुमोदन से भवनों के निर्माण का विनियमन।
	पाकबड़ा	2	0	संपत्ति कर लगाने और अतिरिक्त स्टाम्प छूटी लगाने के लिए उपविधि बनाना।
फिरोजाबाद	फरिहा	4	0	मोबाइल टावरों पर कर लगाना, करों की दरों में पुनरीक्षण, वेबसाइटों के माध्यम से करों के आंकड़ों का प्रसार, विविध शुल्क लगाना।
लखितपुर	पाली	1	0	विज्ञापन शुल्क का अधिरोपण।
प्रतापगढ़	कुंडा	1	0	विज्ञापन शुल्क का अधिरोपण।
अमरोहा	जोया	2	0	संपत्ति कर की स्व-निर्धारण प्रणाली को लागू करना और लाइसेंस शुल्क का अधिरोपण।
	नौगवांसादात	1	0	लाइसेंस शुल्क के लिए उपविधि बनाना।
लखीमपुर खीरी	खीरी	2	0	गृहकर और लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए उपविधि बनाना।
भदोही	खमरिया	1	0	लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए उपविधि बनाना।
मथुरा	गोकुल	2	0	मानचित्रों के अनुमोदन और यूजर चार्ज लगाने के लिए उपविधि बनाना।
	छाता	3	0	गृह कर, विज्ञापन कर और विविध शुल्क लगाने के लिए उपविधि बनाना।
योग (न.नि., न.प.पा., न.प.)	92	0		

परिशिष्ट – XX

(संदर्भ : प्रस्तर 7.2.1.1, पृष्ठ 81)

**मार्च 2020 तक नमूना-जांच किये गए शहरी स्थानीय निकाय में गृह कर की मांग,
वसूली तथा बकाये का विवरण**

(₹ लाख में)

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय	प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 2015–20 अवधि की मांग	योग	वर्ष 2015–20 अवधि में प्राप्तियाँ	अंतिम अवशेष
1.	न.नि. लखनऊ	93,548.36	2,22,759.87	3,16,308.23	86,723.63	2,29,584.60
2.	न.नि. झांसी	465.79	7,741.91	8,207.70	8,110.89	96.81
3.	न.नि. मुरादाबाद	239.32	7,372.23	7,611.55	7,032.22	579.33
4.	न.नि. मथुरा-वृन्दावन	38.96	673.12	712.08	680.54	31.54
5.	न.पा.प. मऊरानीपुर, झांसी	10.05	75.78	85.83	80.61	5.22
6.	न.पा.प. गुरुसराय, झांसी	5.4	23.5	28.9	22.98	5.92
7.	न.पा.प. चिरगांव, झांसी	5.01	16.7	21.71	15.86	5.85
8.	न.पा.प. रसड़ा, बलिया	42.6	49.42	92.02	38.4	53.62
9.	न.पा.प. रामपुर	2.69	129.05	131.74	128.23	3.51
10.	न.पा.प. ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	12.91	71.38	84.29	62.01	22.28
11.	न.पा.प. बिलारी, मुरादाबाद	2.3	25.02	27.32	20.37	6.95
12.	न.पा.प. टूंडला, फिरोजाबाद	0.86	168.2	169.06	96.08	72.98
13.	न.पा.प. सिरसागंज, फिरोजाबाद	17.71	33.67	51.38	40.33	11.05
14.	न.पा.प. ललितपुर	27.46	245.48	272.94	262.34	10.6
15.	न.पा.प. बेल्हा प्रतापगढ़	177.18	802.17	979.35	128.33	851.02
16.	न.पा.प. कोसी कलां, मथुरा	14.12	51	65.12	62.97	2.15
17.	न.पा.प. अमरोहा	2.01	255.4	257.41	145.78	111.63
18.	न.पा.प. बछरायू, अमरोहा	8.18	24.65	32.83	19.39	13.44
19.	न.पा.प. लखीमपुर	9.84	371.6	381.44	260.68	120.76
20.	न.पा.प. पलियाकलां, लखीमपुर खीरी	13.73	30.06	43.79	13.66	30.13
21.	न.पा.प. भदोही	3.15	163.49	166.64	135.53	31.11
22.	न.पा.प. मिर्जापुर	104.58	797.98	902.56	837.29	65.27
23.	न.प. बख्ती का तालाब, लखनऊ	0	42.3	42.3	19.64	22.66
24.	न.प. इटौंजा, लखनऊ	5.04	4.5	9.54	5.03	4.51
25.	न.प. कठेरा, झांसी	0.81	11.75	12.56	7.15	5.41
26.	न.प. रानीपुर, झांसी	4.33	14.2	18.53	16.53	2
27.	न.प. बैरिया, बलिया	0	6.15	6.15	0.36	5.79
28.	न.प. मसवारी, रामपुर	0	4.96	4.96	4.12	0.84
29.	न.प. उमरी कलां, मुरादाबाद	9.24	18.12	27.36	10.05	17.31
30.	न.प. एका, फिरोजाबाद	0	13.17	13.17	1.2	11.97
31.	न.प. पाली, ललितपुर	2.65	6.25	8.9	5.51	3.39
32.	न.प. तालबेहट, ललितपुर	0.84	36.73	37.57	31.85	5.72
33.	न.प. कुंडा, प्रतापगढ़	3.92	31.39	35.31	27.07	8.24
34.	न.प. कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़	0	5.5	5.5	3.35	2.15
35.	न.प. गोकुल, मथुरा	0.72	5.53	6.25	2.42	3.83
36.	न.प. छाता, मथुरा	10.54	5.78	16.32	3.87	12.45
37.	न.प. जोया, अमरोहा	7	31.64	38.64	31.62	7.02
38.	न.प. नौगवां सादात, अमरोहा	2.71	52.5	55.21	29.34	25.87
39.	न.प. खीरी, लखीमपुर खीरी	7.64	17.3	24.94	16.73	8.21
40.	न.प. ओयलडकवा, लखीमपुर खीरी	0.74	7	7.74	5.53	2.21
41.	न.प. झानपुर, भदोही	7.63	10.64	18.27	14.41	3.86
42.	न.प. खमरिया, भदोही	3.59	12.5	16.09	14.72	1.37
43.	न.प. कछवा, मिर्जापुर	2.77	8.51	11.28	10.17	1.11
	योग	94,822.38	2,42,228.10	3,37,050.48	1,05,178.79	2,31,871.69

परिशिष्ट – XXI

(संदर्भ : प्रस्तर 7.5, पृष्ठ 98)

नगर विकास विभाग के कार्य विवरण और नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों में उपलब्ध आंकड़ों के बीच अंतर प्रदर्शित करने वाला विवरण

(₹ लाख में)

नमूना जांच किए शहरी स्थानीय निकाय के नाम	वर्ष	शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेखों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों और व्यय के आंकड़े				कार्य विवरण के अनुसार राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े				आंकड़ों में अंतर				कार्य-विवरण के अनुसार कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत
		कर राजस्व	करेतर राजस्व	कुल राजस्व	व्यय	कर राजस्व	करेतर राजस्व	कुल राजस्व	व्यय	कर राजस्व	करेतर राजस्व	करेतर राजस्व	व्यय	
नगर निगम														
लखनऊ	2015-20	1,33,565.00	1,14,949.4	5,62,863.00	4,33,596.60	1,33,565.00	1,14,949.40	5,62,863.00	4,33,596.60	0	0	0	0	44.15%
झाँसी	2015-20	8,632.24	4,018.09	104066.68	74,340.46	8,632.30	5,155.50	92,652.90	74,001.90	0.06	1137.41	-11413.78	-338.56	14.88%
मथुरा-वृन्दावन	2015-20	1,602.92	2,357.41	54,508.65	35,357.23	1,601.84	2,449.59	53,339.12	34,257.79	-1.08	92.18	-1169.53	-1099.44	7.60%
मुरादाबाद	2015-20	9,410.74	4,841.16	95,270.69	86,491.66	9,711.96	3,658.98	99,052.29	81,108.60	301.22	-1182.18	3781.6	-5383.06	13.50%
नगर पालिका परिषद														
मऊरानीपुर, झाँसी	2015-20	81.12	682.59	9,078.50	8,181.45	80.50	695.16	9,208.08	8,315.85	-0.62	12.57	129.58	134.40	8.42%
गुरसरायं, झाँसी	2015-20	22.98	233.83	3,916.76	3,909.88	22.99	233.84	3,747.52	3,866.84	0.01	0.01	-169.24	-43.04	6.85%
चिरगांव, झाँसी	2015-20	16.18	77.83	2,137.87	1,915.74	16.18	77.83	2,228.42	2,369.82	0.00	0.00	90.55	454.08	4.22%
रामपुर	2015-20	311.63	2163.04	31,422.63	31,304.13	313.07	2,124.86	31,152.00	31,865.18	1.44	-38.18	-270.63	561.05	7.83%
स्वार, रामपुर	2015-20	0.00	1326.51	12,732.00	11,518.72	0.00	721.63	10,517.50	8,197.29	0.00	-604.88	-2214.50	-3321.43	6.86%
बिलासपुर, रामपुर	2015-20	47.89	108.96	5,586.28	5,524.62	47.84	108.96	5,586.23	5,524.62	-0.05	0.00	-0.05	0.00	2.81%
बलिया	2015-20	513.72	769.68	15,497.04	15,207.95	435.23	777.81	15,783.30	15,204.54	-78.49	8.13	286.26	-3.41	7.69%
रसड़ा, बलिया	2015-20	38.40	155.43	4,717.91	5,187.61	38.40	154.86	4,841.22	5,238.77	0.00	-0.57	123.31	51.16	3.99%
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	2015-20	129.55	295.45	5,952.09	5,634.48	129.54	259.89	6,317.93	6,709.36	-0.01	-35.56	365.84	1074.88	6.16%
बिलरी, मुरादाबाद	2015-20	20.71	575.81	6,463.85	6,046.84	20.71	577.6	6,661.52	6,873.41	0.00	1.79	197.67	826.57	8.98%
टूडला, फिरोजाबाद	2015-20	117.15	459.92	12,033.31	12,076.30	358.95	249.41	10,919.74	12,036.83	241.80	-210.51	-1113.57	-39.47	5.57%
सिरसांगर्ज, फिरोजाबाद	2015-20	103.46	238.55	5,975.10	5,702.53	103.47	225.38	5,872.53	5,699.83	0.01	-13.17	-102.57	-2.70	5.60%
ललितपुर	2015-20	732.52	551.76	14,813.00	14,389.10	654.33	547.76	15,311.25	14,624.91	-78.19	-4.00	498.25	235.81	7.85%
बेल्हा प्रतापगढ़	2015-20	422.61	334.49	11,350.00	10,789.91	605.11	201.89	11,266.99	10,789.55	182.50	-132.60	-83.01	-0.36	7.16%
कोसी कलां, मथुरा	2015-20	263.46	293.27	7,016.37	6,817.15	263.46	293.27	7,031.79	6,625.58	0.00	0.00	15.42	-191.57	7.92%
अमरोहा	2015-20	277.65	675.39	19,478.17	18,418.91	277.71	736.58	19,478.21	17,980.43	0.06	61.19	0.04	-438.48	5.21%
बछराड़ू, अमरोहा	2015-20	19.57	166.55	4,124.56	3,960.98	19.39	156.71	4,009.14	4,071.39	-0.18	-9.84	-115.42	110.41	4.39%
लखीमपुर	2015-20	619.20	889.84	20,997.53	18,975.63	619.2	4,370.82	2,5578.8	18,976.94	0.00	3480.98	4581.27	1.31	19.51%
पलिया कलां, लखीमपुर खीरी	2015-20	23.25	348.34	5,344.00	4,694.36	17.67	465.35	5,447.92	4,693.91	-5.58	117.01	103.92	-0.45	8.87%
भदोही	2015-20	291.46	121.52	12,288.91	11,457.14	292.1	136.93	12,281.93	11,371.10	0.64	15.41	-6.98	-86.04	3.49%
मिजापुर	2015-20	1,487.43	965.17	27,835.84	26,151.35	1,612.2	913.19	26,123.41	27,514.08	124.77	-51.98	-1712.43	1362.73	9.67%

नगर पंचायत														
बब्बी का तालाब, लखनऊ	2015-20	19.65	345.89	11,932.85	8,185.43	19.64	91.62	7,707.52	8,216.70	-0.01	-254.27	-4225.33	31.27	1.44%
इटौंजा, लखनऊ	2015-20	5.02	53.58	1,766.50	1,526.97	5.29	53.2	1,792.54	1,673.74	0.27	-0.38	26.04	146.77	3.26%
रानीपुर, झाँसी	2015-20	16.62	100.84	2,289.77	1875.8	18.479	101.7635	2,292.54	1,516.85	1.86	0.92	2.77	-358.95	5.24%
कठेंगा, झाँसी	2015-20	6.4	59.5406	1,955.60	1,852.68	7.15	61.54063	1,908.40	1,806.93	0.75	2.00	-47.20	-45.75	3.60%
शाहाबाद, रामपुर	2015-20	0	201.47	5,583.34	4,761.32	0	150.64	5,185.79	4,670.14	0.00	-50.83	-397.55	-91.18	2.90%
मसवाली, रामपुर	2015-20	15.67	514.82	3,799.14	3273.6	15.82	511.14	3,880.86	3,273.37	0.15	-3.68	81.72	-0.23	13.58%
बैरिया, बलिया	2015-20	0.36	15.19	3,503.37	2,680.16	0.36	15.19	2,847.62	2,680.16	0.00	0.00	-655.75	0.00	0.55%
मनियर, बलिया	2015-20	21.61	26.78	2,615.72	2,770.27	21.61	26.78	2,615.72	2,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85%
उमरी कलां, मुरादाबाद	2015-20	11.89	82.83	2,615.12	2,628.18	23.75	127.58	2,497.85	2,558.16	11.86	44.75	-117.27	-70.02	6.06%
पाकबड़ा, मुरादाबाद	2015-20	0	32.32	2,685.24	1,386.56	0	0	1,532.39	561.62	0.00	-32.32	-1152.85	-824.94	0.00%
फरिहा, फिरोजाबाद	2015-20	19.26	135.32	1429.3	1,387.95	130.54	12.74	1,404.09	1,228.09	111.28	-122.58	-25.21	-159.86	10.20%
एका, फिरोजाबाद	2015-20	13.55	5.14	2,434.97	1,885.91	13.55	4.19	2,120.75	1,737.59	0.00	-0.95	-314.22	-148.32	0.84%
पाली, ललितपुर	2015-20	7	8.49	1,046.55	813.47	7	8.49	1,046.87	815.27	0.00	0.00	0.32	1.80	1.48%
तालबेहट, ललितपुर	2015-20	58.35	159.9	4,559.28	4,336.07	57.99	190.33	4,326.65	4,336.07	-0.36	30.43	-232.63	0.00	5.74%
कुंडा, प्रतापगढ़	2015-20	56.65	276.06	4,115.21	4,276.32	52.95	303.75	4,188.46	4,275.82	-3.70	27.69	73.25	-0.50	8.52%
कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़	2015-20	20.18	8.69	1,226.04	1253.8	20.18	10.04	1,290.71	1,643.94	0.00	1.35	64.67	390.14	2.34%
गोकुल, मथुरा	2015-20	3.05	97.89	1,151.48	1,089.81	2.42	17.24	655.02	622.58	-0.63	-80.65	-496.46	-467.23	3.00%
छाता, मथुरा	2015-20	3.87	105.24	2,998.04	2,808.41	3.87	87.73	2,616.19	2,808.41	0.00	-17.51	-381.85	0.00	3.50%
जोया, अमरोहा	2015-20	26.77	308.01	4,326.13	3,703.29	31.62	445.37	3,826.39	3,319.87	4.85	137.36	-499.74	-383.42	12.47%
नौगंवा सादात, अमरोहा	2015-20	29.54	156.91	4,677.60	4,014.20	29.34	94.76	4,210.91	3,729.19	-0.20	-62.15	-466.69	-285.01	2.95%
ओयल डकवा, लखीमपुर खीरी	2015-20	9.11	349.65	2,714.03	2,486.61	9.11	352.15	2,627.86	2,579.06	0.00	2.50	-86.17	92.45	13.75%
खीरी, लखीमपुर खीरी	2015-20	16.73	251.42	3,888.67	3,667.59	16.73	186.26	3,427.53	3,487.14	0.00	-65.16	-461.14	-180.45	5.92%
ज्ञानपुर, भदोही	2015-20	36.90	154.72	2,103.62	2,151.71	40.15	156.75	2,121.57	2,151.52	3.25	2.03	17.95	-0.19	9.28%
खमरिया, भदोही	2015-20	14.59	63.33	3,390.44	2,673.56	14.72	61.79	4,725.74	2,643.67	0.13	-1.54	1335.30	-29.89	1.62%
कछवा, मिर्जापुर	2015-20	10.17	79.57	2,052.26	1,870.96	10.17	79.58	2,052.57	1,870.96	0.00	0.01	0.31	0.00	4.37%

सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीएजी. जीओवी. इन

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. सीएजी. जीओवी. इन/ एजी1/ उत्तर-प्रदेश